

- वर्ष 27 • अंक 1
- अक्टूबर-दिसंबर 2014



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

बैंकिंग कल, आज और कल



विशेषांक

सदस्य



Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

● संपादक मंडल		1
● संपादकीय		2
● अनुचिंतन		4
● भाषण		6
परिचय		
● राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग उद्योग	सुबह सिंह यादव	15
● प्राचीन भारत में बैंकिंग	राकेश चन्द्र नारायण	24
● बैंकिंग : अतीत एवं वर्तमान	डॉ. राजीव कुमार सिन्हा	26
बैंक और समाज		
● नई बैंकिंग व्यवस्था में वित्तीय समावेशन का महत्त्व	डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह ¹ डॉ. लोकेन्द्र सिंह ²	33
● आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था और कॉरपोरेट गवर्नेंस	राजेंद्र सिंह	39
पारंपरिक बैंकिंग/आधुनिक बैंकिंग		
● पारंपरिक बैंकिंग बनाम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	वैभव सिंह ¹ डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह ²	49
● नई पीढ़ी की अपेक्षाएं और बैंकिंग कैरियर	विजय प्रकाश श्रीवास्तव	53
● जेनरेशन-वाई की अपेक्षाएं और बैंकिंग	अभिनव श्रीवास्तव	58
केंद्रीय बैंकिंग		
● केंद्रीय बैंकिंग : तब और अब	डॉ. रमाकांत शर्मा	61
● केंद्रीय बैंकिंग : कल और आज	डॉ. एस.एल. लोढा	66
● भारत में केंद्रीय बैंकिंग : कल, आज और कल	डॉ. अजीत कुमार ¹ एम. रमा कुमारी ²	70
भावी बैंकिंग		
● भारतीय बैंकिंग क्षेत्र : चुनौतियां एवं भावी परिदृश्य	विनय बंसल	74
बैंकिंग और भाषा		
● प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग में भाषाओं की भूमिका	राजेश कुमार	80
● इतिहास के पन्नों से	सावित्री सिंह	83
● घूमता आईना	के.सी. मालपानी	87
● लेखकों से		91
● सदस्यता फार्म		92

संपादक-मंडल



प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

डॉ. अनिल चन्द्र
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

डॉ. ए.आर. जोशी
परामर्शदाता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

श्री जनमेजय पट्टनायक
उप महाप्रबंधक एवं प्रधानाचार्य
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
एसपीबीटी कॉलेज, मुंबई

श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव
संकाय सदस्य एवं मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया प्रबंध विकास संस्थान
सीबीडी बेलपुर, मुंबई

डॉ. जवाहर कर्णावत
सहायक महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

कार्यकारी संपादक

श्रीमती सुषमा फडणीस
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
गारमेट हाउस, वरली, मुंबई - 400 018

श्री ब्रिज राज
संकाय सदस्य एवं उप महाप्रबंधक
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

श्री राकेश चन्द्र नारायण
उप महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
कोलकाता

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

तकनीकी सहयोगी

श्री के.सी. मालपानी
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेट हाउस, वरली, मुंबई-400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा
इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 2494 8263 फैक्स 2498 2077

संपादकीय....

प्रिय पाठको,

“क्षण-क्षणं यन्वतामुपैति
तदेवरूपं रमणीयतायाः!”

- महाकवि माघ



संस्कृत के महाकवि माघ की इस उक्ति का तात्पर्य यह है कि रमणीयता का असली स्वरूप वह है, जिसमें क्षण-क्षण में नवीनता दिखाई दे। मनुष्य का मन भी अजीब है, एक परिवेश उसे अधिक दिनों तक अच्छा लगता ही नहीं है - पहले बेघर, फिर कच्चा घर, फिर पक्का घर, फिर उसमें एयर-कंडीशनिंग, फिर और कुछ और इस 'और कुछ' का कोई अंत नहीं होता। दिनकर जी ने भी तो यही बात इस तरह से कही है, “पग तल जो पड़ गई चांदनी, फीकी वह लगती है”। हम अपने लिए हमेशा कुछ बेहतर की खोज में रहते हैं और इस बेहतर को पाने की ललक ही सारे सुधारों, सारे आविष्कारों की जननी है। आज का मानव दिन प्रति दिन बदलाव चाहता है। यह बदलाव पहले भी आ रहा था, पर उसकी गति धीमी थी, आज आईटी के युग में यह बदलाव कई क्षेत्रों में तेजी से आ रहा है और उसने बदलाव की जगह क्रांति का रूप धारण कर लिया है। बैंकिंग भी इनमें से एक है।

पहले बैंकिंग में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा था, बैंकिंग में बदलाव के बारे में एक नया लेख तैयार कर लिया तो वह दो चार साल तक तो तरो ताजा रहता ही था। पर आज उसमें इतनी तेजी से क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है कि एक लेख लिखने के बाद अगले महीने, या यूं कहें कि कुछ दिन बाद, या यूं कहें कि पत्रिका के छपते-छपते यह सोचना पड़ता है कि क्या नवीनतम स्थिति यही है। मुझे इस बात की खुशी है कि संपादक मंडल ने वर्ष 2014 का विशेषांक “बैंकिंग : कल, आज और कल” नामक विषय पर निकालने का निर्णय लिया है ताकि तेजी से बदल रही इस विधा से पाठकों को रू-ब-रू कराया जा सके।

क्या यह बदलाव महज बदलाव के लिए है? नहीं। इस बदलाव को लाने में जितने पैसे खर्च होते हैं, उससे कई गुना फायदा होता है समूची बैंकिंग प्रणाली को और विशेष तौर पर बैंकों के ग्राहकों को। प्रौद्योगिकी में आए इस क्रांतिकारी बदलाव के कारण ही 28 अगस्त 2014 को 'प्रधान मंत्री जन-धन योजना' के उद्घाटन के पहले दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोलना संभव हुआ। योजना के प्रथम चरण (15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 तक) में बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 5.93 लाख गांवों में से करीब 50000 दूर-संचार सम्पर्क के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं। दूर-संचार विभाग से अनुरोध किया गया है कि वह कनेक्टिविटी कम होने या न होने की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे ताकि बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। प्रौद्योगिकी में आयी क्रांति के कारण ही यह सब संभव हो रहा है। बैंकिंग समय और समाज के बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। समय और समाज में हो रहे बदलाव का स्पन्दन आज बैंकिंग के रग-रग में महसूस किया जा सकता है।

इस अंक में एक ओर प्राचीन भारत में बैंकिंग के स्रोत खोजने के प्रयास किए गए हैं तो दूसरी ओर अगली पीढ़ी की

अपेक्षाओं का अनुमान लगाते हुए बैंकिंग के भावी स्वरूप के बारे में भी परिकल्पना की गई है। इस अंक में उप गवर्नर श्री. आर. गांधी के भाषण का हिंदी पाठ प्रस्तुत किया गया है जिसमें हमें नई पीढ़ी के शहरी सहकारी बैंकों से रू-ब-रू कराया गया है। इसमें शहरी सहकारी बैंकों के तीनों दौर - संवृद्धि काल, संकट काल और समेकन काल के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी गई है, जिसे पत्रिका के पाठक अवश्य पसंद करेंगे। श्री सुबह सिंह यादव और श्री राकेश चंद्र नारायण ने जहां राष्ट्रीयकरण के पूर्व की एवं प्राचीन भारत की बैंकिंग का परिचय कराया है, वहीं श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव और श्री अभिनव श्रीवास्तव ने अगली पीढ़ी की अपेक्षाओं के अनुरूप बैंकिंग के भावी स्वरूप की झलक देने का सत्प्रयास किया है। श्री वैभव सिंह और डॉ. नरेंद्र पाल सिंह ने अपने लेख “पारंपरिक बैंकिंग बनाम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग” में परंपरागत बैंकिंग की तुलना अधुनातन बैंकिंग से करके दोनों के बीच मौजूद साम्य-वैषम्य से पाठकों को रू-ब-रू कराया है।

बैंकों ने समाज के आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से बदला है - एक ओर वित्तीय समावेशन के माध्यम से इस बदलाव को लाने में उन्होंने प्रत्यक्ष योगदान दिया है तो दूसरी ओर कॉरपोरेट गवर्नेंस में एक अहम भूमिका निभाकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भी इसमें काफी योगदान दिया है। इन दोनों पहलुओं से आपका परिचय कराया है - डॉ. नरेंद्र पाल सिंह, डॉ. लोकेन्द्र सिंह और श्री. राजेंद्र सिंह ने अपने-अपने लेखों में।

बैंकिंग में बदलाव आने के साथ-साथ केंद्रीय बैंकिंग की भूमिका भी निश्चय ही बदलेगी और तीन विद्वान लेखकों - डॉ. रमाकांत शर्मा, डॉ. एस.एल. लोढ़ा और डॉ. अजित कुमार - ने इस बदलती हुई भूमिका का परिचय आपको अपने-अपने लेखों के ज़रिए दिया है।

कुछ लोगों का कहना है कि प्रौद्योगिकी के कारण भाषा का महत्व कम हो गया है पर हमारे युवा साथी श्री राजेश कुमार ने अपने लेख में यह साबित कर दिया है कि भाषा का महत्व कतई कम नहीं हुआ है, उल्टे उसका महत्व बढ़ गया है।

साथ ही, पत्रिका के पाठकों से पहले से ही परिचित श्रीमती सावित्री सिंह ने ‘इतिहास के पन्नों में’ उनका परिचय कराया है - 16 सितंबर 1935 को पुणे में पंजीकरण से आरंभ कर 80 सालों के दौरान पूरे भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बैंक ‘बैंक ऑफ महाराष्ट्र’ से तथा देश-दुनिया की नवीनतम आर्थिक-वित्तीय गतिविधियों को संक्षेप में उजागर किया है - पत्रिका के तकनीकी सहयोगी श्री के.सी. मालपानी ने अपने लेख ‘घूमता आईना’ में।

कुल मिलाकर, इस अंक में बैंकिंग के अतीत, वर्तमान और उसके भविष्य के हर पहलू पर प्रकाश डालते हुए इसे पाठकों के लिए एक संग्रहणीय अंक बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। विशेषांक निकालना अपने आप में काफी श्रमसाध्य कार्य है और इसके लिए संपादक मंडल एवं इसके प्रकाशन से जुड़े सभी लोग बधाई के पात्र हैं।

पिछले अंक में पाठकों ने खुलकर अपनी राय दी और उससे हमारा उत्साह बढ़ा। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पत्रिका के पाठकों से अनुरोध है कि वे इस विशेषांक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव anilchandra@rbi.org.in अथवा ramakantgupta@rbi.org.in नामक ई-मेल पते पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका के अगले अंकों को उनकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें।



(डॉ. रमाकांत गुप्ता)
महाप्रबंधक

अ | नु | चि | त | न

हमें आपकी पत्रिका अक्तूबर-दिसम्बर 2014 अंक मिली - आपके संपादन में बहुत ही सुंदर पत्रिका है। सारी सामग्री पठनीय है। बैंकिंग से जुड़ी हुई जानकारी बहुत ही सारगर्भित और अर्थपूर्ण है। भारत में बैंकों में खास तौर पर ग्राहक सेवा पर हुए सुधारों को जानने का मौका मिला। हरेक लेख अपने आप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण लगा। उसके लिए आपको और समस्त संपादक मंडल द्वारा किए गए परिश्रम के लिए बहुत बहुत बधाई!

●डॉ. अनिता कपूर

लेखिका, कवयित्री, संवाददाता,
यूएसए

अक्तूबर-नवंबर 2013 के अंक में ग्राहक सेवा पर विशेष रूप से सभी लेखों में महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए गये हैं जिससे कि बैंक शाखाओं की ग्राहक सेवा में सुधार हो सके तथा ग्राहकों को शिकायत करने का अवसर न मिले। पुस्तक में बी.सी.एस.बी.आई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी एवं बदलते परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्राहक अपेक्षाएं लेख बहुत ही अच्छे रहे।

●श्री योगेश दत्त शर्मा

बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश

बैंकिंग परिवेश में घटित हो रहे नित्य बदलावों एवम् व्याप्त सत्यस्थिति से अवगत कराने वाले उपर्युक्त जर्नल जनवरी-मार्च 2014 अंक के सभी आलेख पठनीय तथा समसामयिक लगे। वर्तमान घड़ी में पूर्णतः प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग के लिए ऋण-सूचना ब्यूरो संबंधी लेख खूब रोचक तथा

प्रत्येक पहलू पर सुविस्तृत सूचनाप्रद लगा। गत कई वर्षों से बैंकों का बीमा व्यवसाय संलग्न होना समयानुकूल और विशेष जरूरी होना अनिवार्यता है। यह बात श्री ए.के. गुप्त के लेख - 'बीमा विपणन और बैंक' में उजागर हुई है। श्री अभिषेक पटेल ने भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सभी पहलुओं को सहजता से स्पष्ट किया है। इसी तरह 'धूमता आईना' में दो बातें अत्यंत युक्तिसंगत लगी। एक, बच्चों द्वारा (दस वर्ष के) स्वयं अपने खातों का परिचालन और दूसरी, निष्क्रिय खातों तथा ऋण के समय पूर्व भुगतान पर नहीं लगने वाला अर्थदंड। व्यवसाय वृद्धि तथा नई पीढ़ी में बैंकिंग की आदत होने हेतु दोनों बातें उपयुक्त हैं। अन्य सभी लेख पठनीय व चर्चा योग्य हैं। अंक के पिछले आवरण पृष्ठ पर प्रदर्शित वाणिज्यिक बैंकों के कार्यालयों का राज्यवार वितरण 31 मार्च 2013 भी खूब सराहनीय है। काश इसी तरह की नवोन्मेष जानकारी पूर्ण पत्रिका हमेशा मिले तथा संपादक मंडल धन्यवाद का पात्र रहे। इसी शुभ कामना के साथ अगले अंक की प्रतिक्षा में।

●श्री हरिशचंद्र सागरमल अग्रवाल

शिवकृपा भवन, अकोला

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का जनवरी-मार्च 2014 का अंक प्राप्त हुआ। प्रामाणिकता, मौलिकता और भाषा की सहजता तथा रोचकता 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' की विशेषता है और इसी के कारण बैंकिंग के तकनीकी विषय को सरस और रोचक रूप में प्रस्तुत करने में पत्रिका सफल है। सभी लेख ज्ञानवर्धक और उपयोगी हैं। 'इतिहास के पन्नों से' स्तंभ में सावित्री सिंह द्वारा सिंडिकेट बैंक के बैंकिंग इतिहास की जानकारी बहुत अच्छी लगी। इसके अतिरिक्त ए.टी.एम. एवं उपयोगकर्ताओं की

सुरक्षा की जानकारी उपयोगी है। उल्लेखनीय है कि ए.टी.एम. विद्युत की तरह ऐसी आवश्यक विधा है जिसका सदुपयोग बहुत सुविधा देनेवाला है परंतु जरा-सी भी चूक भयावह है। इस विषय में बैंकों द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं का समय-समय पर जगह-जगह कार्यशाला या जानकारी देने की व्यवस्था आवश्यक है। पत्रिका के कुशल संपादन के लिए बधाई!

●श्री विष्णु वर्मा

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन (अप्रैल-सितंबर 2014 अंक) प्राप्त हुआ, धन्यवाद। बैंकिंग क्षेत्र के विविध विधाओं से ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराते हुए राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान वाकई प्रेरक तथा प्रशंसनीय है। आज के माहौल में बैंकिंग क्षेत्र में तंत्र विज्ञान का उपयोग होने की वजह से सर्व सामान्य पाठक गण को हिंदी भाषा के जरिए आवश्यक, उपयोगी ज्ञानकारी से अवगत कराना आवश्यक हो गया है। आप इस कार्य को 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के माध्यम से बखूबी निभा रहे हैं। उत्कृष्ट लेख, सामग्री चयन में उच्च स्तरीयता तथा वर्तमान जगत की गतिशील जानकारी से पत्रिका पठनीय तथा संग्रहनीय बन पड़ी है। श्रीमान ध्रुव मुखर्जी का 'ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ) - आज

की प्रासंगिकता' तथा निधि चौधरी का लेख 'भारतीय महिला बैंक - अवसर और चुनौतियां' विशेष उल्लेखनीय हैं। के.सी. मालपानी का 'घूमता आईना' विशेष जानकारी से परिचित कराता है। सर्व समावेशक उपलब्धि के रूप में पत्रिका सर्वश्रेष्ठ बन पड़ी है।

●प्रा. डॉ. प्रकाश वि. जीवने

158, चंडिका नगर, नागपुर

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अप्रैल-सितंबर 2014 अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका पूर्ण रूप से सुसज्जित एवं आकर्षक है। प्रकाशित सामग्री रोचक और ज्ञानवर्धक है। श्रीमती सावित्री सिंह द्वारा प्रस्तुत 'इतिहास के पन्नों' के अंतर्गत विजया बैंक की स्थापना से अब तक की कहानी बहुत अच्छी लगी। लेख 'अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति के खाते' बहुत उपयोगी है। अनुरोध है कि अनपढ़ और कम पढ़े-लिखे लोगों द्वारा बैंक खाता एवम् ए.टी.एम. संचालन के विषय में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत कराएं।

●श्री विष्णु वर्मा

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश

नई पीढ़ी के शहरी सहकारी बैंक - कुछ चिन्तन*

- श्री रा. गांधी

प्रिय श्री ज्योतिन्द्र मेहता, अध्यक्ष, गुजरात शहरी सहकारी बैंक परिषद, श्री बी.एस. दास, निदेशक, बैंकिंग अनुसंधान, विकास एवं उत्कृष्टता केंद्र, अन्य गणमान्य अतिथियों एवं प्रतिभागियों। शहरी सहकारी बैंकों के इस सम्मेलन, जिसका बहुत ही सटीकता से 'सहकार सेतु-2014' नामकरण किया गया है और जिसकी विषय-वस्तु 'नई पीढ़ी के सहकारी बैंक' निर्धारित की गई है, को संबोधित करते हुए मैं विशिष्ट रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे यह जानकर भी खुशी हो रही है कि शहरी बैंकिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के लिए संगत अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के केंद्र के रूप में बैंकिंग अनुसंधान, विकास एवं उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है।

2. गुजरात में आप सभी लोगों से बात करना भी काफी महत्वपूर्ण है, केवल इसलिए नहीं कि यहां सहकारी बैंकों का प्रादुर्भाव और प्रसार हुआ, बल्कि इसलिए भी कि यह मोहन दास कर्मचंद गांधी, राष्ट्रपिता, की जन्म स्थली है, जिन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गांधीजी के शब्दों में कहें तो, 'मान लीजिए कि मेरे पास ठीक-ठाक धन-दौलत है - चाहे वह पूर्वजों से प्राप्त हो अथवा व्यापार और उद्यम द्वारा अर्जित की गई हो - मुझे भली प्रकार यह मालूम होना चाहिए कि वह समस्त धन-दौलत मेरी नहीं है; मेरा उतने पर ही अधिकार है, जितने की आवश्यकता मुझे एक सम्माननीय जीवन जीने के लिए है, जो उन अन्य लाखों लोगों द्वारा जिए जाने वाले जीवन से कहीं अधिक बेहतर न हो। मेरी शेष धन-

दौलत समाज की सम्पत्ति है और उसे समाज के कल्याण के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए।'

3. यदि आप देखें, तो पाएंगे कि सहकारिता भी सामाजिक सौहार्द - आपसी सहायता, लोकतांत्रिक निर्णयन और खुली सदस्यता - के ही सिद्धांतों पर आधारित है। स्वामित्व फर्म, भागीदारी फर्म और मिश्रित पूंजी कंपनियां; जो किसी वाणिज्यिक संगठन के प्रभावशाली रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं; की तुलना में सहकारी संस्था संगठन के प्रति एक नया और वैकल्पिक दृष्टिकोण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं विश्व भर में सहकारी संस्थाएं 1995 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी समझौता (आईसीए) द्वारा स्वीकृत सात मूल सिद्धांतों और मूल्यों पर कार्य करती हैं। सहकारिता के इन सिद्धांतों की जड़ें 1844 में रोशडाले, इंग्लैंड में स्थापित पहली आधुनिक सहकारी संस्था में खोजी जा सकती हैं। ये सिद्धांत सदस्यता से लेकर सामुदायिक चिंता तक सहकारिता के विविध पहलुओं को कवर करते हैं।

शहरी बैंक क्षेत्र का उद्भव

4. भारत में शहरी सहकारी बैंक यहीं गुजरात में आज से ठीक सवा शताब्दी पूर्व 1889¹ में प्रारंभ हुए थे और संसार भर में सबसे प्राचीन सामुदायिक बैंकिंग संबंधी गतिविधि का केंद्र भारत रहा है। तथापि, क्षेत्र में वास्तविक संवृद्धि और फैलाव 1966 में हुआ, जब इसे बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत लाया गया। इसके बाद हुए विकास को मोटे तौर पर तीन कालों में बांटा जा सकता है - संवृद्धि काल, संकट काल और समेकन काल।

*8 जून 2014 को श्री आर. गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में शहरी सहकारी बैंकों के सम्मेलन में दिया गया संबोधन। इस संबंध में श्री सुशांत कुमार कर, महाप्रबंधक द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार।

¹ गुजरात में अन्योन्य सहकारी मंडली -1889

संवृद्धि काल (1966–2003)

5. 1966 में लगभग 1100 शहरी सहकारी बैंक थे और उनके पास क्रमशः ₹1.67 बिलियन और ₹1.53 बिलियन की जमाराशियाँ और अग्रिम थे। तब से उनकी संख्या, आकार और परिचालनों के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। रिज़र्व बैंक ने इनके लिए मुख्यतः मराठे समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर उदार लाइसेंस नीति अपनाई थी, जिसमें 'एक जिला-एक बैंक' नामक दृष्टिकोण को समाप्त करने और इसके बजाय किसी क्षेत्र में नए शहरी सहकारी बैंक के लिए जमाराशियों को एकत्र करने और क्रेडिट देने की सीमा को ध्यान में रखते हुए 'आवश्यकता और संभाव्यता' पर आधारित नीति बनाने की सलाह दी गई थी। वर्ष 1993 में बैंक लाइसेंस नीति को उदार बनाने के पूर्व 1311 शहरी सहकारी बैंक थे जिनके पास क्रमशः ₹111.08 बिलियन और ₹87.13 बिलियन की जमाराशियाँ और अग्रिम थे, जबकि मार्च 2004 के अंत में इन शहरी सहकारी बैंकों की संख्या बढ़कर 1926 हो गई और इनकी जमाराशियाँ और अग्रिम बढ़कर क्रमशः² ₹1,020.74 बिलियन और ₹649.74 बिलियन हो गए। इसका मुख्य कारण यह था कि मई 1993 में लाइसेंस संबंधी मानदंडों को उदार बनाने के बाद जून 2001 तक 823 बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए गए।

संकट काल (2003–2008)

6. तथापि, यह देखा गया कि एक छोटी सी अवधि के दौरान ही नए लाइसेंस प्राप्त बैंकों में से लगभग एक तिहाई वित्तीय रूप से डांबांडोल हो गए। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करते हुए जून 2001 में एक स्क्रीनिंग कमिटी गठित की ताकि वह लाइसेंसों के लिए दिए गए आवेदनों की जांच करे। समिति ने यह सिफ़ारिश की कि सभी नए प्रस्तावित शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह अनिवार्य बना दिया जाए कि वे दिखाई देने वाले एवं सत्यापनीय ट्रैक रिकॉर्ड के बल पर सहकारी क्रेडिट सोसाइटी से प्रगति की प्रक्रिया में आगे बढ़े।

7. तथापि, माधवपुर मर्केटाइल सहकारी बैंक की घटना के पश्चात् शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की मौजूदा वित्तीय स्थिति और अनुभव को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004–05 के वार्षिक नीति वक्तव्य में यह घोषित किया गया कि रिज़र्व बैंक नए लाइसेंसों को जारी करने पर तभी विचार करेगा जबकि इस क्षेत्र के लिए एक विस्तृत नीति बन जाए जिसमें समुचित विधिक और विनियामकीय ढांचा भी शामिल हो, और उसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाए और उसके बाद नए शहरी सहकारी बैंकों को संगठित करने के लिए कोई भी नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए।

8. मार्च 2008 के अंत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या घटकर 1770 रह गई जो कि मार्च 2004 के अंत में 1926 थी। इसी अवधि के दौरान शहरी बैंकों की जमाराशियाँ और अग्रिमों दोनों में केवल मामूली वार्षिक बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो क्रमशः ₹1,020.74 बिलियन और ₹649.74 बिलियन से बढ़कर ₹1,398.71 और ₹904.44 बिलियन³ हो गया। यह औसत रूप से जमाराशियों में 9 प्रतिशत की और अग्रिमों में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है⁴।

9. इस अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना था। शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 2005 से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से विनियामकीय नीतियों का समन्वय हुआ और टैफ़कब; जो कि तकनीक को अपनाते हुए कार्यकुशलता लाने के लिए क्षमता निर्माण संबंधी पहलों एवं उपायों का व्यापक समूह है; से उन पर कार्रवाई की जा सकी। इस दौर में एच्छिक समेकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और गैर-अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंक का विलय वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों के साथ किया गया।

² अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए क्रमशः ₹15,785 बिलियन और ₹8,643 बिलियन।

³ 2008 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जमाराशियाँ और अग्रिम क्रमशः ₹33,201 बिलियन और ₹24,770 बिलियन थे।

⁴ अवधि के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों में हुई औसत वार्षिक संवृद्धि क्रमशः 28 प्रतिशत और 47 प्रतिशत थी।

समेकन काल (2008 के बाद)

10. रिज़र्व बैंक की नई पहलों और स्थायी प्रयासों के फलस्वरूप, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर बैंकों की संख्या घट गई है और मार्च 2008 को समाप्त तिमाही को शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या 1770 से घटकर मार्च 2013 में 1606 रह गई। तथापि, उसी अवधि में⁵ शहरी बैंकों की जमाराशियाँ और उधार राशियाँ ₹1398.71 बिलियन और ₹904.44 बिलियन से बढ़कर ₹2769.41 बिलियन और ₹1809.60 बिलियन हो गई। अतः जमाराशियों और उधार राशियों में 20 प्रतिशत⁶ की औसतन वार्षिक वृद्धि हुई जो विकास के पहले चरण से दो गुना से ज्यादा थी। तथापि, आर्थिक दृष्टि से सशक्त⁷ बैंकों की संख्या भी 31 मार्च 2010 के 248 से बढ़कर 31 मार्च 2013 में 684 हो गई। प्रसंगवश, 2005 के पश्चात आज तक 116 शहरी सहकारी बैंकों का विलय हो चुका है।

11. इस पृष्ठभूमि में, स्थानीय समुदायों में बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से 2010 में नए शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए मालेगाम समिति नियुक्त की गई थी। व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने सिफ़ारिश की कि शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका उपयोगी है और जहां बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं ऐसे जिलों में और जहां 5 लाख से कम आबादी है ऐसे केन्द्रों में शहरी सहकारी बैंकों की अधिक मौजूदगी की आवश्यकता है। जिन राज्यों और जिलों में बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं या पर्याप्त नहीं हैं उनमें नई संस्थाओं को बैंक और शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह भी उतना ही आवश्यक है कि जिन जिलों और आबादी के केन्द्रों में बैंकिंग सेवाएं पहले से ही पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं वहीं नई संस्थाओं को शाखाएं खोलने के लिए हतोत्साहित करना होगा। तथापि, समिति ने

सुझाव दिया कि वर्तमान में जिन सहकारी ऋण सोसाइटियों का प्रबंधन अच्छा है और जो कुछ अनिवार्य वित्तीय मानदण्डों को पूरा करती हैं, उन्हें लाइसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रिज़र्व बैंक समिति की सिफ़ारिशों का अध्ययन कर रहा है।

चर्चा के मुद्दे

12. अभी तक इस क्षेत्र के विकास की प्रवृत्ति और पैटर्न से हमने देखा कि माधवपुरा अतीत का हिस्सा हो गया है और हम जैविक और अजैविक वृद्धि को कायम रखते हुए आगे बढ़े हैं। सीआरएआर⁸ के उच्च स्तर और कम एनपीए⁹ के साथ प्रणाली कुछ हद तक स्थिर हो गई है जबकि समेकन की प्रक्रिया अब भी चल रही है। पहला प्रश्न उठता है कि अब आगे क्या? हम कहां जा रहे हैं? क्या हमने लक्ष्य प्राप्त किया है जहां हमें प्राप्त किए हुए स्वस्थ समेकन को बनाए रखना और सुदृढ़ करना है या हमें और वृद्धि के लिए प्रयास करने होंगे। वास्तविकता यह है कि शहरी सहकारी बैंक बैंकिंग प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक हैं जो जमाराशि संकलन और छोटे संसाधनवाले लोगों के लिए ऋण देने का कार्य करते हुए वित्तीय समावेशन में वृद्धि करते हैं और भुगतान और निपटान को भी सुकर बनाते हैं, अतः यही उपयुक्त होगा कि उनकी वृद्धि और प्रसार को समर्थन दिया जाए।

13. यह हमें दूसरे प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर हम और वृद्धि होने देते हैं तो वह किस आकार में होनी चाहिए? इसका समाधान फिर से दो रूप में किया जा सकता है, एक तो हम इन्हें वर्तमान ढांचे में बढ़ने दे सकते हैं या शहरी सहकारी बैंक निश्चित सीमा रेखा के ऊपर नई कॉरपोरेट पहचान प्राप्त करें।

14. इसके तात्पर्यस्वरूप बड़े आकार के ऐसे शहरी सहकारी बैंकों का विकास वाणिज्यिक बैंकों के रूप में करने पर विचार किया

⁵ 2013 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जमाराशियाँ और अग्रिम क्रमशः ₹74,295 बिलियन और ₹58,797 बिलियन थे।

⁶ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जमाराशियाँ और अग्रिमों में औसत वार्षिक वृद्धि लगभग 25 प्रतिशत रही।

⁷ मोटे तौर पर 10 प्रतिशत के सीआरएआर, पिछले तीन वर्षों के निवल लाभ, सकल एनपीए <7 प्रतिशत और निवल एनपीए <3 प्रतिशत पर परिभाषित।

⁸ 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार कुल शहरी सहकारी बैंकों में से 88.2 प्रतिशत ने 9 प्रतिशत और उससे अधिक सीआरएआर दर्ज किया है।

⁹ 31 मार्च 2013 को सकल और निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात क्रमशः 6.0 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत रहा।

जा सकता है जो आकार और कारोबार की जटिलता में निश्चित सीमा रेखा तक पहुंच चुके हैं ताकि उनका और विकास सुसाध्य बने। यहां इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि जब सहकारी बैंक निश्चित सीमा रेखा स्तर तक पहुंच जाते हैं तो उनसे भी बड़े बैंकों की तरह पथ्य पालन और मानक वैश्विक प्रणालियों के पालन की अपेक्षा की जाती है, जो सहकारी बैंकों के वर्तमान विधिक ढांचे में संभव नहीं होगा। अतः हमें आगे बढ़ने से पहले वर्तमान विधिक और विनियामक ढांचे पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है ताकि उनका संक्रमण निर्बाध हो। खासकर, हमें ऐसे विधिक ढांचे पर चर्चा करने की आवश्यकता है जिसमें सहकारी संस्थाओं का संयुक्त पूंजी कंपनियों में, जमाराशि धारण करनेवालों का शेयर धारकों में परिवर्तन सुकर हो सके।

15. अन्य विकल्प यह हो सकता है कि वर्तमान ढांचे में ही शहरी सहकारी बैंकों को विकसित होने और बने रहने दिया जाए। ऐसी स्थिति में, स्पष्ट रूप से मन में प्रश्न आता है कि वर्तमान में ऐसे कौन से प्रतिबंध हैं जो शिथिल किए जा सकते हैं और इस क्षेत्र की सुचारु और निर्बाध वृद्धि के लिए कौन से उपायों पर विचार किया जा सकता है? मैं आशा करता हूँ कि प्रतिनिधि इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे और संभाव्य उपायों पर सुझाव देंगे।

अगला चरण – अगली पीढ़ी के सहकारी बैंक

16. चूँकि संगोष्ठी का विषय 'अगली पीढ़ी के सहकारी बैंक' है अतः अब मैं संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करूँगा। प्रारंभ में पहले सहकारी बैंकिंग में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और भारत में अगली पीढ़ी के सहकारी बैंकों पर उनके प्रभाव में से कुछेक का विश्लेषण करते हैं। बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि इन बैंकों से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं।

यूरोपीय सहकारी व्यवसाय मॉडल

17. जैसा कि आप जानते हैं, सहकारी बैंकिंग क्षेत्र स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर यूरोपीय बैंकिंग उद्योग की वृद्धि, स्थिरता एवं प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सामान्य नागरिक अपेक्षाकृत कम निवेश के साथ सहकारी बैंकों के सदस्य/मालिक बन सकते हैं। परिणामस्वरूप, इस कारोबार में उनका

सीधा अधिकार है तथा वे इसके शासन, रणनीति एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में सीधे तौर पर शामिल हैं। सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य अपने सदस्यों के लिए मूल्य निर्माण करना एवं मुख्यधारा के बैंकों के अधिकतम लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति के विपरीत एक दीर्घकालिक विश्वास का संबंध स्थापित करना है।

18. यह उल्लेख करने योग्य है कि उनका निष्पादन खुदरा बैंकिंग, ठोस पूंजीकरण और उच्च दर्जे के ऋण संविभाग पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने का फल है। वास्तव में, इटली, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, जहां सहकारी बैंकों का ऋण में बाजार भागीदारी में एसएमई की भागीदारी 25 प्रतिशत से 45 प्रतिशत के बीच रही है, वहीं सहकारी बैंकों के कुल ग्राहक संविभाग में एसएमई की भागीदारी केवल 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है। उनका व्यवसाय मॉडल वर्तमान जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप है, इसलिए वे संकट पश्चात वातावरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं।

19. साथ ही, यूरोप के एक छोर से दूसरे छोर तक, सहकारी बैंकों के पास औसत पूंजी अनुपात 9 प्रतिशत है, जो न्यूनतम 8 प्रतिशत के विधिक पूंजी अनुपात संबंधी अपेक्षा से अधिक है। पश्चिम यूरोप में सबसे बड़े सहकारी बैंकिंग समूह की क्रेडिट रेटिंग, जो एए से एएए के बीच है, से यह सुस्पष्ट है।

20. राबो बैंक समूह, डीजेड बैंक समूह, क्रेडिट एग्रीकोल समूह आदि, जिनकी जड़ें यूरोप में हैं, का विकास हाल के दशकों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में हुआ है जिनकी गतिविधियां बैंकिंग, आस्ति प्रबंधन, लीजिंग, बीमा और स्थावर सम्पदा जैसे क्षेत्रों में हैं। हाल के वित्तीय संकट के दौरान सहकारी ढांचे के कई सशक्त मुद्दे प्रकट हुए हैं। उन्हें सरकार से मदद नहीं मांगनी पड़ी और वित्तीय परिणाम अच्छे मानकों के अनुसार रखने में वे सक्षम रहे। टियर-1 पूंजी के अनुसार, ये समूह विश्व की बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं हैं। सभी रेटिंग एजेंसियों ने उन्हें उच्च रेटिंग देना जारी रखा है।

21. बीसवीं शती के आरंभ में उन्होंने सहकारी क्षेत्र में कदम रखा है। स्थानीय सदस्य सहकारी संस्थाओं ने इन समूहों के

सामूहिक स्वामित्व को आज भी जारी रखा है। ये समूह सदस्य सहकारी संस्थाओं को समर्थन देते हैं और सहायक संस्थाओं एवं संबद्ध कंपनियों पर निगरानी रखते हैं। सदस्यों को केवल बैंकिंग और गैर बैंकिंग लाभ ही नहीं होता है, उन्हें चर्चा में भाग लेने और बैंकों की कार्यवाही पर सह-निर्णयन के भी अवसर मिलते हैं। स्थानीय सदस्य बैंक लाखों खुदरा और थोक ग्राहकों को तरह-तरह की वित्तीय सेवाएं देते हैं। ये समूह युवा से लेकर नवोदित (स्टार्ट-अप) कंपनियों तक और बंधक से लेकर कॉरपोरेट उद्यमियों तक लगभग सभी ग्राहक और उत्पाद प्रकारों में अग्रणी हैं।

22. मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय सहकारी बैंक बड़े वाणिज्यिक बैंकों के स्पर्धा और दबाव से मुकाबला करने में और अधिकतम मूल्य निर्माण करने में यूरोप की प्रतिरूपी संस्थाओं के व्यवसायिक ढांचे से सीख सकते हैं और ऐसा करते समय वे सुदृढ़ पूंजीकरण और उच्च गुणवत्ता वाले ऋण संविभाग को क्षति नहीं पहुंचाएंगे।

एशियाई सहकारी व्यवसाय मॉडल

23. अगर हम पूर्व की ओर देखेंगे, तो हमारे ध्यान में आता है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी सहकारी संस्थाओं की उपस्थिति काफी बढ़ी है। केवल एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 2012 में ऋण यूनियनों की संख्या 22,212 थी जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुल 10,051 के आंकड़े से दो गुना से भी अधिक थी। ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से भी यह देखा गया है कि एशिया में मुख्यतः सामाजिक-आर्थिक विकास, खासकर कृषि और ग्रामीण विकास के संबंध में, लाने के उद्देश्य से सहकारी संस्थाओं का निर्माण किया गया।

24. केवल एशिया में, अनुकरण करने योग्य कई उदाहरण हैं। फिलिपीन्स के सहकारी विकास प्राधिकरण (सीडीए) ने सहकारी सूचना प्रणाली नामक एक अनुकरणीय पहल की। सीडीए ने अमेरिका की संस्था एर्जेसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और दूसरे तकनीकी साझेदार के सहयोग से सहकारी संस्थाओं का वेब-आधारित डेटाबेस विकसित किया, जिसे सीडीए के किसी भी विस्तार काउंटर से तत्काल एक्सेस किया जा सकता

था। 'को-ऑपरेटिव अनुअल परफार्मेंस रिपोर्ट' के माध्यम से हर एक सहकारी संस्था की संस्थागत और वित्तीय स्थिति के संबंध में मिलने वाली वार्षिक जानकारी को भी इस डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया गया था ताकि डेटाबेस से सहकारी संस्थाओं को तत्परता से सूचना का आदान प्रदान करने का मंच उपलब्ध कराया जा सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है - क्षेत्र के समग्र लाभ के लिए निष्पादन मानक, नीतियां, विनियम और विकास कार्यक्रम तैयार करने में सरकार की मदद करना। संभवतः, ऐसी प्रौद्योगिकी आधारित सूचना प्रणाली तैयार करने से हमारे सहकारी क्षेत्र को भी निष्पादन उन्मुख और समन्वित विकास के लिए सूचना के त्वरित आदान-प्रदान हेतु एक मंच मिलेगा जो उनके लिए मददगार होगा।

सहकारी बैंकों के बीच सहकारिता

25. अपनी संवृद्धि एवं विस्तार को समर्थन एवं बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंकों के बीच आपसी सहयोग की भी आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहकारी बैंकों के इस छत्र संगठन का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित वी.एस. दास कार्य दल ने पाया कि इस संबंध में दो व्यापक दृष्टिकोण मौजूद हैं।

26 यूरोपीय देशों में छत्र संगठन आम तौर पर एक मजबूत शीर्ष स्तर की संस्था होती है। सभी स्थानीय सहकारी बैंक सामान्यतः इस शीर्ष संस्था के सदस्य होते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य 'एक सदस्य एक मत' वाले सिद्धांत के तहत अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। यह शीर्ष संस्था ग्राहक सेवा, एएलएम, आईटी, म्यूच्युअल फंड, उत्पाद संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में प्रत्येक सदस्य बैंक को सहायता प्रदान करती है और उन्हें परामर्श देती है।

27. आस्ट्रेलिया, यूएसए एवं कनाडा में मौजूद छत्र संगठन किसी समूह का हिस्सा न होकर विशिष्ट संस्था होते हैं जहां क्रेडिट यूनियन इनके सदस्य होते हैं। यूएसए में छत्र संगठनों का 'अंब्रेला' है। यूएसए के छत्र संगठन द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश, चलनिधि एवं नकदी-प्रबंधन उत्पाद एवं सेवाएं; जोखिम-

प्रबंधन एवं विश्लेषण क्षमताएं; निपटान, निधि अंतरण एवं भुगतान सेवाएं; और तिजोरी एवं अभिरक्षा सेवाएं प्रदान की जाती है। हालांकि, आस्ट्रेलिया में भुगतान समाशोधन सेवाओं एवं आपातकालीन चलनिधि समर्थन पर अत्यधिक बल दिया जाता है।

28. अपने क्षेत्र में अच्छी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ इन संगठनों ने न केवल अपने सदस्यों के आधारभूत स्तर पर परिचालन में अत्यधिक निपुणता लाया है, बल्कि वित्तीय स्थिरता के संवर्धन एवं जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे विनियामकों को भी राहत मिली है। खासकर, आस्ट्रेलिया में सभी क्रेडिट यूनियन बासेल-II मानदंडों का पालन करते हैं एवं उनका औसत सीआरएआर 16 प्रतिशत है।

29. इसी संदर्भ में मैं भारत के यूसीबी क्षेत्र के लिए छत्र संगठन की आवश्यकता पर बात करूंगा, जो मेरे संबोधन के अगले भाग यथा, भारत में अगली पीढ़ी के यूसीबी क्षेत्र से हमारी अपेक्षाएं, की शुरुआत होगी।

अगली पीढ़ी के शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षा भारत में शहरी सहकारी बैंकों के लिए छत्र संगठन

30. भारत में शहरी सहकारी बैंकों को भी एक ऐसे छत्र संगठन का लाभ मिलना चाहिए जिसकी स्थापना भारत के कानूनी ढांचे तथा इस क्षेत्र की चुनौतियों को ध्यान में रखकर की गई हो। भारत में केवल अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक ही पुनर्वित्त के रूप में रिज़र्व बैंक से सीधे चलनिधि सहयोग प्राप्त करते हैं। अन्य शहरी सहकारी बैंक अपनी चलनिधि संबंधी आवश्यकताओं के लिए जिला सहकारी बैंकों/राज्य सहकारी बैंकों पर निर्भर होते हैं। कुछ जिला सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक स्वयं ही वित्तीय रूप से मजबूत नहीं हैं। साथ ही, आवश्यकता है कि प्रबंधन, आईटी और प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं प्रदान की जाएं जिसकी शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र को जरूरत है।

31. हमारे शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र के लिए वी.एस. दास समूह ने भुगतान और निपटान सेवाओं का प्रावधान; अन्य सेवाओं

का प्रावधान जो मुख्यतः प्रबंधन या आउटसोर्स की गई सेवाओं के क्षेत्र में है; राज्यस्तरीय योजनाओं के माध्यम से चलनिधि सहायता का प्रावधान; और राज्य स्तरीय योजनाओं के माध्यम से ऋण-शोधन क्षमता (साल्वेंसी) समर्थन संबंधी प्रावधान होने की आवश्यकता संबंधी सिफारिश की। समूह ने आगे यह भी सिफारिश की कि दो अलग-अलग छत्र संगठन होने चाहिए। पहला, राष्ट्रीय स्तर का छत्र संगठन होगा जो अपने सदस्यों को चलनिधि सहायता के साथ-साथ भुगतान और निपटान सेवाएं तथा अन्य सेवाएं भी प्रदान करेगा। दूसरा, राज्य स्तरीय संगठन या बाहरी एजेंसियां होगी जो प्रबंधन, आईटी और प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं प्रदान करेंगी।

32. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी बैंक फेडरेशन और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर प्रस्तावों की जांच की जा रही है। इस संबंध में मुझे लगता है कि बैंकिंग अनुसंधान, विकास एवं विशिष्टता केंद्र, जिसकी स्थापना यहां यूसीबी क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण केंद्र के रूप में की जा रही है, इस दिशा में एक अच्छी पहल है।

टेक्नॉलजी सैवी शहरी सहकारी बैंक

33. यह खुशी की बात है कि इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर चर्चा की जाएगी। आज की प्रौद्योगिकी चालित दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता और सभी शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे समयबद्ध ढांचे में प्रौद्योगिकी को अपनाने की उत्सुकता दर्शाएं। वर्तमान समय में केवल 32 प्रतिशत (मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार 1589 में से 510) शहरी सहकारी बैंकों ने कोर बैंकिंग सल्यूशन (सीबीएस) अपनाया है। प्रौद्योगिकी को अपनाने में देरी करने के परिणामस्वरूप शहरी सहकारी बैंकों के ग्राहक वाणिज्यिक बैंकों में चले गए हैं। पुराने या सुरक्षा विशेषताओं आदि के अभाव वाले एप्लिकेशन का प्रयोग करने से उनमें धोखाधड़ी होने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। साथ ही मैनुअल बुक-कीपिंग प्रणाली से खातों के समाधान का काम बकाया हो गया है जो उनमें धोखाधड़ी की संभावना बढ़ा देता है।

34. भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे क्रमिक ढांचे में यथा बड़े शहरी सहकारी बैंक 31 दिसंबर 2013 तक, टियर-1 बैंक 30 जून 2014 तक और यूनिट बैंक 31 दिसंबर 2014 तक सीबीएस को अपनाएं। भारतीय रिज़र्व बैंक को पूरी आशा है कि भविष्य में शहरी सहकारी बैंक और अधिक टेकनॉलजी सैवी होंगे और ग्राहकों के हित में वाणिज्यिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

शहरी सहकारी बैंकों का सहकारी स्वरूप

35. सहकारी बैंकों में परस्पर सहकारिता के अलावा विचार करने वाला अगला मुद्दा यह है कि सहकारी बैंक के भीतर सहकारिता होनी चाहिए। हमने पाया है कि पिछले वर्षों में कई शहरी सहकारी बैंकों ने अपना सहकारी स्वरूप खो दिया है और घटकर लगभग एक परिवार-चालित संस्थाओं की तरह हो गए हैं। सहकारी सदस्यता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि उधारकर्ता नामिक सदस्य नियमित सदस्यों के 20 प्रतिशत तक सीमित होने चाहिए। कुछ बड़े बहु-राज्य शहरी सहकारी बैंकों ने क्षेत्र के लिए रियायत लेते समय अपने कारोबार मॉडल एवं लक्ष्यों को वाणिज्यिक बैंकों के अनुरूप बना लिया है।

36. इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों की सहकारिता के संबंध में एक अध्ययन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि विश्व में अनेक देशों में सहकारी कारोबारी मॉडल समय की कसौटी पर खरा उतरा है और उसने हाल के वित्तीय संकट का सामना सर्वाधिक निर्बाध रूप से किया है जबकि वाणिज्यिक संस्थाओं को टिके रहने के लिए संघर्ष करते रहना पड़ा। उन्हें बचाए रखने वाला कारक रहा उनकी सहकारी भूमिका, जो भारतीय शहरी सहकारी बैंकों में कुछ हद तक खत्म होती जा रही है। अध्ययन का मूल्यांकन यह सिद्ध करता है कि भारत में “सहकारी बैंकों की सहकारिता” कम होती जा रही है।

37. अतः रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्ष सितंबर में इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था ताकि सहकारी बैंकों को इस चिंताजनक मुद्दे पर जागरूक किया जा सके। भारत में शहरी

सहकारी बैंकों की सहकारिता बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं यथा लोकतांत्रिक स्वरूप को मजबूत बनाने के लिए उसके सदस्यों में जागरूकता बढ़ाना, सदस्यों को शिक्षित करने पर जोर देना तथा सहकारी सिद्धांतों के प्रति सदस्यों में रुचि जगाना। वार्षिक साधारण सभा की बैठकों के लिए कोरम आवश्यकता में बढ़ोत्तरी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सुदूर सुरक्षित वोटिंग की सुविधा का प्रावधान तथा शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के कार्यकाल/कार्यविधि की सीमा निर्धारित करने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं।

पूंजी मानकों को मजबूत बनाना

38. आज की वैश्वीकृत दुनिया में हमारी संस्थाओं को विश्व की सर्वश्रेष्ठ विनियामक प्रथाओं से अलग रखना मुश्किल है।

39. भारत में शहरी सहकारी बैंक केवल अपने सदस्यों से पूंजी जुटा सकते हैं। इस सीमा को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने उधार-राशियों से शेयर को सहबद्ध किया। आगे, रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त कार्यदल द्वारा और उनकी सिफारिशों के आधार पर इस मामले की जांच की गई। 2008 में शहरी सहकारी बैंकों को नवोन्मेषी लिखतों यथा सतत असंचयी/संचयी और प्रतिदेय अधिमान शेयर तथा दीर्घावधि जमा (गौण) के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई। रिज़र्व बैंक ने कम पूंजी वाले शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय पुनर्रचना के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए - यथा जमाराशियों को इक्विटी में बदलना, विलयन, जिसमें डीआईसीजीसी की सहायता से होने वाले विलयन भी शामिल हैं, से संबंधित दिशा-निर्देश, डीआईसीजीसी की सहायता से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं को वाणिज्यिक बैंकों को अंतरित करने से संबंधित दिशा-निर्देश, आदि।

40. रिज़र्व बैंक ने विभिन्न विनियमित संस्थाओं के लिए उनके प्रणालीगत महत्त्व और उपलब्ध कौशल को ध्यान में रखते हुए बासेल मानकों को लागू करने हेतु सुविचारित और क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया है। अभी की स्थिति के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को पूंजी की गणना के लिए बासेल-1 की अपेक्षाएं पूरी करनी हैं। विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने वाले

बड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए बाजार जोखिम प्रबंधन के कुछ तत्व लागू किए गए हैं।

41. हालांकि, इस संदर्भ में यहां यह उल्लेखनीय है कि शहरी बैंकों के जोखिम प्रबंधन ढांचे को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई उन्नत देशों में शहरी सहकारी बैंकों के लिए बासेल-II के मानक लागू हैं। यद्यपि भारत के शहरी सहकारी बैंकों के आकार की भिन्नता तथा जटिलता को ध्यान में रखकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया है, तथापि अगली पीढ़ी के बैंकों को विवेकपूर्ण विनियमन की अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए स्वयं को तैयार रखना चाहिए।

वित्तीय समावेशन में शहरी सहकारी बैंकों की भूमिका

42. हमारी चर्चा का अगला विषय यह हो सकता है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में बैंकों से सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आम जनता की महत्वपूर्ण अपेक्षा क्या-क्या होती है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस सम्मेलन में चर्चा के लिए इस विषय को शामिल किया गया है। इस संबंध में संगठनात्मक ढांचा, स्थानीय ग्राहकवर्ग और आसानी से पहुँच बना पाना शहरी सहकारी बैंकों की मजबूती रही है। इस दिशा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कई उपाय किए हैं जैसे-शून्य या न्यूनतम राशि के नो फ्रिल खाता खोलने की शुरुआत करना छोटे खातों के लिए केवाईसी संबंधी अपेक्षाओं को शिथिल करना, नई शाखाएं और साइट एटीएम खोलने के लिए मानदंडों को उदार बनाना, तथा कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) एवं कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) मॉडल आदि का प्रयोग करने की अनुमति देना।

43. शहरी सहकारी बैंक कुछ हद तक वित्तीय समावेशन का कार्य पहले से ही कर रहे हैं क्योंकि उनके ग्राहक मुख्य रूप से छोटे कारोबार संस्थाओं, लघु उद्योग, खुदरा व्यापारी, स्वनियोजित व्यक्ति आदि जैसे प्राथमिकता क्षेत्र से आते हैं जिनकी पहुँच वाणिज्यिक बैंकों तक आसानी से नहीं है। लेकिन, अभी भी छोटे शहरी सहकारी बैंकों की बड़ी संख्या¹⁰ को देखते हुए उनमें छुपी अपार संभाव्यता का उपयोग करने

की जरूरत है। शहरी सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे अपनी अनुकूल परिस्थितियों और कारोबारी अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे जिले हैं जहाँ बैंक नहीं हैं या कम संख्या में हैं और जहाँ शिल्पकार, प्रवासी मजदूर, छोटे कारोबारी तथा खुदरा व्यापारी आदि रहते हैं। ये लोग औपचारिक वित्तीय क्षेत्र से जुड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। शहरी सहकारी बैंक ऐसे लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए पहल कर सकते हैं।

44. शहरी सहकारी बैंकों को इस संबंध में अपने कारोबारी मॉडल को नए ढंग से डिज़ाइन करना होगा और अपनी वित्तीय समावेशन योजना को अपनी वार्षिक कारोबारी योजनाओं के साथ जोड़ना होगा। शहरी सहकारी बैंकों को अपनी सेवाओं के संबंध में व्यापक तौर पर प्रचार करना चाहिए ताकि वे एक बड़ी आबादी से जुड़ सकें। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत उचित हो और इसके लिए प्रौद्योगिकी एक अहम भूमिका अदा कर सकती है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस और प्रबंधन का ढांचा

45. अपनी बात समाप्त करने के पहले अंत में मैं अगली पीढ़ी के शहरी सहकारी बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस के महत्व संबंधी मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूँ। कॉरपोरेट गवर्नेंस की संकल्पना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सहकारिता सिद्धांत से बहुत भिन्न नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सहकारी समझौता (आईसीए) में सहकारिता का जो बुनियादी सिद्धांत स्वीकार किया गया है वह है 'सदस्यों की आर्थिक सहभागिता' अर्थात् समान रूप से योगदान करना तथा सहकारी पूँजी को लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित करना।

46. शहरी सहकारी बैंकों द्वारा सामना की जा रही कई समस्याओं का कारण है गवर्नेंस के मुद्दे तथा पेशेवर रवैया में कमी।

47. भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी निर्धारित किया है कि बोर्ड में कम से कम ऐसे दो निदेशक हों जिन्हें बैंकिंग का उपयुक्त

¹⁰ आज की स्थिति के अनुसार 1589 बैंकों में से 1167 टियर 1 बैंक, अर्थात् ₹100 करोड़ से कम जमा राशि वाले बैंक हैं।

अनुभव हो या विधि, लेखांकन या वित्त के क्षेत्र में संबंधित व्यावसायिक योग्यता हो। मालेगाम समिति ने यह सिफारिश भी की है कि नया शहरी सहकारी बैंक खोलने के लिए लाइसेंस देने की पूर्व शर्त होनी चाहिए कि निदेशक मंडल तथा सीईओ के बीच पेशेवर प्रबंध मंडल ढांचा बनाया जाए। हालांकि, अभी भी गवर्नेंस संबंधी बहुत खामियाँ हैं जिन्हें भविष्य के शहरी सहकारी बैंकों के लिए दूर किया जाना आवश्यक है। यह निर्विवाद है कि सहकारी संस्थाओं के गवर्नेंस ढांचे में अपनाए गए पेशेवर रवैया के स्तर के बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। हमें आशा है कि अगली पीढ़ी के सहकारी बैंकों का प्रबंध ढांचा अत्यधिक दक्ष और पेशेवर होगा।

48. गवर्नेंस से संबंधित एक और मुद्दा यह है कि आज हमारे शहरी सहकारी बैंकों में एक अजीब बात है कि इनके गवर्नेंस में उधारकर्ताओं का काफी दखल है और जमाकर्ताओं का हित बहुत कम है और इन्हें उपयुक्त ढंग से सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनकी धनराशि का प्रबंधन कितने अच्छे तरीके से हो रहा है इसका उन्हें सीधे पता होगा।

निष्कर्ष

49. मुझे विश्वास है कि इस दो-दिवसीय सम्मेलन में इस थीम और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल चर्चा के रूप में पैनल के सदस्यों तथा सहभागियों द्वारा चर्चा की जाएगी। मैं सम्मेलन के आयोजकों को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूँ तथा सम्मेलन के सफल आयोजन की कामना करता हूँ।

50. मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।


स्रोत:

- i. वार्षिक रिपोर्ट (2012-13) - यूरोपियन असोसिएशन ऑफ को-ऑपरेटिव बैंक।
- ii. कोस्मा, एस. - दि इंपैक्ट ऑफ बासेल II ऑन को-ऑपरेटिव बैंकिंग।
- iii. चक्रबर्ती, के.सी. (2011), 'फाइनेंसियल इन्क्लूजन - 'ए रोड इंडिया नीड्स टू ट्रेवेल' 22 अक्टूबर 2011 को www.livemint.com में प्रकाशित लेख।
- iv. नई यूसीबी को लाइसेंस देने के लिए मालेगाम समिति की रिपोर्ट।
- v. सिन्हा, आनंद (2012) - 'परस्पेक्टिवस ऑन को-ऑपरेशन' सहकारिता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया भाषण - कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे।
- vi. <http://www.icba.org>
- vii. <http://www.globalcommunities.org>
- viii. गांधी, एम. के.- रवींद्र केलकर, नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद द्वारा संकलित 'ट्रस्टीशिप'।
- ix. वर्ल्ड काउंसिल ऑफ क्रेडिट यूनियन की सांख्यिकीय रिपोर्ट (2012) - <http://www.woccu.org>
- x. मेलर, जॉन डब्ल्यू (2009) - कम और मध्य आय वाले देशों में नई चुनौतियाँ और अवसर, सहकारी सफलता को प्रदर्शित करने वाले सूचकों की माप (मैटिक्स), संयुक्त राज्य सीमापार सहकारी विकास परिषद, अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी।
- xi. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट।

○○○

राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकिंग उद्योग

भारत में बैंकिंग का उदय श्रेष्ठियों के रूप में हुआ। यह किसी न किसी रूप में प्राचीनकाल से ही विद्यमान है। हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भारत में ईसा के जन्म से कई शताब्दी पहले बैंकिंग की ऐसी पद्धति विद्यमान थी, जो काफी हद तक उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप थी। सभी व्यापारिक केंद्रों पर बैंक हुआ करते थे। वे सामान्यतः व्यापारियों और कारीगरों को धन उधार देने का काम करते थे और कभी-कभी राजाओं को भी धन देते थे ताकि वे युद्ध के समय इसका प्रयोग करें। अधिकांश ऋण जमानत पर दिए जाते थे, लेकिन चल संपत्तियों को गिरवी रखना और अचल संपत्तियों को बंधक रखना भी प्रचलित था। ईसाकाल के बाद तीसरी शताब्दी तक ऋण देने व जमा स्वीकार करने की पद्धति का प्रचलन हो चुका था। मुस्लिम काल तक आते-आते स्वदेशी बैंकिंग काफी विकसित हो चुकी थी। 17वीं व 18वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जीवन में अपना प्रभाव जमाने वाले 'जगत सेठ' पश्चिमी देशों के तत्कालीन निजी बैंकों से किसी भी तरह से कम नहीं थे। 'मनुस्मृति', 'जातक कथाओं', 'कौटिल्य अर्थशास्त्र', 'आइने अकबरी' तथा भारत दर्शन हेतु आए अनेक



सुबह सिंह यादव

सहायक महाप्रबंधक (प्रशिक्षण)
बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रशिक्षण केन्द्र
जयपुर

यात्रियों के वर्णन से यह विदित होता है कि साहूकारों, महाजनों और देशी बैंकों ने लोगों को उधार देने अथवा उनकी तरफ से टकसाली अधिकार एवं मालगुजारी प्राप्त करने के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी।

वैदिक साहित्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों में अर्थ को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया। मनुस्मृति ने समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चार भागों में विभाजित किया। इसमें वैश्य समुदाय को वाणिज्य एवं व्यापार का अधिष्ठाता बनाया गया। यही समुदाय समाज में रुपये को ब्याज पर लेने-देने का कार्य भी करता था। मौर्य एवं गुप्तकाल में भी व्यापारियों एवं दस्तकारों की श्रेणियां होती थीं जो रुपये के लेनदेन का कार्य करती थीं। भारतीय कानून शास्त्र के पितामह मनु के अनुसार भारत में धन जमा करने की प्रथा प्राचीनकाल से ही विद्यमान थी। जमाराशि रखने एवं ऋण देने के नियम बनाए जाते थे। हुंडी एवं विनिमय पत्र का प्रयोग 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ। देशी बैंकर न केवल कर्ज लेते थे, अपितु देशी एवं विदेशी व्यापार के लिए ऋण भी देते थे। मुगलकाल में धातु की मुद्रा जारी की गई, यद्यपि ऐसी मुद्रा हिंदू काल में भी प्रचलित थी और देशी बैंकों ने अपने पहले से चले आ रहे लाभप्रद व्यवसाय में मुद्रा परिवर्तन से एक और नए तरीके की बढ़ोतरी की। उन्होंने देश के एक भाग में चली आ रही मुद्रा को देश के दूसरे भाग में चली आ रही मुद्रा से बदलने का काम शुरू किया और खूब लाभ कमाने लगे। हालांकि ये देशी बैंकर जनता से धन संगृहीत करने की पद्धति को उल्लेखनीय प्रकार से विकसित नहीं कर पाए जो आज के बैंकों का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। उस समय बैंक धन का व्यापारी और लेनदेन करने वाला या एक ऐसे बिचौलिये की तरह से काम करता था जो जमा राशि संगृहीत करता है और

ऋण देता है। लेकिन आज वे केवल धन प्रबंधक ही नहीं, बल्कि वित्तीय प्रणाली में धन के सर्जक और निर्माता भी हैं। ये बैंक ही हैं जो किसी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण क्रियाकलापों की गति निर्धारित करते हैं। लेकिन बैंकिंग के ये सभी स्वरूप असंगठित तथा व्यक्तिगत स्वरूप वाले थे। आधुनिक स्वरूप अर्थात् जॉइंट स्टॉक कंपनी के स्वरूप वाली बैंकिंग संस्थाओं का उदय यूरोप में 18वीं शताब्दी में हुआ। औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोप में बैंकिंग संस्थाओं की झड़ी सी लग गई। भारत में तब तक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी।

अतः आधुनिक भारतीय बैंकिंग का विकास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ, जो आज अपनी परिपक्व अवस्था में है। युग एवं प्रवृत्तियों की दृष्टि से भारतीय बैंकिंग को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है:-

- (1) ब्रिटिशकालीन भारतीय बैंकिंग (1668 से 1947),
- (2) भारतीय बैंकिंग का संक्रमण काल (1947 से 1949),
- (3) बैंकिंग का नियमित संवृद्धि काल (1949 से 1969),
- (4) राष्ट्रीय बैंकिंग (1969 से 1991),
- (5) सुधारवादी बैंकिंग (1991 से अब तक)।

(1) ब्रिटिशकालीन भारतीय बैंकिंग (1668 से 1947)

17वीं शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन के बाद स्वदेशी बैंकों एवं महाजनों का पतन हुआ और अंग्रेजी व्यापारियों ने ईस्ट इण्डिया कंपनी के बैंकों के रूप में कलकत्ता एवं बंबई में कुछ एजेंसी गृहों की स्थापना की। लेकिन यूरोपीय आधार पर देश में प्रथम बैंकिंग संस्था 'एलेक्जेंडर एण्ड कंपनी' के रूप में 1770 में कलकत्ता में स्थापित हुई, जो 1832 में बंद भी हो गई। 1770 के आस-पास "बंगाल बैंक" एवं "जनरल बैंक ऑफ इण्डिया" स्थापित हुईं परंतु लाभ कमाने में असमर्थ होने के कारण 1791 में इनका ऐच्छिक समापन हो गया। 1813 के अधिनियम के फलस्वरूप असीमित दायित्व के आधार पर अनेक यूरोपीय बैंक स्थापित हुए, परंतु उनमें से अधिकांश 1829-33 के दौरान फेल हो गए। यद्यपि इस संकट के दौरान भी अनेक बैंक स्थापित हुए पर भारत में आधुनिक बैंकिंग 19वीं शताब्दी के आरंभ तक कोई प्रगति नहीं कर पाई। ईस्ट इण्डिया कंपनी के पतन के साथ

ही एजेंसी गृहों का भी पतन हो गया और ऋण की सुविधा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से तीन प्रादेशिक बैंकों की स्थापना मिश्रित पूंजी वाले बैंकों के रूप में की गई -

1. बैंक ऑफ कलकत्ता (1806) जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल (1809) हो गया,
2. बैंक ऑफ बंबई (1840),
3. बैंक ऑफ मद्रास (1843)।

इन बैंकों को नोट निर्गमन करने का अधिकार दिया गया और इस अर्थ में ये बैंक अर्द्ध केंद्रीय बैंक कहलाए। लेकिन इनके द्वारा जारी किए गए नोट लोकप्रिय नहीं हो पाए, इसलिए 1862 में इनसे यह अधिकार वापस ले लिया गया। वास्तव में देखा जाए तो इस अवधि के बाद बड़ी संख्या में बैंक खुलने लगे। 1860 में सीमित देयता वाले जॉइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना हुई -

1. 1865 में इलाहाबाद बैंक लिमिटेड की स्थापना यूरोपियन प्रबंधन के अधीन हुई।
2. 1895 में द पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई।
3. 1906 में द बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई।
4. 1906 में ही केनरा बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई।
5. 1907 में दी इंडियन बैंक लिमिटेड स्थापित हुआ।
6. 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड अस्तित्व में आया।
7. 1911 में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ।
8. 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।
9. 1923 में आन्ध्रा बैंक लिमिटेड स्थापित हुआ।
10. 1925 में सिंडिकेट बैंक लिमिटेड अस्तित्व में आया।
11. 1935 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड स्थापित हुआ।
12. 1936 में इंडियन ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड स्थापित हुआ।
13. 1943 में युनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड स्थापित हुआ, और
14. 1950 में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।

इन सभी बैंकों की शाखाएं देश के अनेक महत्वपूर्ण शहरों में हैं। इनमें से कुछ की शाखाएं विदेशों में भी हैं। ये वाणिज्यिक बैंक सभी प्रकार के बैंकिंग व्यवसाय जैसे जमाराशि का संग्रहण करना, अग्रिम देना, बिलों की वसूली व खरीद करना, धन का प्रेषण और विदेशी मुद्रा कारोबार करते हैं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, अनेक बैंकों का काम असंतोषजनक होने लगा क्योंकि उनकी निधि बड़ी औद्योगिक संस्थाओं में फंस गई और कुछ बैंकों का प्रबंधन ऐसे हाथों में था जो सुदृढ़ बैंकिंग सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। बैंकों की इस संकट वाली अवस्था में खासकर 1931-37 की अवधि में और 1931-38 की अवधि के दौरान अनेक कमजोर बैंकों को समाप्त कर दिया गया। इस काल की बैंकिंग की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार थीं -

1. ईस्ट इण्डिया कंपनी के लिए बैंकिंग एक सहायक कार्य रहा उसका मुख्य कार्य व्यापार था।
2. एजेंसी गृहों द्वारा आरंभ किए गए बैंक सट्टा तथा दोषपूर्ण व्यवस्था में लीन थे।
3. अधिकांश बैंकों की स्थापना सीमित दायित्व के आधार पर हुई।
4. स्वतंत्रता से पूर्व बैंकों का असमान वितरण था तथा बैंकिंग विकास केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित रहा।
5. यह विकास असंतुलित तथा अनियोजित ढंग से हुआ।
6. रिज़र्व बैंक अपनी स्थापना से 1947 तक केंद्रीय बैंक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ रहा।
7. बैंकों का संबंध अधिकांशतः प्रमुख तथा प्रभावशाली घरानों से रहा।
8. तीव्र गति से होने वाले बैंकिंग विकास के परिप्रेक्ष्य में योग्य एवं कार्यकुशल अधिकारियों एवं कर्मचारियों का अभाव रहा।

(2) भारतीय बैंकिंग का संक्रमण काल (1947-1949)

स्वाधीन भारत को ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली के नमूने पर बैंकिंग प्रणाली उत्तराधिकार के रूप में मिली। उस समय कई जॉइंट स्टॉक कंपनियां थीं, जो बैंक का कार्य करती थीं। ये

अधिकांशतः बड़े नगरों और प्रांतीय मुख्यालयों में केंद्रित थीं। देशी रियासतें एवं ब्रिटिश भारत के प्रांतों को मिलाकर बने स्वतंत्र भारत में बैंकिंग कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए समान कानून नहीं थे। आर्थिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में भारतीय बैंकिंग का विकास योजनाबद्ध विकास के साथ ही आरंभ हुआ। साथ ही संसाधन आधार को बढ़ाने तथा उत्पादक कार्यों के लिए भारी मात्रा में ऋण सुलभ कराने के साथ-साथ बैंकिंग प्रणाली ने सरकारी प्रतिभूतियों के विनियोजन में भारी मात्रा में वृद्धि की, जिसमें सरकार को विभिन्न विकासात्मक कार्य हाथ में लेने में मदद मिली। 1947 में बैंक शाखाओं की कुल संख्या 4288 थी और सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजन राशि 428 करोड़ थी। 16 मार्च 1949 से बैंककारी कंपनी अधिनियम लागू हुआ जिसके अंतर्गत भारत में जॉइंट स्टॉक कंपनियों पर कुछ अनुशासन लागू किया गया। यह सच है कि इस अधिनियम के कुछ प्रावधान बाद में लागू हुए, फिर भी बैंकिंग उद्योग को पहली बार कुछ समान आधार पर संगठित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहली बार बैंकिंग संबंधी आंकड़े एकत्रित करने आरंभ किए। इस प्रकार 1949 पहला वर्ष है जिसके लिए कुछ उपयोगी आंकड़े उपलब्ध हैं। 1949 में बैंक शाखाएं राज्यों की राजधानियों और शहरी केंद्रों में स्थित थीं। केवल 700 शाखाएं ग्रामीण केंद्रों में थीं। दक्षिण के राज्यों में (जहां छोटे-छोटे बैंक थे) भी यह सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन बैंकिंग सामान्यतः शहरी आधारित सेवा थी, जो गांवों के अधिकांश लोगों की पहुंच से बाहर थी। इस प्रकार गांव का महाजन ही उनकी वित्तीय सहायता का स्रोत था, जो बड़ी निर्ममता से उनका शोषण करता था। बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय विषमता भी विद्यमान थी। यद्यपि यह असंतुलन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ही संबंधित था, फिर भी इससे बैंकिंग सुविधाओं की अपर्याप्तता तथा पिछड़ेपन के मध्य सहसंबंध तो परिलक्षित होता ही है।

पूर्वी कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र से पश्चिमी मालाबार के तटवर्ती क्षेत्र तक विस्तृत रूप से फैले मद्रास राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाएं थीं। इसका कारण वे तमाम छोटे-छोटे बैंक थे जो तमिलनाडु, मालाबार और दक्षिणी कर्नाड़ा जिलों में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। रुचिप्रद बात यह है कि कुल

557 शाखाओं में से 92 शाखाएं मद्रास शहर में ही स्थित थीं। 442 शाखाओं के साथ उत्तर प्रदेश देश का दूसरा बड़ा बैंकिंग केंद्र था। राज्य के कुछ समृद्ध शहरों में कई लघु बैंक थे। राज्य में बैंकों की कुल जमाराशि ₹7096 करोड़ तथा दिए गए कुल ऋण ₹4504 करोड़ थे। तीसरे स्थान पर वर्गीकृत बंबई राज्य में कुल 443 शाखाएं थीं। बंबई अनेक लघु बैंकों का गृह नगर था, इसलिए शहर में 159 शाखाएं थीं, जिनकी कुल जमाराशि 277 करोड़ थी। शाखाओं की दृष्टि से 222 शाखाओं के साथ पश्चिमी बंगाल का चौथा स्थान था। इस राज्य में बैंकिंग के विकास से संबंधित एक अद्वितीय बात यह थी कि तमाम बैंकिंग सुविधाएं राज्य की राजधानी में ही केंद्रित थीं। परिणामस्वरूप, शेष राज्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित था। 222 शाखाओं में से 197 शाखाएं कलकत्ता शहर में ही स्थित थीं। कलकत्ता तथा इसके आसपास औद्योगिक गतिविधियों के केंद्रीकरण के कारण 1949 में बैंक ऋण की मात्रा 145.22 करोड़ थी, जो भारत में अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण का 30.8 प्रतिशत होता था। राज्य में बैंकों द्वारा संगृहीत कुल जमाराशि ₹173.84 करोड़ थी। दूसरी ओर असम राज्य में केवल 32 शाखाएं थीं और ऋण की मात्रा ₹4.27 करोड़ थी। उड़ीसा में केवल 15 शाखाएं थीं जिनकी जमाराशि मात्र ₹1.87 करोड़ थी तथा ऋण की राशि महज ₹97 लाख थी। सांविधिक देयता अनुपात 20 प्रतिशत था जो आज के अनुपात से कुछ ही कम था। उन दिनों बैंकों में खाता रखना प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। केवल धनी और व्यापारी वर्ग ही बैंक खाता रखने का साहस करते थे।

ऐसी स्थिति में सरकार ने विकासात्मक समस्याओं से निपटने के लिए देश में एक संतुलित, सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली की ओर ध्यान दिया। चौथे दशक के अंत में रिज़र्व बैंक ने उत्तम व पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण न्यास को आधुनिक ढंग से निर्मित करने का कार्य अपने हाथों में लिया। इस उद्देश्य के लिए बैंकों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए रिज़र्व बैंक को व्यापक अधिकार सौंपे गए और 1949 को रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम जमाकर्ताओं के व्यापक हित में बनाया गया था। इसके अन्य आकर्षक प्रावधानों में बैंकों द्वारा न्यूनतम नकद

आरक्षित निधि रखना, बैंकिंग कंपनियों को लाइसेंस देना, शाखा विस्तार पर उचित नियंत्रण रखना, बैंकिंग कंपनियों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना तथा अंतिम लेखा प्रस्तुत करना था।

इस काल की बैंकिंग की चार प्रमुख विशेषताएं थीं -

1. भारतीय बैंकिंग विभाजन के संकटों को सहन करके एक संगठित बैंकिंग की राह पर चल पड़ी।
2. व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली का राष्ट्रीयकरण हुआ।
3. उस समय बैंकों का विफल होना एक सामान्य घटना थी। 1919 में 55 बैंक या तो बैंकिंग व्यापार से विलग हो गए अथवा भंग होने की प्रक्रिया में चले गए।
4. उन दिनों बैंकों में खाता रखना एक प्रतिष्ठा का विषय था।

(3) बैंकों का नियमित संवृद्धि काल (1949 से 1969)

1951 में रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, जिसे गोरेवाला समिति के नाम से जाना जाता है, ने 1954 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों का सम्मेलन कर 1921 में निर्मित इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दिया गया तथा इस बैंक को एक निर्धारित अवधि में अपने ग्रामीण शाखा तंत्र के विस्तार का दायित्व सौंपा गया। यह देश की बैंकिंग प्रणाली के सार्वजनिक कार्यों को और व्यापक बनाने की ओर पहला कदम था। इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया को भारतीय स्टेट बैंक में बदलने का उद्देश्य इसके अधिनियम के आमुख में दिया गया है - बैंकिंग सुविधाओं का व्यापक पैमाने पर विस्तार, विशेषकर ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में करना और अन्य विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक प्रयोजनों को पूरा करना। भारतीय स्टेट बैंक 1955 से व्यापक विस्तार नीति अपनाए हुए है। यह देश का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी आज 16000 शाखाएं हैं। भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम को 1959 में पारित किया गया जिसके अनुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट

बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर को भारतीय स्टेट बैंक का समनुषंगी बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को मिलाकर 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर बनाया गया। समय गुजरने के साथ स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का भारतीय स्टेट बैंक में विलय हो गया। इस प्रकार आज के दिन भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके 5 सहयोगी बैंक कार्य कर रहे हैं।

पलाई सेन्ट्रल बैंक के फेल हो जाने के बाद बैंकिंग उद्योग में स्थिरता लाने हेतु 1962 में जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जमा बीमा निगम की स्थापना की गई तथा कमजोर वित्तीय संरचना वाले बैंकों के अन्य बैंकों में विलय की व्यवस्था की गई। 1960 के दशक के प्रारम्भ में यह महसूस किया गया कि कृषि क्षेत्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की उपेक्षा हो रही है, लेकिन दूसरी ओर ऋण प्रवाह समाज के एक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित था। तीसरी योजना में कृषि विकास कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि बनी। इससे पूर्व यह कार्य सहकारी ऋण अभिकरणों के जिम्मे था जो महाजनों के विरुद्ध एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे। फिर भी यह सच है कि ग्रामीण ऋण क्षेत्र में अन्य बैंकों की भूमिका नगण्य थी। पलाई सेन्ट्रल बैंक का फेल हो जाना बैंकिंग उद्योग के प्रति जन विश्वास को झकझोर देने वाली घटना साबित हुई। फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने ऊपर वर्णित दो उपायों की घोषणा की, जिनका लक्ष्य बैंकिंग जगत में स्थिरता लाना था - जमाराशियों की सुरक्षा एवं कमजोर संरचना वाले छोटे बैंकों का अपेक्षाकृत बड़े एवं सक्षम बैंकों में विलय। दक्षिण के कई बैंकों ने इस व्यवस्था का लाभ उठाया एवं अपेक्षाकृत बड़े बैंकों में विलीन हो गए। सिंडिकेट बैंक ने इस व्यवस्था के तहत 18 बैंकों को आत्मसात किया और इस प्रकार अपने संसाधन आधार एवं शाखा तंत्र का विस्तार किया।

इस काल में जॉइंट स्टॉक कंपनियों के अंशों पर दिया गया ऋण कुल ऋण का 22 प्रतिशत था। स्वर्णाभूषणों की जमानत पर ऋण का भुगतान उन दिनों दक्षिण के बैंकों की एक अत्यंत प्रचलित पद्धति थी। लेकिन इन ऋणों का अंश कुल ऋण के 4 प्रतिशत से भी कम था। यहां उल्लेखनीय बात यह है कि

अनुसूचित बैंकों में इस तरह के ऋणों का अंश 1949 में कुल ऋणों का लगभग 17.5 प्रतिशत था।

भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्णायक क्षेत्र कृषि को उस समय बैंकों से कोई सहायता नहीं मिलती थी। साठ के दशक के अंत तक बैंकर कृषि को आर्थिक कार्य का क्षेत्र मानते ही नहीं थे। कृषिजन्य सामग्री के व्यापारियों को थोड़ा-बहुत ऋण बैंक से मिल जाता था, लेकिन किसान को शहर आधारित बैंकों से कोई सहायता नहीं मिल पाती थी। वह तो गांव के महाजन का ही कर्जदार था जो एक व्यापारी की तरह उसका शोषण करते थे, मजबूरी में उसे कष्टप्रद बिक्री के लिए बाध्य करते थे। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, जहां गांव के महाजन किसान द्वारा बंधक रखे गए गहनों को बैंक में दुबारा प्रतिभूति के रूप में देकर बैंक से ऋण लेते थे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था दयनीय स्थिति में थी। गरीबी की मार ने मजदूरों को शहरों की ओर भागने पर विवश कर दिया, जिससे बड़े शहरों में गंदी बस्तियों की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बैंक, जिनका नियंत्रण पूरी तरह से औद्योगिक घरानों के द्वारा किया जाता था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति पूरी तरह से उदासीन थे। छोटे कस्बों में कार्यरत छोटे बैंक अपने अपर्याप्त संसाधनों के आधार के कारण ग्रामीण ऋण देने में हिचकते थे। यद्यपि यहां पर कतिपय अपवाद मिलते हैं, किन्तु कुल आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उनका योगदान नगण्य ही था। यहां पर थोड़ा पीछे मुड़कर देखे तो विदित होता है कि 50 के दशक में जब योजनाबद्ध विकास का सूत्रपात हुआ तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुज्जीवन की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। कई तरह के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम अपनाए गए। सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के विराट कार्यक्रमों के साथ-साथ सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में शिरकत सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। जब अनाज की आपूर्ति बढ़ाने और कृषि विकास पर जोर दिया जा रहा था, उस समय तक भी बैंकिंग को आर्थिक परिवर्तन के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन धीरे-धीरे अभावग्रस्त ग्रामीण व्यवस्था को संस्थागत ऋण देने की आवश्यकता का अनुभव किया गया।

इस दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश उत्पादन में वृद्धि की समस्या से जूझ रहा था। फलस्वरूप, देश के गिने चुने जिलों में सघन कृषि कार्यक्रम लागू किया गया। राज्य

सरकारों द्वारा कृषि शोध केंद्रों में विनियोग किया गया जिनका लक्ष्य विभिन्न फसलों की सबल एवं उन्नत किस्मों का विकास करना था। इन प्रयासों के फलस्वरूप देश में हरित क्रांति आई। उर्वरकों की खपत में पर्याप्त वृद्धि हुई। सर्जित सिंचाई क्षमता के साथ-साथ फसलों के क्षेत्र में भी वृद्धि आरंभ हुई। फिर भी, कृषि को संगठित वाणिज्यिक बैंकों से बहुत कम सहायता प्राप्त हुई। सन् 1969 में बैंकों द्वारा दिए गए ऋण का केवल 0.4 प्रतिशत ही कृषि क्षेत्र को मिला था। परिणामस्वरूप नीति निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि बैंकिंग को सामाजिक नियंत्रण के अधीन लाया जाए ताकि उनको अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के लिए बाध्य किया जा सके। कृषि एवं लघु उद्योग जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिया जाए। अब 1967 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू कर दिया गया। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों का प्रबंधन तथा ऋण नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाना था। बड़े व्यावसायिक घरानों तथा बड़े बैंकों के बीच दुरभिसंधि एवं घनिष्ठता को समाप्त करने हेतु अथवा कम-से-कम इसे अप्रभावी बनाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया जिसमें न्यूनतम 51 प्रतिशत निदेशक लेखांकन, कृषि और ग्रामीण अर्थशास्त्र, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, विधि लघु उद्योग और बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी, अन्य प्रकार के मामलों के विशेषज्ञ तथा व्यावहारिक अनुभव वाले होने आवश्यक थे। पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई, जिन्हें वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय अथवा आर्थिक या व्यावहारिक अनुभव होना आवश्यक था ताकि शीर्ष प्रबंधन को विशिष्टता प्रदान की जा सके। निदेशकों की संस्थाओं को ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध लगाना एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम था ताकि उन इकाइयों को ऋण नहीं दिया जा सके जिसमें निदेशक हितबद्ध हों। इस व्यवस्था में विशेष परिस्थितियों में बैंकों के अधिग्रहण के लिए भी प्रावधान किए गए। अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त न होता हुआ देखकर भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश जारी करके उन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जिनके पास ₹50 करोड़ की जमाराशि थी। राष्ट्रीयकरण का मूल उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बुलंद ऊँचाइयों पर पहुंचाना तथा लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था। इससे इन

बैंकों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप बेहतर ढंग से कार्य करने का अवसर मिला। बैंक राष्ट्रीयकरण के कुछ बाध्यकारी कारण थे -

1. उद्योगपतियों और व्यावसायियों के पास संपत्ति और आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण।
2. शाखाएं केवल शहरी क्षेत्रों में ही खुलती थीं और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई।
3. कृषि, लघु उद्योग और अन्य आवश्यक क्षेत्रों को बैंक द्वारा ऋण नहीं दिया जाना।
4. बड़े व्यावसायियों और उद्योगपतियों को मदद पहुंचाने हेतु निजी स्वामित्व और प्रबंधन वाले बैंक अनेक प्रकार के गलत कार्य कर रहे थे।
5. बैंकों की प्रवृत्ति और दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु, ताकि वे सामाजिक उद्देश्यों के प्रति सचेत रहे और सामाजिक बैंकिंग को अपनाएं। जिस अध्यादेश के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक एवं अवैध करार कर दिया गया था। इसलिए सरकार ने इसकी त्रुटियों को सुधारते हुए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1969 का निर्माण किया। जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वे हैं -

- (1) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड,
- (2) बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड,
- (3) पंजाब नैशनल बैंक लिमिटेड,
- (4) बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड,
- (5) युनाइटेड कमर्शियल बैंक लि.,
- (6) केनरा बैंक लिमिटेड,
- (7) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लि.,
- (8) देना बैंक लिमिटेड,
- (9) सिंडिकेट बैंक लिमिटेड,
- (10) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लि.,

- (11) इलाहाबाद बैंक लिमिटेड,
- (12) इंडियन बैंक लिमिटेड,
- (13) बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड,
- (14) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक लि.।

उक्त 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से 15 अप्रैल 1980 को छह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का अधिग्रहण कर लिया जिसमें से प्रत्येक के पास ₹200 करोड़ की मांग एवं सावधि देयताएं थीं। ये बैंक हैं -

1. आन्ध्रा बैंक लि.,
2. कार्पोरेशन बैंक लि.,
3. न्यू बैंक ऑफ इंडिया लि.,
4. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लि.,
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक लि.,
6. विजया बैंक लि.।

दो किस्तों में राष्ट्रीयकृत इन बैंकों में से न्यू बैंक ऑफ इंडिया को सितम्बर 1993 में पंजाब नैशनल बैंक में मिला दिया गया। अतः आज हमारे देश में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक काम कर रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के इस द्वितीय चरण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होने के कारण इन बैंकों द्वारा सभी सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों में भाग लेना वांछनीय था। चूंकि सामाजिक बैंकिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, इसलिए बैंकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक था। यह परिवर्तन भारत सरकार द्वारा किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों से लाए गए जिनका लक्ष्य ऋण प्रवाह को उचित दिशा में ले जाना था।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय बैंकिंग की अद्वितीय घटना है। राष्ट्रीयकरण के बाद अब भारतीय बैंकिंग “वर्ग बैंकिंग” से परिवर्तित होकर “जन बैंकिंग” हो गई। अब उन क्षेत्रों में शाखाएं खोली जाने लगीं जो या तो गैर बैंकिंग अथवा अर्द्ध बैंकिंग की श्रेणी में वर्गीकृत थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को ऋण की सुविधाएं सुलभ कराई जा सकें तथा

इस उपलब्धि से क्षेत्रीय विषमताओं को कम किया जा सके। इसके बाद कई ऐसे कदम उठाये गए जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों को आर्थिक विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाने में सामर्थ्य मिल सके। 1969 में राष्ट्रीयकरण के तुरंत बाद संगठनीय ढांचा सुधारने के लिए गाड़गिल एवं नरीमन समितियां नियुक्त की गईं। इन समितियों ने यह सुझाव दिया कि देश के सभी जिलों को एक बैंक को आबंटित कर दिया जाए और जिले के संपूर्ण विकास की जिम्मेदारी इस बैंक को सौंप दी जाए। इन अनुशांसाओं के आधार पर 1 दिसम्बर 1969 को देश में अग्रणी जिला योजना लागू की गई जिसके अंतर्गत देश के 14 राष्ट्रीयकृत और 3 निजी बैंकों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद बैंकों को ऋण योजनाएं बनाने के लिए कहा गया ताकि देश के सभी भागों में ऋण अंतराल को पूरा किया जा सके। यह परंपरागत बैंकिंग से हटकर उठाया गया एक बड़ा कदम था। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कई बार ऋण योजनाएं बनाई गईं और गैर राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहयोग से तथा राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा दी गई सहायता से उनका क्रियान्वयन भी किया गया।

यह सच है कि बैंकों ने ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलकर गैर बैंकिंग क्षेत्रों में प्रवेश तो किया लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण विस्तार और समाज के कमजोर वर्गों यथा लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, फसल बटाईदार, अल्पसंख्यक, महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने जो प्रगति की, उससे योजना निर्माता संतुष्ट नहीं थे। यह देखकर कि विकासमूलक योजनाओं के लाभ जरूरतमंद लोगों तक यथेष्ट रूप से नहीं पहुंच रहे थे, भारत सरकार ने लघु कृषक विकास अभिकरण, सीमांत कृषक विकास अभिकरण और खेतिहर मजदूर विकास अभिकरण जैसे कार्यक्रम तैयार किए। यह अनुभव किया गया कि इन लक्ष्य समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इस बीच भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त घोष समिति ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए ऋण के कुछ मानदंड निर्धारित किए, जो निम्न हैं -

1. ग्रामीण ऋण जमा राशि का अनुपात 60 प्रतिशत,
2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का अनुपात 40 प्रतिशत,

3. कृषि ऋण क्षेत्र का अनुपात 18 प्रतिशत (सन् 2004 में इसका फिर वर्गीकरण करके प्रत्यक्ष कृषि ऋण को 13.5 प्रतिशत तथा अप्रत्यक्ष कृषि ऋण को 4.5 प्रतिशत कर दिया गया),
4. कमजोर वर्ग का ऋण अनुपात 10 प्रतिशत, तथा
5. विभेदात्मक ब्याज दर के अंतर्गत विगत वर्ष के अंत में कुल अतिदेय ऋणों का एक प्रतिशत देने की बात कही गई।

इन मानदंडों का कड़ाई से पालन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग समितियों का गठन किया गया, जिसमें -

- (क) खंड स्तर पर खंड स्तरीय समिति (BLBC),
- (ख) जिला स्तर पर जिला सलाहकार समिति (DLCC),
- (ग) राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंक समिति (SLBC), एवं
- (घ) क्षेत्र स्तर पर क्षेत्रीय सलाहकार समिति (RCC) प्रमुख हैं।

इन समितियों की बैठकों में संवैधानिक समीक्षाएं कराई जाती हैं जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक नीति निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। अब यह अनुभव किया गया कि जरूरतमंद समूह के लिए एक अलग ऋण अभिकरण आवश्यक है, इसलिए 2 अक्टूबर 1975 को गांधीजी के जन्म दिवस पर अध्यादेश के जरिए 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की स्थापना की गई। इसके बाद 1976 में अधिनियम बना जिससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का तेजी से विस्तार हुआ। विलय से पहले इनकी संख्या 196 तक पहुंच गई थी, जिनमें से अधिकांश घाटे में चल रहे थे। वर्तमान में इनकी संख्या 64 है।

राष्ट्रीयकरण से बैंकों को ग्रामीण जनसमूहों की राशियों का प्रयोग करने का बहुत कुछ अवसर मिला है। इस अवधि में जमा राशियों में भारी वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच का लाभ यह हुआ है कि ग्रामीण आबादी में बचत की आदत पड़ी है और यह बचत अनवरत रूप से बैंकों में आने लगी है। 1967 के अंत में ग्रामीण जमाराशि कुल जमाराशि का केवल 3 प्रतिशत हुआ करती थी, जबकि अर्द्ध शहरी जमाराशि कुल जमाराशि का 22 प्रतिशत होती थी। राष्ट्रीयकरण ने पूरी तस्वीर को नाटकीय

ढंग से बदल दिया है। विभिन्न जनसंख्या वर्गों में स्थित शाखाओं में जमाराशि की वृद्धि तीव्र गति से हुई है जिससे समावेशी विकास संभव हो पाया है। वस्तुतः आज समावेशी विकास की धारणा जिस प्रकार सुदृढ़ हुई है, उसकी शुरुआत राष्ट्रीयकरण के दौर के साथ ही शुरू हुई थी। उस काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह थी कि ऋण के भौगोलिक नियोजन की अपेक्षा क्षेत्रगत नियोजन को अधिक महत्त्व मिला। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने का नतीजा यह हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि के रूपांतरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त कृषि को प्रत्यक्ष ऋण देने के साथ बैंकों ने कई ऐसे उद्योगों को भी ऋण दिया है जिनका कृषि विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। सरकार तथा सावधि ऋण संस्थाओं द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के साथ-साथ उद्योगों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाते हुए बैंकों ने भी लघु उद्योगों को उदारतापूर्वक ऋण देकर उचित सहायता प्रदान की है। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के अन्य भागों जैसे कमजोर वर्गों, सड़क परिवहन संचालकों, स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों तथा ग्रामीण कारीगरों को भी दिया गया ऋण उल्लेखनीय है। अब वाणिज्यिक बैंकों के ऋण विनियोजन में दूरगामी महत्त्व के विस्तृत प्रारूप में संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई दिए। बैंकिंग देश के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में एक प्रेरक के रूप में उभरी। इस काल की मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है -

1. 1950 के दशक के आरंभ तक बचत बैंक खाता बहुत लोकप्रिय नहीं था।
2. इस समय बैंक जमाराशियों की समीक्षा व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बैंकिंग कंपनियों के पारस्परिक संबंधों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है।
3. 1949 के आसपास दक्षिण के बैंकों में स्वर्णाभूषणों की जमानत पर ऋण भुगतान कराना एक आम प्रचलित प्रथा थी।
4. कृषि क्षेत्र को बैंकिंग प्रणाली से कोई सहायता नहीं मिलती थी। 60 के दशक के उत्तरार्ध में बैंक कृषि को आर्थिक कार्य का क्षेत्र ही नहीं मानते थे।

5. गांव का महाजन किसान द्वारा बंधक रखे गए गहनों को पुनः प्रतिभूति के रूप में देकर ऋण लिया करते थे।
6. बैंक को आर्थिक परिवर्तन के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।
7. 1967 के बाद बैंकिंग प्रणाली सामाजिक रूप से प्रयोजनमूलक बनकर आर्थिक विकास के रूप में उभरी। इसलिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह हुआ।
8. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से बैंकिंग का एकीकरण हुआ।
9. ग्रामीण जनसंख्या में बचत की आदत पड़ी।
10. ऋण के भौगोलिक नियोजन की अपेक्षा क्षेत्रगत नियोजन महत्वपूर्ण बना।
11. बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ा।
12. बैंकिंग के तीव्र विस्तार ने अनेक तनावों एवं चुनौतियों को जन्म दिया। अपेक्षाकृत कम समय में बड़ी संख्या में भर्ती, ग्रामीण अभि-उन्मुखता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना, ऋण संविभागों की गुणवत्ता को सुधारना, कृषि क्षेत्र में देय राशियों का बढ़ना व कम मात्रा में वसूली इत्यादि विभिन्न चुनौतियां उभर कर सामने आईं।
13. बैंकिंग उद्योग को गैर बैंकिंग उद्योग से अत्यधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी।
14. बैंकिंग के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत 'समेकन' का चरण उत्पन्न हुआ। एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक रहित स्थानों पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने पर बल दिया गया, वहीं शहरी एवं महानगरीय शाखाओं को खोलने में प्रदर्शित आवश्यकताओं तथा क्षमताओं पर ध्यान दिया गया तथा वित्तीय क्षमता का ध्यान रखा गया।

15. बैंकिंग क्षेत्र के सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले नीतिगत प्रतिबंधों की निरंतर समीक्षा की गई।

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण काल (1969 एवं 1980) क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने, ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में शाखा खोलने, जमा राशियों को जुटाने, कृषि तथा संबद्ध उपेक्षित क्षेत्रों को लाभान्वित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस काल को अग्रणी जिला योजना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इत्यादि महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। हालांकि, इसके बाद राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) तथा सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (SAA) आदि का भी प्रयोग किया गया तथा ऋण योजनाओं (AAP, DCP, ACP) आदि का भी निर्माण हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण से पूर्व के बैंकिंग उद्योग की तुलना राष्ट्रीयकरण के बाद की बैंकिंग से करने पर विदित होता है कि बैंकिंग परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया है। आर्थिक सुधारों के बाद उभरी तस्वीर तथा वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के चलते बैंकिंग में कल्पनातीत परिवर्तन हुए जिसके कारण बैंकिंग के अंदर एवं बाहर के परिदृश्य पर मौजूदा परिवर्तन ने इसे उत्पादकता, कुशलता एवं लाभदायकता की ओर उन्मुख किया तथा भारतीय बैंकिंग अब अपने पुराने वाणिज्यिक चरित्र पर लौट आई। अविनियमन ने भी बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है जिसके फलस्वरूप बैंकिंग को जोखिम का सामना करना पड़ा है। सूचना प्रौद्योगिकी में सघन प्रयोग से बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होती जा रही है। बैंकिंग उद्योग में अब वृद्धिशील कार्यक्षमता एवं परिचालन में लचीलापन आया है। इस बीच बैंकिंग क्षेत्र के सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले आर्थिक प्रतिद्वंद्विता वाले वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए बैंकिंग को अपने आप को संगठित करके भारतीय बैंकों को अपनी पूंजी एवं आस्तियों के आकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर के बैंकों के बराबर लाने का प्रयास करना चाहिए।

○○○

भारतीय बैंकिंग की 1969 तक की गतिविधियों को इस लेख में समाविष्ट किया गया है। बाद की गतिविधियों की जानकारी के लिए कृपया “बैंकिंग : अतीत एवं वर्तमान” पढ़ें।

– संपादक

प्राचीन भारत में बैंकिंग

मनुष्य शुरू से ही सुखद जीवन जीना चाहता है। इसलिए उसकी इच्छाएं भी असीमित हैं। आदि काल से ही जो कुछ उसके पास होता था वह उससे ज्यादा चाहता था। जिस चीज की उत्पत्ति वह करता था उसे उससे ज्यादा की आवश्यकता होती थी। इस आवश्यकता ने अदला-बदली या विनिमय व्यवस्था को जन्म दिया जिसे हम बार्टर व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था की कमी ने धन/पैसा को जन्म दिया।

धन के साथ-साथ बैंकिंग का विकास हुआ। पूर्व में साहूकार जमा स्वीकार कर इसके बदले पावती देते थे। यह धीरे-धीरे पेपर मनी का रूप लेने लगा। जब भी राशि उधार दी जाती थी, उस पर सूद लिया जाता था। भारत में भी बैंकिंग का इतिहास पुराना है। मनुस्मृति में ब्याज के बदले राशि उधार देने के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। मौर्य काल में विनिमय पत्र, जिन्हें आदेश कहा जाता था, निर्गत किए जाते थे। बौद्ध काल में इन लिखतों का व्यापक उपयोग होता था। बड़े शहरों में व्यापारी एक दूसरे के लिए साख पत्र निर्गत करते थे।

मध्यकालीन भारत में हुंडी का प्रयोग होता था। इससे एक



श्री राकेश चन्द्र नारायण
उप महाप्रबंधक
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
कोलकाता

स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजा जाता था। मुगल सम्राटों ने महाजनों और साहूकारों को कर वसूली के अधिकार दिए थे। लोग अपनी बचत राशि को इन महाजनों के पास जमा करते थे तथा जमा राशि पर महाजन को ब्याज भी देते थे। महाजन धनराशि को उधार देते थे तथा उधार दी हुई राशि पर ब्याज वसूल करते थे। आधुनिक बैंकों के आगमन के पहले महाजन बैंकिंग का काम करते थे।

इस तरह हम देखते हैं कि भारतवर्ष में बैंकिंग प्रथा बहुत लम्बे समय से प्रचलित रही है। यह पेशा सम्मानजनक था। मुद्रा उधार देकर साहूकार किसी को भी वित्तीय कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता था और जनता को अपनी आर्थिक दशा में सुधार करने में समर्थ बनाता था। अतः इस व्यवसाय को समाज की स्वीकृति प्राप्त थी। एक जातक कथा के अनुसार खेती करना, व्यापार करना एवं मुद्रा उधार देना ईमानदार तथा सम्मानजनक पेशा माना जाता था। बुद्ध के समय श्रावस्ती का प्रसिद्ध बैंकर 'अन्यापिण्डिका' था जिसका उस समय के समाज में बड़ा सम्मान किया जाता था।

प्राचीन भारत से ही यह ध्यान रखा जाता था कि सूद की दर न्यायसंगत हो। मनुस्मृति के अनुसार प्रतिज्ञा पत्रों को प्रत्येक वर्ष नया किया जाना आवश्यक था। कर्जदारों की विधि द्वारा रक्षा की जाती थी। ब्याज की दर सामान्यतः 1.5 प्रतिशत वार्षिक थी परंतु असुरक्षित ऋणों पर ऊंची ब्याज दर भी ली जा सकती थी। आज भी हम आधुनिक बैंकिंग में इस सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। ऋण देते समय प्रलेखन की भी व्यवस्था रही है। स्मृतियों में ऋण की वसूली के तरीकों को भी बताया गया है।

देशी बैंकिंग व्यवस्था में सेफ डिपॉजिट की भी व्यवस्था थी। सर्पाओं के पास सुरक्षा के लिए मुद्राएं सौंपी जाती थीं। सौंपी गई

मुद्रा पर ब्याज भी दिया जाता था। 'खुलासत-उत-तवारीख' के लेखक सूरज राय के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना जान-पहचान के अपनी मुद्रा सर्राफ के पास रख सकता था। इसके लिए किसी गवाह की भी आवश्यकता नहीं थी। ईमानदार सर्राफ बिना विलंब के मांगने पर मुद्रा लौटा देते थे।

अंग्रेजों के आने तक भारत में देशी बैंकिंग व्यवस्था चलती रही। जैसे-जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव देश पर बढ़ने लगा, यह व्यवस्था टूटने लगी। देशी बैंकर अंग्रेजी भाषा और विदेशी बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं थे। कंपनी ने भी हमारी व्यवस्था से लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया। उन लोगों ने अपने अभिकर्ता गृह (Agency House) की स्थापना की। भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था इन्हीं अभिकर्ता गृहों से शुरू होती है। ये गृह अपनी अन्य व्यवस्थाओं के साथ-साथ जमाराशि स्वीकार करते थे तथा व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे। कुछ प्रमुख अभिकर्ता गृह के नाम थे Jardine, Matheson & co और Dent & co.। ये अभिकर्ता गृह अंग्रेजों की ही आवश्यकताओं को पूरा करते थे।

कोलकाता अंग्रेजों का सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र तथा बंदरगाह था। सबसे पहले आधुनिक बैंक यहीं खोले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर से बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना सन् 1806 में की। इसी प्रकार बैंक ऑफ बॉम्बे (1840) तथा बैंक ऑफ मद्रास (1843) की स्थापना की गई। सन् 1921 में इन बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक बना दिया गया। 1896 में डाकघरों ने अपने कार्यालयों के माध्यम से जनता को बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा दी। डाकघरों द्वारा बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा ब्रिटेन ने सन् 1882 में शुरू की थी। उस समय बैंकिंग सुविधा कुछ ही लोगों तक सीमित थी।

स्वतंत्रता पूर्व बैंकिंग उद्योग पर संकट आते रहे और अनेक बैंक डूबते रहे। इससे अनेक लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया। इसके कई कारण थे। सरकार का बैंकों पर नियंत्रण ढीला था। केंद्रीय बैंक की स्थापना नहीं हुई थी। स्वदेशी आंदोलन के कारण बहुत से ऐसे बैंक स्थापित हो गए जिन्हें बैंकिंग का कोई अनुभव नहीं था। बहुत से बैंक अपनी अधिकृत पूंजी बहुत बढ़ाकर तथा प्रदत्त पूंजी को छुपा कर रखते थे। कई छोटे बैंक पूंजी के लिए

जमा राशि पर निर्भर रहते थे। कई बैंकों ने सट्टा व्यवस्था पर भी अपना धन लगाया था। देश में समुचित बैंकिंग विधान का अभाव था जिसके कारण बैंक मनमानी करते थे। सन् 1921 तक इस दिशा में कुछ भी कार्य नहीं किया गया तथा महामंदी प्रारंभ होने पर सरकार ने सन् 1930 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति नियुक्त की। समिति ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिए - 1. केंद्रीय बैंक की स्थापना, 2. बैंकिंग विधान लागू करना। परिणामस्वरूप सन् 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1936 में 1913 के भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन किए गए ताकि बैंकिंग कंपनियों से संबंधित नियमों में सुधार लाया जा सके।

सन् 1921 के बाद फिर मंदी का दौर आया और बैंकों की स्थिति डांवाडोल हो गई। जनता की आय घट जाने के कारण बैंकों के जमा धन में कमी आने लगी। सन् 1929 से सन् 1936 के बीच देश के कुल 481 बैंक बंद हो गए। इन कारणों से 1949 में विस्तृत बैंकिंग विधान लागू किए गए।

द्वितीय विश्व युद्ध ने भी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा। मुद्रास्फीति के कारण बैंकों की जमा राशि में वृद्धि हुई। युद्ध काल में बैंकों का प्रसार बिना किसी पूर्व योजना से हुआ। बैंकों का प्रसार इतनी तेजी से हुआ कि योग्य प्रबंधकों और कर्मचारियों का अभाव होने लगा। बैंकिंग व्यवसाय का संचालन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में चला गया जिनका मुख्य व्यवसाय व्यापार अथवा उद्योग था। इस तरह बैंकिंग व्यवसाय अन्य व्यवसायों पर आश्रित हो गया।

सन् 1946 में रिज़र्व बैंक ने साख विस्तार पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार से नियम बनवा दिया और आजादी के बाद के बैंकों के बंद होने का सिलसिला रुक सा गया। विभाजन ने कई बैंकों पर प्रतिकूल असर डाला पर उन बैंकों ने इस कठिन समय का सफलतापूर्वक सामना किया। यह बैंकिंग के लचीलेपन का द्योतक है। आजादी के बाद आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का बहुत अधिक विकास हो चुका है पर आज भी आधुनिक बैंकिंग सुविधा से एक बड़ा वर्ग वंचित है। वित्तीय समावेशन और हाल में लागू किए गए "जन-धन योजना" स्वागत योग्य कदम हैं।

○○○

बैंकिंग : अतीत एवं वर्तमान

बैंकिंग : अतीत एवं वर्तमान

पूरी तरह बदल चुका वर्तमान बैंकिंग स्वरूप वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारिकरण तथा प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा है। प्रौद्योगिकी के दिन प्रति दिन बढ़ते उपयोग के फलस्वरूप ग्राहकों की बैंकों से अपेक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। प्रतिस्पर्धा में न सिर्फ घरेलू बैंकिंग परिवेश में, बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजार में बने रहने और ग्राहकों की बहुआयामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अद्यतन और समुन्नत तकनीकों को अपनाना जरूरी हो गया है। सत्य तो यह है कि आज बैंकिंग सिर्फ भावनाओं और मूल्यों पर आधारित नहीं होकर 'ग्राहक सेवा की उत्कृष्टता' में निहित हो गई है।

वैश्विक स्तर पर किसी भी विकासशील राष्ट्र की वित्तीय व्यवस्था में बैंकिंग पद्धति केंद्रीय बिंदु है। वित्तीय मध्यस्थता संबंधी विशिष्ट भूमिका के मद्देनजर बैंकों को उनके विशेष क्रियाकलापों के लिए विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में भी आर्थिक विकास की प्रक्रिया बैंकिंग पद्धति के इर्द-गिर्द ही केंद्रित रही



डॉ. राजीव कुमार सिन्हा

रिसर्च एसोसिएट

एग्रो-इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर बिहार एण्ड झारखंड

ति.माँ. भागलपुर विश्वविद्यालय

भागलपुर (बिहार)

है। 1991 के मध्यावधि से आर्थिक उदारिकरण के श्रीगणेश से समग्र वित्तीय क्षेत्र, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में, व्यापक संरचनात्मक तथा परिचालनात्मक बदलाव हुए हैं। अपेक्षाकृत अधिक तकनीकोन्मुखी नए निजी क्षेत्र के बैंकों का उदय हुआ है। बैंकिंग लेनदेन प्रक्रियाओं में स्वचालित पद्धतियों का महत्त्व बढ़ा है तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है।

वर्ष 1991 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण, शाखाओं के परिचालन हेतु नेटवर्किंग, एटीएम, टेलीबैंकिंग एवं उपभोक्ता/ग्राहक टर्मिनल्स आदि सेवाओं को अंगीकार करने की रणनीति अपनायी। इसी दौरान बैंकों द्वारा ग्राहकों को अपने से जोड़े रखना तथा उससे भी अधिक उच्च लाभोपार्जन में सहायक बड़ी परिसंपत्तियों वाले ग्राहकों को जोड़े रखना बैंकिंग परिवेश का केंद्रबिंदु हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक के लगभग 67 वर्षीय दीर्घावधि में समग्र बैंकिंग क्षेत्र के अवतरण, विकास, कार्यपरिणामों की उपलब्धियों, परिचालनात्मक परिवर्तनों आदि के सारांश रूप में विहंगम दृष्टि हेतु चार चरणों में विभाजित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है -

प्रथम चरण (1948-1968)

ब्रिटिश बैंकिंग पद्धति पर आधारित बैंकिंग व्यवस्था देश में पहले से ही चल रही थी। बैंकिंग व्यवसाय करने वाली कई जॉइंट स्टॉक कंपनियां अस्तित्व में थीं जो मुख्यतः बड़े नगरों में संकेंद्रित थीं। इन बैंकों का वित्तीय क्रियाकलाप अधिकांशतः जूट, चाय इत्यादि के निर्यात हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने तक ही सीमित था। ये टेक्सटाइल (जूट, सूत), चीनी इत्यादि जैसे परंपरागत उद्योगों की वित्त संबंधी जरूरतों को

भी पूरा करते थे। उस दौरान बैंकिंग क्रियाकलापों को नियमित तथा नियंत्रित करने हेतु कोई एक समान कानून नहीं था। देश के विभाजन के बाद तात्कालिक चिंता की बात पाकिस्तानी क्षेत्र में स्थित बैंकों की शाखाओं के विषय में था। पाकिस्तान में स्थित कुछ बैंकों को उस राष्ट्र की इच्छानुसार बंद करने से संबंधित कार्रवाई भी की गई। बैंकिंग कंपनियों के कुकुरमुत्ते की भांति अस्तित्व में आने से उन दिनों बैंकों की विफलता बहुत ही सामान्य बात हो गई थी। वर्ष 1949 में 55 बैंक या तो बंद हो गये या बैंकिंग व्यवसाय से बाहर हो गये।

स्वतंत्रता पश्चात

स्वतंत्र हो चुके राष्ट्र में बैंकिंग व्यवसाय के लिए उपयुक्त संवैधानिक यानि कानूनी संरचना का निर्माण प्रथम प्रयास था। मार्च 1949 में अस्तित्व में आए बैंककारी विनियमन अधिनियम द्वारा भारत में बैंकिंग व्यवसाय करने वाले जॉइंट स्टॉक कंपनियों पर कुछ अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाया गया। परिणामस्वरूप कुछ समान मानदंडों के संदर्भ में पहली बार बैंकिंग उद्योग संगठित हो पाया। एक न्यूनतम चूकता पूंजी तथा आरक्षित निधि का अनुपालन नहीं करने वाली वित्तीय कंपनियों द्वारा “बैंक” शब्द के प्रयोग की मनाही कर दी गई। मार्च 1952 से प्रभावी यह पाबंदी वित्तीय रूप से कमजोर बैंकों को खरपतवार की भांति अलग कर देने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में अवतरित हुई।

बैंकों पर नियंत्रण की अपेक्षाकृत अधिक शक्तियों से युक्त भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग के विभिन्न आयामों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण वर्ष 1949 से आरंभ किया गया। तब देश में बड़ी एवं छोटी अधिसूचित तथा गैर-अधिसूचित 620 बैंकिंग कंपनियां थीं जो अधिकांशतः राज्यों की राजधानियों तथा शहरी क्षेत्रों में कार्यरत थीं। इनकी कुल शाखाओं की संख्या 4,263 थी। इनकी कुल जमा राशियां तथा अग्रिम की राशियां क्रमशः ₹997 करोड़ तथा ₹518 करोड़ थीं। विनियोग राशि का अनुमान ₹376 करोड़ का था। उन दिनों 433 शाखाओं सहित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक था।

पूर्व के अधिकांश राजघराने वाले राज्यों में आज के भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक स्वतंत्र बैंकिंग कंपनियों के रूप में कार्यरत थे। भारतीय बैंकों के अलावा केवल बड़े शहरों में शाखाओं वाले 15 एक्सचेंज बैंक (विदेशी बैंक) थे। ये ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग से संबंधित क्रियाकलापों अर्थात् सामग्रियों के आयात-निर्यात के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में संलग्न थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में भारत में बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच काफी कम थी क्योंकि उन दिनों बैंकों द्वारा कृषि को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग नहीं माना जाता था। इस प्रकार कृषि क्षेत्र को, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, बैंकों द्वारा किसी भी रूप में सहायता प्रदान नहीं की जाती थी। इतना ही नहीं, बैंकों द्वारा दिये जानेवाले कुल अग्रिमों का मात्र 4 प्रतिशत भाग बिना किसी जमानत के दिया जाता था। दूसरी गंभीर कमी यह थी कि बैंकों का सारा जोर अल्पावधि ऋण पर ही संकेंद्रित था। दीर्घावधि ऋण सुविधाओं की उन दिनों कोई चर्चा तक नहीं थी। पूर्णरूपेण विकसित पूंजी बाजार का अभाव तो था ही, औद्योगिक वित्त को छोड़कर कोई सावधि ऋण देने वाली संस्था भी नहीं थी। हां, वर्ष 1948 में भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना एक उल्लेखनीय कदम था।

योजनाकाल में बैंकिंग

वर्ष 1951 में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ योजनाओं की आवश्यकताओं के मुताबिक मौद्रिक तथा बैंकिंग क्रियाकलापों के मध्य तारतम्य स्थापित करने की जरूरत महसूस की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि में यह देखा गया कि देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह महसूस किया कि विकास कार्यों की वित्त संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थागत तंत्र का विकास किया जाना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रवाह इच्छित दिशा में वांछित उद्देश्यों के लिए हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण

सर्वेक्षण समिति (ए.आई.आर.सी.एस.सी.) ने वर्ष 1954 में ग्रामीण ऋण योजना की पुनःसमीक्षा की तथा पूंजी की अपर्याप्तता से संबंधित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को प्रकाश में लाया। उक्त समिति की अनुशंसाओं के आलोक में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा जुलाई 1955 से इसका नाम 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया' कर दिया गया। इस नए बैंक को एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत अपनी ग्रामीण शाखाओं की पहुंच एवं प्रसार को विस्तारित करने की जिम्मेदारी दी गयी। इस प्रकार वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में उत्प्रेरित करने की दिशा में यह प्रथम कदम था, जो उस समय तक सहकारी ऋण एजेंसियों के लिए आरक्षित थी तथा जो महाजनों तथा सूदखोरों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शोषण का शिकार होने से बचाने की दिशा में संघर्षरत था। सहकारी बैंकों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भौगोलिक क्षेत्र विस्तार के एक भाग के रूप में राजघराना द्वारा शासित राज्यों में कार्यरत कुछ बैंकिंग कंपनियों को वर्ष 1959 में एसबीआई की अनुषंगी इकाइयों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिन्हें बाद में 'एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई' की संज्ञा दी गयी।

वर्ष 1960 में केरल के 'पलाई सेंट्रल बैंक' के अचानक बंद हो जाने की घटना ने बैंकिंग व्यवस्था में लोगों के विश्वास को तोड़ दिया तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग व्यवस्था के स्थिरीकरण तथा सुदृढीकरण हेतु दो कार्यक्रमों की शुरुआत की गयी। पहला - छोटे जमाकर्ताओं की जमाराशियों को सुरक्षित करने के लिए जमा बीमा निगम (डिपॉजिट इन्श्योरंस कॉरपोरेशन) की स्थापना, तथा दूसरा - कमजोर वित्तीय संरचना वाले बैंकों का बड़े एवं कारगर या सक्षम बैंकों के साथ विलय एवं एकीकरण। साथ ही, बैंकिंग कंपनी संशोधन अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के आलोक में भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्नांकित अधिकार प्राप्त हो गए -

- विशेष वर्ग के लोगों के स्वामित्व वाले बैंकों के क्रियाकलापों से संबंधित अधिकार पर विरोधात्मक कार्रवाई का अधिकार।

- ऋणों को नियंत्रित करना।
- अग्रिमों तथा बैंकों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों पर नियंत्रण का अधिकार।
- बैंकों के कार्यपालक पदाधिकारियों को नियुक्त करने अथवा हटाने का अधिकार।

वर्ष 1966 में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन लाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। फलस्वरूप, निर्यात हेतु वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की ओर ध्यान केंद्रित किया जाना अपेक्षित था। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1964 में निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गयी जिसका उद्देश्य निर्यातकों को होने वाली संभावित हानियों की प्रतिपूर्ति करना था।

राष्ट्रीयकरण की पूर्वावधि

यद्यपि भारतीय बैंकिंग ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के ठीक पूर्व के काल में क्रियाकलापों एवं भौगोलिक आच्छादनो के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की थी, फिर भी कई ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्र बैंकिंग सुविधा से वंचित थे। इतना ही नहीं, बड़े पैमाने के उद्योग तथा बड़े एवं सुस्थापित व्यावसायिक घराने ऋण सुविधाओं का बड़ा भाग अपने विकास हेतु प्राप्त कर लेते थे। कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग तथा निर्यात जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र बैंकों की ऋण संबंधी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे जिनके वे हकदार थे। इसलिए सरकार ने बैंकिंग कानूनों में संशोधन करके वर्ष 1968 में बैंकों को सामाजिक नियंत्रण की परिधि में ला दिया। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण का परिणाम दो रूपों में परिलक्षित हुआ। एक तो यह कि ऋण आयोजनों की व्यवस्था में ऋण नीति निर्माण एक अभिन्न अंग के रूप में अंगीकार किया जाने लगा। दूसरा 'लीड बैंक स्कीम' का श्रीगणेश बैंकिंग व्यवस्था को विकास के एक तंत्र के रूप में क्रियाशील करने का सार्थक प्रयास था।

द्वितीय चरण (1969-1991) : राष्ट्रीयकरण तथा उसके बाद की अवधि

वर्ष 1969 से लेकर आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के शुरू होने के पूर्व की अवधि में बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि व्यापक पैमाने पर शाखाओं के विस्तार तथा बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने हेतु सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप थी। अधिक से अधिक लोगों की बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच बैंकाच्छादन में वृद्धि के फलस्वरूप संभव हुई। परिणामस्वरूप, प्रति बैंक शाखा औसत जनसंख्या, जो वर्ष 1969 में 64,000 थी, घटकर वर्ष 1990 तक 16,000 रह गयी। बैंकिंग व्यवसाय के आकार में भी काफी वृद्धि हुई। इस अवधि में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने हेतु बैंक प्रबंधन से संबंधित सभी आयामों के विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। ऋण के माध्यम से विकास करना बैंकों का मूल मंत्र माना गया। बैंकों की व्यवसाय मिश्रित उन्मुखता ने सरकार की नीतियों तथा प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व किया। उक्त अवधि में बैंकिंग उद्योग द्वारा 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बैंकिंग क्षेत्र की इस अवधि में विशेषताएं निम्नांकित समानताओं के रूप में अभिव्यक्त की जा सकती हैं : (i) एकरूप वेतनमान, (ii) ब्याजों की समान दरें (न तो पूंजीगत, न जोखिमोन्मुखी) (iii) एक समान उत्पाद, (iv) व्यवसाय का सदृश आकार, तथा (v) भुगतान की सदृश्य अवधियां। जहां ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान किए जाने की बात थी, बैंकों की शाखा से संबंधित निकटता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती थी, वहीं ऋण की शर्तें तथा सेवाओं के प्रकार अपेक्षाकृत कम मायने रखते थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विकास नीति/मांग आधारित था।

ऊपर वर्णित अवधि के दौरान 19 जुलाई 1969 को निजी क्षेत्र के 14 बड़े भारतीय अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को छह और निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर लोक नियंत्रण का दायरा और बढ़ा दिया गया। योजनागत प्राथमिकताओं की अनुरूपता में

वाजिब उत्पादक क्षेत्रों के विकास हेतु वांछित यथेष्ट ऋण प्रवाह सुनिश्चित किए जाने की दिशा में बैंकों के राष्ट्रीयकरण को एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। दरअसल, निम्नांकित उद्देश्यों से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया -

- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को उधार देना।
- अपेक्षाकृत सस्ते ब्याज दरों पर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को परिसंपत्तियों के सृजन हेतु आवश्यकतानुरूप ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना (इसमें अति अनिवार्य उपयोग आधारित अनुभव भी सम्मिलित हो सकते हैं)।
- बैंकरहित क्षेत्रों तथा आवश्यकता से कम बैंकों वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार।
- कुछ लोगों द्वारा बैंकों पर नियंत्रण की स्थिति को समाप्त करना।
- उद्यमियों के नए वर्ग को प्रोत्साहन देना।
- बैंक कर्मियों को वांछित एवं यथेष्ट प्रशिक्षण दिलाने का प्रावधान करना।

तृतीय चरण (1992-2002) : सुधारों का काल

भारतीय बैंकिंग के वर्तमान चरण के विकास क्रम के रूप में वर्ष 1991-2002 की अवधि को दशकीयावधि काल माना जा सकता है। द्वितीय चरण की भांति, जिसका आरंभ एक धमाके (अर्थात् बैंकों के राष्ट्रीयकरण) के रूप में हुआ, वर्तमान चरण की शुरुआत भी नियंत्रित बैंकिंग से बाजारोन्मुखी बैंकिंग पद्धति की ओर एक आमूल एवं उग्र सुधारवादी प्रस्थान से हुई। ऐसा वित्तीय सुधार, विशेषकर बैंकों से संबंधित सुधारों, के कारण हुआ। 1991 के दशक के पूर्वार्द्ध में समष्टिगत आर्थिक संकट से निपटने के उद्देश्य से भारत में आरंभ किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों/उपायों ने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को एक नया स्वरूप प्रदान किया। आर्थिक संकट स्पष्ट रूप से निम्नांकित ऋणात्मक प्रवृत्तियों को प्रकट करता था - (i) बढ़ रही मुद्रास्फीति, (ii) उच्च स्तरीय राजकोषीय घाटा, (iii) निम्न वृद्धि, (iv) असहायावस्था वाला चालू खाता घाटा, तथा

(v) वर्ष 1992 का खाड़ी युद्ध, जो भुगतान संतुलन से संबंधित संकट को और अधिक घनीभूत करने का कारण बना। भुगतान संतुलन की सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति का सामना करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दूरगामी प्रभावोत्पादक स्थायीकरण तथा संरचनात्मक समायोजनात्मक उपाय किए। इस अवधि में आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर जो राजनीतिक प्रयास किए गए, वे निम्नांकित हैं -

- अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण ताकि मुद्रास्फीति तथा भुगतान संतुलन से संबंधित दबावों को काबू में रखा जा सके।
- वास्तविक तथा वित्तीय क्षेत्रों से नियंत्रण हटाना तथा लाइसेंस एवं परमिट प्रणाली को समाप्त करना। ऐसा उत्पादन तथा घरेलू व्यापार के सभी क्षेत्रों तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया।
- विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों द्वारा प्राप्त किए जा रहे उच्च स्तरीय संरक्षण को समाप्त कर उनमें प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति तथा कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण।
- पूंजी एवं आधुनिक तकनीकों को आकर्षित करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण।

जहां तक बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की बात है, वित्तीय सुधारों की व्यापक दिशा समग्र मौद्रिक नीति ढांचे में स्तरोन्नयन से संबंधित है, ताकि वित्तीय संस्थाओं को मजबूत बनाया जा सके एवं घरेलू वित्तीय व्यवस्था को धीरे-धीरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया जा सके। नीतियों के इन विस्तृत उद्देश्यों के अंतर्गत बैंकिंग संबंधी सुधारात्मक रणनीतियों का उद्देश्य निम्नांकित नियत कार्यों की प्राप्ति था -

- नीतिगत खर्चों में एक उपयुक्त रूपांतरण जिसके अंतर्गत बैंकों के कार्य परिचालित होते हैं।
- बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य तथा प्रतियोगी क्षमताओं में स्तरोन्नयन।

- पर्यवेक्षण, लेखा-परीक्षा तथा तकनीक से संबंधित वित्तीय अधोसंरचनाओं का निर्माण।
- प्रबंधकीय कुशलता एवं मानव संसाधन के गुणों में स्तरोन्नयन लाने की कवायद करना।

इन विशिष्ट नियत कार्यों पर आधारित बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के दो पहलू हैं - (क) समष्टि स्तरीय नीतिगत परिवर्तन तथा (ख) सूक्ष्म स्तरीय नीति सुधार। पहले वाले पहलू का उद्देश्य समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली की बाह्य बाधाओं को दूर करना तथा इस प्रकार ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिनमें बैंक उदारीकरण के प्रावधानों के अनुरूप निर्बाध ढंग से काम कर सकें। दूसरी ओर सूक्ष्मस्तरीय सुधार पृथक बैंकों के विशेष गुणों से संबंधित है। ये सुधार उस बैंक विशेष के समग्र रूप में आंतरिक बाधाओं का सूक्ष्मतापूर्वक सामना करते हुए सर्वोत्तम संभव कार्य परिणाम सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास हैं।

चतुर्थ चरण में भारतीय बैंक : वर्ष 2002 के परे

वित्तीय सुधारों का प्रथम चरण एक ठोस एवं मजबूत बैंकिंग प्रणाली की आधारशिला रखने वाला था। सुधारों को कार्यान्वित करने के क्रम में उल्लेखनीय प्रगति अवश्य हुई तथा वर्ष 2002 के बाद बैंकिंग व्यवस्था सुधारों के द्वितीय चरण की ओर अग्रसर थी। तथापि, भारतीय बैंकिंग प्रणाली को कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भारतीय बैंकों को अपनी मजबूतियों तथा जिस प्रकार के बाजार में उन्हें अपने क्रियाकलापों को संचालित करना है, उनके आलोक में अपनी रणनीतियों को पुनरभिमुख करना है। बैंकों के समक्ष वर्तमान में उत्पन्न कुछ चुनौतियां घरेलू अर्थात् देश के अंदर पैदा हुई हैं। इनके अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय में होने वाला उच्च व्यय, गैर-निष्पादक आस्तियों का ऊंचा स्तर तथा ग्राहक संतुष्टि का निम्न स्तर आदि हैं। बैंकों के समक्ष कुछ चुनौतियां बाहरी भी हैं। बाह्य चुनौतियों के अंतर्गत पूंजी अंतर्वाहों में असाधारण वृद्धि एवं वित्तीय बाजारों का वैश्विक स्तर पर एकीकरण आदि प्रमुख हैं। इन घरेलू, अंतर्देशीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनों एवं विकास के आलोक में भारतीय बैंकों को 21वीं शताब्दी

में एक सक्षम बैंकिंग प्रणाली विकसित करने के लिए एक प्रतियोगी, विकासोन्मुखी, सर्वस्वीकार्य तथा हरेक मायने में परिणामोत्पादक मार्ग तलाश करने की आवश्यकता है। परवाह किए जाने योग्य बहुत से क्षेत्र हैं, जिनसे संबंधित त्रुटियों/समस्याओं को दूर किया जाना जरूरी है। सीमापार व्यापार, वित्तीय सेवाएं, पूंजी प्रवाह, विश्व स्तर पर सूचना एवं संवाद संप्रेषण प्रौद्योगिकी में आए क्रांतिकारी परिवर्तन, कारगर रूप में 24 घंटे बैंकिंग, टेलीबैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ई-बैंकिंग, मानव संसाधन विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने की कवायद, शेयरधारकों के मूल्यों को ऊंचा करने तथा व्यावसायिक संपन्नता हासिल करने के उद्देश्य से कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्च मानदंडों को अंगीकार किए जाने की समयोचित प्रवृत्ति आदि वर्तमान के भारतीय बैंकिंग उद्योग के अनिवार्य अंग भी बन चुके हैं। आज के भारतीय बैंकों को इन प्रतिस्पर्धात्मक तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के योग्य बनना ही होगा।

बेहतर कार्य-परिणाम के उपाय

वर्ष 1948-1968 के राष्ट्रीयकरण की पूर्वावधि से लेकर राष्ट्रीयकरण के बाद शाखाओं का विस्तार, संसाधनों की गतिशीलता, सामाजिक बैंकिंग, 1992-2002 तक की बैंकिंग क्षेत्र में सुधार अवधि तथा वर्ष 2002 के बाद बैंकिंग व्यवसाय में सूचना एवं संचारण तकनीक के प्रयोग, गैर निष्पादक आस्तियों को कम करने की कवायद, ग्राहक संबंध प्रबंधन (सी.आर.एम.), मानव संसाधन विकास, कॉरपोरेट गवर्नेंस, एटीएम, एनीटाइम बैंकिंग, 24x7 बैंकिंग आदि जैसे अत्याधुनिक बैंकिंग क्रियाकलापों तक के इस लगभग 66 वर्षीय अवधि में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने कई क्रांतिकारी तथा उल्लेखनीय परिवर्तनों का दौर देखा है। उक्त अवधि में बैंकों द्वारा सभी आय एवं सामाजिक वर्ग के ग्राहकों, उपभोक्ताओं, जमाकर्ताओं, ऋण प्राप्तकर्ताओं तथा आम जनों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति काफी दक्षतापूर्वक की जाती रही है। फिर भी बदलते वैश्विक परिवेश, प्रतिस्पर्धा से पूर्ण व्यावसायिक जगत, साथ-ही-साथ विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र की बैंक सुविधा विहीन निर्धन आबादी एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ पाने की अर्हता प्राप्त

कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों द्वारा संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी के अभाव में प्रदत्त लाभ से वंचित रह जाने की चुनौतियां भारतीय बैंकों के कार्य परिणामों को विपरीत ढंग से प्रभावित कर रही हैं। इन्हें दूर करने के लिए निम्नांकित नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं -

- एटीएम द्वारा पैसा निकालने, जमा करने अथवा मौद्रिक राशियों के विभिन्न खातों में ऑनलाइन अंतरण में कभी-कभी हो जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को पूर्णरूप से त्रुटिरहित बनाया जाना चाहिए।
- इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्राप्त ग्राहकों द्वारा पैसा निकालने अथवा जमा करने पर मोबाइल पर एस.एम.एस. संदेश कभी-कभी नहीं प्रेषित किए जाने की तकनीकी खामियों को बेहतर प्रोग्रामिंग विकसित कर दूर किया जाना चाहिए।
- आई.आर.सी.टी.सी. के मार्फत तत्काल सुविधांतर्गत शयिका आरक्षित नहीं किए जा सकने की स्थिति में धन वापसी की प्रक्रिया में कभी-कभी होने वाले अत्यधिक विलंब अथवा नियमानुकूल स्वतः धन संबंधित खाते में वापसी कभी-कभी निश्चित समयावधि में नहीं किए जा सकने की तकनीकी कमजोरियों को बेहतर प्रभावकारी प्रोग्रामिंग द्वारा दूर करने की कवायद करनी होगी।
- सभी बैंकों को अपने सभी ए.टी.एम. में हर वक्त एक सुरक्षाकर्मी सहित यथेष्ट धनराशि रखने की व्यवस्था करनी होगी।
- सरकार द्वारा कृषि तथा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित सभी पूर्ववर्ती एवं ताजे कार्यक्रमों एवं उनके सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी लाभग्राही वर्ग के लोगों को प्रदान करने के उद्देश्य से सभी बैंकों को समय-समय पर पंचायत, जिला तथा प्रमंडलीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।
- कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों की जानकारी देने वाले जन जागरूकता कार्यक्रमों में बैंकों

द्वारा स्थानीय तौर पर उपलब्ध बैंक प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र, विश्वविद्यालयीन ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग तथा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन विश्वविद्यालय के स्थानीय अध्ययन केंद्र के अंतर्गत ग्रामीण विकास के संकाय सदस्यों आदि की मानदेय आधारित सेवाएं ली जा सकती हैं।

- बैंकों को अपने सभी कर्मियों एवं अधिकारियों को बड़े जमाकर्ताओं तथा संसाधनविहीन छोटे ग्राहकों से भी मित्रवत् व्यवहार करने की सलाह देनी होगी।
- प्रतिदिन सभी आय वर्ग के लोगों की बैंकों पर बढ़ रही निर्भरता के मद्देनजर सभी बैंकों में सभी संवर्गों में रिक्त पदों को तत्काल भरा जाना चाहिए।
- बैंक कर्मियों तथा अधिकारियों की कार्य दक्षता में गुणवत्तापूर्ण वृद्धि लाने के उद्देश्य से सभी वर्ग के ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार सहित निश्चित समयावधि में उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वालों की पहचान कर उन्हें अपेक्षाकृत जल्द पदोन्नति प्रदान करने की नीति पर विचार करना चाहिए।
- बैंकों में बढ़ रहे एन.पी.ए. को नियंत्रित करने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे दृढ़ ऋणाचार वाले ऋणों (यथा आवास ऋण आदि) की ब्याज राशि की लगातार तीन महीनों या निर्धारित समयावधि तक अदायगी नहीं होने पर उसे एन.पी.ए. घोषित नहीं करें। एन.पी.ए. घोषित किए जाने के पूर्व बैंकों को यह तहकीकात कर लेनी चाहिए कि संबंधित ऋण प्राप्त करनेवाले व्यक्ति का उसकी संस्था/विभाग/संगठन/फर्म द्वारा मासिक वेतनों का भुगतान हुआ

है अथवा नहीं, अथवा सरकार की बदल रही नीतियों के तहत, जिस विभाग में वह ऋण प्राप्तकर्ता कार्यरत था, वह समय पूर्व बंद तो नहीं हो गया?

- जन-धन योजना के तहत प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की देश के सभी नागरिकों के लिए बैंक खाता खोलने की मंशा को मूर्त रूप देने हेतु प्रथम वर्ष 7.50 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि प्रथम 40 दिनों में ही 5 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। इस योजना के तहत आधार नंबरों को बैंक खातों से जोड़ा जाना है। ई-केवाईसी जैसी सुविधाओं का उपयोग भी अधिक से अधिक बढ़ाना है। भारतीय बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली को अद्यतन तथा त्रुटिरहित तकनीकों के प्रयोग द्वारा इस प्रकार विकसित करना होगा जिससे जनसामान्य को बिना कठिनाई के सुविधाएं समय पर मिल सकें।

संदर्भ विवरणिका

- (1) अग्रवाल अंशलिया “बैंकिंग सेवाओं के वैकल्पिक डिलिवरी चैनल”, बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन (जुलाई-सितंबर, 2011) पृष्ठ सं. 47-52
- (2) कुमारी राजेश्वरी “इंडियन बैंकिंग पास्ट, प्रेजेंट एण्ड फ्यूचर”, डॉ. रामाशीष पूर्व (संपादित) “न्यू डाइमेंशंस ऑफ इंडियन बैंकिंग”, सेरियल्स पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली (2010)”, पृष्ठ सं. 18-41
- (3) डॉ. पूर्व, रामाशीष “इंडियन बैंकिंग टूडे एण्ड टूमॉरो”, वही, पृष्ठ सं. 42-52

○○○

नई बैंकिंग व्यवस्था में वित्तीय समावेशन का महत्त्व

हमारे देश में सरकार का प्रारंभ से ही यह उद्देश्य एवं प्रयास रहा है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब एवं ग्रामीण जनता को उचित आर्थिक सहायता देकर उन्हें समाज के अन्य वर्गों के बराबरी तक लाया जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुरूप देश में लगभग 59 प्रतिशत परिवार ही बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए हैं। शहरों में 68 प्रतिशत और गांव में 54 प्रतिशत परिवारों के खाते बैंक में खुले हुए हैं अर्थात् देश की करीब आठ करोड़ शहरी और ढाई करोड़ ग्रामीण आबादी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है। यदि यह मान लिया जाए कि साधन संपन्न लोगों के एक से अधिक खाते हैं तो बैंक खाता रखने वाले लोगों में और कमी हो जाएगी। बैंक में खाता न रखने वाले लोगों में समाज के कमजोर वर्ग, अशिक्षित, भूमिहीन श्रमिक, प्रतिदिन मजदूरी करने वाले मजदूर, लघु एवं कुटीर उद्योग में काम करने वाले श्रमिक एवं महिलाएं आदि शामिल हैं जिनको बैंक में खाता खोलने का या तो समय नहीं है अथवा इससे उन्हें कोई लाभ दिखाई नहीं देता है। अभी भी देश में अनेक भौगोलिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी बैंकिंग शाखाएं नहीं खोली गई हैं। अतः वहां के लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहते हैं। ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों के लोग



डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह¹
डॉ. लोकेन्द्र सिंह²

खाता खोलने में, कुछ आवश्यक औपचारिकताएं करने में तथा खाते में न्यूनतम धनराशि रखने में हिचकते हैं। साथ ही, नई सूचना प्रौद्योगिकी के बैंकिंग क्षेत्र में आने से उसका प्रयोग करने में संकोच करते हैं।

किसी समाज में यदि सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं तक सभी की बाधरहित पहुंच नहीं है तो उसे पूरी तरह मुक्त और सक्षम समाज नहीं कहा जा सकता है। बैंकिंग सेवाएं भी सार्वजनिक प्रकृति की हैं जिन्हें बगैर किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक पहुंचाना वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही, इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित आबादी में बैंकिंग की आदत डालना एवं उन्हें सूदखोरों एवं असंगठित मुद्रा बाजार द्वारा किए जा रहे शोषण से छुटकारा दिलाना भी है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्र के गरीबों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं को बैंक के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाना, गरीबों को महाजनों एवं साहूकारों के चंगुल से बचाना तथा बैंकिंग सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के सबसे कमजोर एवं गरीब वर्गों को वहन करने योग्य लागतों पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। बैंकिंग सेवाओं का भारत की गरीब जनता में समावेश एवं बैंकिंग सुविधाओं को न्यूनतम लागत पर अन्त्योदय के रूप में समाज के निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचाना ही वित्तीय समावेशन है। वित्तीय समावेशन में ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। अतः वित्तीय

¹ एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद-(उप्र)

² सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जनता वैदिक कॉलेज, बड़ौत-(उप्र)

समावेशन के अंतर्गत कम आय वाले और समाज के कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से संबद्ध करना, उन्हें कम लागत पर ये सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और सभी वयस्क व्यक्तियों को बैंक में खाता खोलकर बैंक से जोड़ना शामिल है।

सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के जरिए समाज के एक बड़े वर्ग को बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' को प्रारंभ करने के पीछे यही उद्देश्य रखा है कि देश के सभी वयस्क व्यक्तियों का बैंक में कम-से-कम एक बचत बैंक खाता अवश्य हो। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई है। वित्तीय समावेशन हमारे नीति निर्माताओं के लिए आज सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है क्योंकि जब तक हम लोगों की पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, हम स्थायी विकास के बारे में नहीं सोच सकते। अधिकतम लोगों तक सुचारु रूप से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बैंकों को जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत बनाना होगा। उन्नत प्रौद्योगिकी और कार्यकुशल जनशक्ति का नियोजन करना होगा। पिछले दशक के दौरान भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में नियमों एवं नीतियों में जो परिवर्तन किए गए हैं उनके कारण हमारे बैंकों के विकास, परिसंपत्ति, गुणवत्ता और लाभप्रदता में काफी सुधार हुआ है। बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है, परंतु चिंता की बात यह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद समाज के एक बड़े वर्ग को विशेष रूप से कम आय वाले लोगों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों तक बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुंच पायी हैं। वित्तीय समावेशन की आवश्यकता के पीछे एक कारण यह भी है कि लगभग तीस करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं जिन्हें विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है परंतु गरीबों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को भ्रष्टाचार के कारण बड़ा खतरा पैदा हो गया है। भारत में भी सरकार द्वारा लाभों के नकद अंतरण की योजनाएं, जैसे - छात्रवृत्तियां, वृद्धावस्था पेंशन योजना, एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा, खाद्य एवं उर्वरक अनुदान

तथा सर्व शिक्षा अभियान आदि मामलों में भुगतान, खातों के माध्यम से करने का प्रावधान रखा है ताकि इनके वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और यह वित्तीय समावेशन के द्वारा ही संभव है।

वित्तीय समावेशन की बाधाएं

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में बैंकिंग उद्योग ने पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से प्रगति की है। बैंकिंग की परंपरागत प्रणालियों एवं पद्धतियों को आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी से लैस किया है किंतु हम बैंकिंग के क्षेत्र में अभी भी पूर्ण ऊंचाइयों को नहीं छू पाए हैं और वित्तीय समावेशन की आवश्यकताओं को महसूस करते हैं। वित्तीय समावेशन की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं -

- ग्रामीण, पिछड़े एवं दूरस्थ स्थानों में बैंकिंग की बुनियादी सुविधाओं और ढांचागत संरचना का आज भी अभाव है।
- गरीबी के चलते ऋण लेकर गरीब लोग कुछ व्यापार या रोजगार तो चला सकते हैं किंतु बचत के अभाव में वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
- आज बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसा वातावरण बनाकर रखते हैं कि वहां गांव के गरीब व्यक्ति प्रवेश करने में संकोच करते हैं जिसके कारण इन्हें बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं मिल पाती है। अतः वे अपने को अलग-अलग महसूस करते हैं।
- शिक्षा के अभाव में ग्रामीण एवं गरीब सरकार द्वारा शुरू की गई गरीबी उन्नयन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। साथ ही, बैंकों द्वारा गरीबों के विकास हेतु बनाई गयी योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है।
- एक तरफ गरीबों एवं ग्रामीणों का बैंकों के प्रति पूर्ण विश्वास विकसित न होने के कारण इनको बैंकिंग सेवाओं से वंचित रखा जाता है, दूसरी ओर पैसे के प्रति गरीबों व ग्रामीणों का अति लगाव होता है और वे पैसे को अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं, जिसके कारण वे बैंक में खाता भी नहीं खोलते हैं।
- ग्रामीण, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं

का आज भी अभाव है। निजी एवं विदेशी बैंकों का इन क्षेत्रों में प्रदर्शन नगण्य रहा है।

- बैंकों द्वारा खाता संचालन हेतु ऐसी शर्तें रखना जिससे कम आय वाले और समाज के कमजोर वर्ग के लोग खाता खोलने और उसको चलाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, जैसे - खाते में न्यूनतम राशि का काफी अधिक होना, एटीएम, एसएमएस प्रभागों की अनिवार्यता आदि।
- बैंकों का उद्देश्य लाभ पर केंद्रित होना।
- पिछड़े एवं दूरस्थ क्षेत्र में धन एवं बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा का अभाव।
- लेनदेन की प्रणाली, बैंकिंग सेवाओं और ऋणों की लागत का अत्यधिक जटिल एवं खर्चीला होना।
- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र की शाखाओं में कार्यरत बैंक स्टाफ को निम्न गुणवत्ता वाला समझा जाना जिससे कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से परहेज करते हैं।
- पिछड़े क्षेत्रों में शाखाओं की आपसी दूरी की अधिकता।
- बैंकों का कार्य-समय ग्रामीणों के लिए उपयुक्त न होना।
- भाषा की समस्या एवं बैंक स्टाफ का स्थानांतरण अधिक दूरी पर करना।
- बैंकों में वांछित उत्पाद का उपलब्ध न होना।

वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका

वित्तीय समावेशन में बैंकों एवं सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण एवं अनपढ़ लोगों को बैंकों से जोड़ने का कार्य बैंक ही कर सकते हैं। इसके लिए बैंकों के साथ-साथ डाकघर, गैर-सरकारी संगठनों एवं स्वयं-सहायता समूहों का सहारा भी लिया जा सकता है। बैंकों द्वारा विज्ञापन के माध्यम से नये-नये वित्तीय उत्पादों की जानकारी दी जा सकती है। बचत के महत्व की जानकारी देते हुए उसे प्रोत्साहित करना, आवश्यकता के समय धन के प्रबंधन हेतु ऋण प्राप्त करने की सलाह देना, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना यह सब बैंकों द्वारा ही संभव है। बैंकिंग सेवाओं में प्रयुक्त नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु समय-समय पर खातेदारों को

प्रशिक्षित करना आदि ऐसे कार्य हैं जो बैंक बखूबी निभा सकते हैं। बैंकों द्वारा ग्रामीण शाखाओं का विस्तार, मानव संसाधन में वृद्धि, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बैंककर्मियों की भर्ती, ग्रामीणों के अनुरूप वित्तीय उत्पाद, ग्रामीणों के प्रति सहयोग का रवैया और प्रौद्योगिकी संबंधी समस्याओं का निवारण कर वित्तीय समावेशन में बैंक अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए बैंकों को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा और बैंकों को क्षेत्र अथवा गांव बांटकर एवं स्थानीय लोगों का सहारा लेकर शून्य शेष पर खाते खोलने होंगे और प्रचार-प्रसार करना होगा।

वित्तीय समावेशन का विस्तार

वित्तीय समावेशन के विस्तार हेतु पूर्व में भी निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं और समाज के सभी वर्गों को इसमें शामिल किया जाता रहा है। वित्तीय समावेशन का विस्तार दो तरीकों से किया जा सकता है - पहला, सरकार वैधानिक रूप से कानून बनाए। दूसरा, बैंकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से विभिन्न योजनाएं बनाकर अधिक से अधिक लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए ताकि लोगों की बैंकों तक पहुंच को आसान बनाकर उन्हें ऋण एवं मुफ्त वित्तीय सलाह उपलब्ध करायी जाए। विगत वर्षों में बैंकों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण एवं गंभीर प्रयास किए गए हैं -

- बैंकों द्वारा समाज के निम्न वर्ग के लोगों को बैंकों से जोड़ने हेतु खाता खोलने के नियमों और 'अपने ग्राहक को जानिए' संबंधी मानदंडों को काफी सरल बनाया है।
- "प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के अंतर्गत बैंकों द्वारा शून्य या बहुत ही कम राशि से कमजोर वर्गों के खाते खोले जा रहे हैं और इन खातों में न्यूनतम शेष न रखने पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही, तीस हजार रुपये तक का बीमा भी उपलब्ध कराया गया है।
- 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' के अंतर्गत खुलवाए गए खातों पर 'रूपे डेबिट कार्ड' दिया जाएगा और एक लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी देय होगा। छह माह तक खाते का सही संचालन होने पर पांच हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी उपलब्ध होगी।

- प्रौद्योगिकी का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए सामान्य शर्तों पर गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े तथा कमजोर वर्गों को आसान शर्तों पर सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना किसी प्रतिभूति के ऋण जारी किए गए हैं। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी किसानों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- बैंकों से जोड़ने हेतु स्वयं-सहायता समूह गठन कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण एवं सहायता की अधिकतम राशि स्वीकृत की जा रही है।
- नवीनतम एवं उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया है।
- बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किसान क्लबों की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से लघु वित्त, फसल बीमा तथा बैंकिंग की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी दी जाती है।
- बैंकों द्वारा अपनी नई शाखा खोलने के लिए अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों का चयन किया गया है।
- बैंकों द्वारा सरकार की प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को निर्धारित मानकों में कृषि, लघु उद्योग, शैक्षणिक ऋण और कम लागत के आवास ऋणों को शामिल किया गया है।
- बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा निजी क्षेत्र के बैंकों हेतु लाइसेंस में छूट दी गयी है।
- अलग-अलग ग्राहकों एवं ऋणों हेतु ब्याज दरों में भिन्नता रखी गई है और समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए विशेष ऋण योजनाएं चलाई गई हैं।

वित्तीय समावेशन की चुनौतियां

वित्तीय समावेशन के लिए सरकार एवं बैंक पूर्णतः प्रयासरत हैं किंतु फिर भी लगभग 40 प्रतिशत लोगों के पास बैंकिंग की पहुंच नहीं है। परिणामस्वरूप लोगों के जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है, अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है एवं ऋणग्रस्तता, शोषण, बेरोजगारी, आत्महत्याएं इत्यादि बढ़ी हैं। बैंकिंग सेवाओं के उपलब्ध न हो पाने के कारण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध हुआ है और भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अतः वित्तीय

संस्थाओं के लिए यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे लोगों को यथाशीघ्र बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। वित्तीय समावेशन के माध्यम से यह कार्य करने की बड़ी चुनौती अब बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख है जो निम्नलिखित हैं-

- वित्तीय समावेशन के लिए कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास की समस्याओं का समाधान एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इनको दूर किए बिना बैंकिंग क्षेत्र का विकास संभव नहीं है।
- ग्रामीण ऋणों का अधिकांश भाग आज भी अनौपचारिक स्रोतों अर्थात् साहूकार एवं महाजनों आदि के द्वारा अनुत्पादक कार्यों हेतु ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता है।
- भारत सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि निरंतर हो रही है। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में जीवनयापन करने को लोग मजबूर हैं। अतः इनके लिए भविष्य की योजनाएं बचत करना या बैंकिंग का बेहतर उपयोग है।
- आज भी जहां वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध हैं, उनके द्वारा नियमों की जटिलता के चलते समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अतः गरीब एवं ग्रामीण लोग साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में आज भी रोजगार के अवसरों की कमी है, जिसके लिए दोषपूर्ण वित्तपोषण भी जिम्मेदार है।
- हमारे देश में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा तथा साक्षरता का अभाव है जबकि साक्षरता एवं प्रति-व्यक्ति आय में सीधा संबंध है जो वित्तीय समावेशन को प्रभावित करता है।
- वित्तीय समावेशन ऐसे क्षेत्रों में आज भी चुनौती बना हुआ है जहां आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। परिवहन के साधनों का अभाव, वन क्षेत्र, बर्फीले स्थान, आदिवासी क्षेत्र, अशांत क्षेत्र ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय संस्थाएं अपनी शाखाएं नहीं खोल पाती हैं।
- वित्तीय समावेशन में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों का बड़ा योगदान हो सकता है किंतु जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये बैंक बनाए गए थे वे अपना

उद्देश्य ही पूरा नहीं कर पाए और कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अनर्जक आस्तियों में वृद्धि के कारण ये बैंक असफल हो रहे हैं तथा अपने व्यवसाय को बढ़ाने से हिचकते हैं।

- बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के पीछे उद्देश्य था कि ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे किंतु आज बैंकिंग का उद्देश्य परिवर्तित होकर लाभार्जन करना हो गया है। अतः व्यावसायिकता एवं शहरी बैंकिंग के कारण ये बैंक अपने उद्देश्य से भटक गए हैं जबकि वित्तीय समावेशन में इन बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
- बैंकिंग क्षेत्र में नई सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीक के विषय में जानकारी का अभाव भी वित्तीय समावेशन के लिए चुनौती बना हुआ है क्योंकि बैंकिंग सुधारों के बाद बैंकिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दिए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी पूर्णतः लागू नहीं हो पाए हैं।

वित्तीय समावेशन संबंधी सुझाव

वित्तीय समावेशन की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब हमारा ग्राहक वित्तीय उत्पादों को समझकर उसमें निहित जोखिम और लाभ का विश्लेषण स्वयं कर सके। बैंक भी यह सोचते हैं कि वित्तीय समावेशन लागू करने से उनके लाभ पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब जनता को बैंक से जोड़ने पर लागत तो बढ़ेगी ही, जमा व ऋण उस अनुपात से नहीं बढ़ेंगे। देखने में यह आया है कि गरीब लोग आदतन चूककर्ता नहीं होते। स्वयं-सहायता समूह भी अच्छा व्यवसाय दे रहे हैं और इनमें गैर-निष्पादक आस्तियां नाममात्र की हैं। गांव के गरीब लोगों के लिए ऐसे उत्पाद विकसित किए जा सकते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हों। साथ ही, नई प्रौद्योगिकी का सही प्रयोग कर बैंक अपनी लागत में भी कमी कर सकते हैं। अतः वित्तीय समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव हो सकते हैं -

- वित्तीय समावेशन का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जहां अभी तक बैंकिंग सुविधाओं का पूर्ण अभाव है क्योंकि ऐसी जगह ग्राहक बैंकिंग गतिविधियों से तुरंत जुड़ जाएंगे।
- वित्तीय समावेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए

ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए। यह आवश्यक न हो कि परिवार में सभी व्यक्तियों का बैंक खाता खोला जाए, अतः केवल परिवार के कर्ता का खाता खोला जाना चाहिए।

- ग्राहकों की आवश्यकता, क्षेत्र एवं सुविधानुरूप ही बैंक उत्पाद निर्गत किए जाएं।
- बैंकों द्वारा ग्राहक संबंधी सूचनाओं को एकत्रित किया जाए। साथ ही, उनको आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए ताकि एक ही ग्राहक के एक से अधिक खाते न हों।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को कृषक प्रशिक्षण केंद्र, ब्लाक, तहसील, शिक्षण संस्थाओं आदि के माध्यम से लागू किया जाए।
- वित्तीय शिक्षा की जानकारी का प्रचार-प्रसार क्षेत्रीय भाषा में लोकप्रिय माध्यमों से कराया जाए।
- वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए बैंकों को सरल प्रक्रिया अपनाकर एवं रूढ़िवादिता को दूर कर ग्राहकों की भाषा में सहयोगात्मक रुख अपनाना होगा।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत महिला बैंकों का विस्तार किया जाए ताकि महिला उद्यमी, महिला स्वयं-सहायता समूह एवं महिला लघु एवं कुटीर उद्योग आसानी से अपने खाते खोलकर व्यवसाय चला सकें।
- वित्तीय समावेशन अभियान को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंकों के साथ-साथ राज्य सरकारों की भी सक्रिय भूमिका हो, जिससे राज्य एवं केंद्र सरकार से मिलनेवाले भुगतान, चीनी मिलों एवं मण्डी समिति से प्राप्त भुगतान, छात्रवृत्तियां, पेंशन आदि सभी भुगतान बैंकों के माध्यम से किए जा सकें।
- वित्तीय समावेशन हेतु वित्तपोषण के साथ-साथ बैंकों द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए कृषि मेलों का आयोजन कर जागरूकता फैलायी जाए।
- बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में लागू प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढ़ लोगों को बैंक एवं खातों संबंधी जानकारी देकर उनके शून्य शेष पर खाते भी खोल सकता है।

- वित्तीय समावेशन हेतु डॉक्टर, बैंककर्मी, इंजीनियर, अध्यापक, वैज्ञानिक, व्यापारी व प्रशासन का सहारा लिया जा सकता है क्योंकि ये सभी जनता के सीधे संपर्क में रहते हैं।
- दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाले सौर ऊर्जा चालित बायोमैट्रिक एटीएम स्थापित किए जाएं। इससे कार्डों का उपयोग भी बढ़ेगा और प्रौद्योगिकी का लाभ निचले स्तर तक पहुंचेगा।
- वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष सभी बैंक शाखाओं का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि लक्ष्यानुरूप जिन लोगों के बैंक खाते नहीं हैं उनके खाते खोले जाएं।
- ग्रामीण शाखाओं में जमा एवं ऋण वितरण प्रणाली को आसान बनाया जाए तथा एक बैंककर्मी खातेदारों के फार्म भरने तथा संबंधित जानकारी देने हेतु पूछताछ कक्ष पर कार्यशील घण्टों में उपलब्ध रहे।

वित्तीय समावेशन के तारतम्य में “प्रधानमंत्री जन-धन योजना” की शुरुआत की गई है जिसके अंतर्गत 7.5 करोड़ खाते

खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत बैंकों में काफी खाते खुल भी चुके हैं किंतु समस्या यह है कि अधिकांश वे लोग ही पुनः खाते खोल रहे हैं जिनके बैंक में पहले से ही खाते खुले हुए हैं। इस योजना का प्रभाव ग्रामीणों के जीवन स्तर में निश्चित रूप से सुधार लाएगा और यह काफी लोगों को रोजगार अथवा अपना कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। केवल यह सोचकर कि गरीब व्यक्ति प्रतिभूति उपलब्ध नहीं करा सकते या यह सोचकर कि इस प्रकार के लोगों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने से लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, उन्हें वित्तीय सेवाओं से दूर रखना ठीक नहीं है। राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना जाना चाहिए, बैंकहित उसके बाद में है। अतः वित्तीय समावेशन के द्वारा गरीब एवं वंचित लोगों को उत्पादक कार्यों में संलग्न होने एवं जीविका चलाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए अन्यथा देश के विकास का सपना देखना बेमानी होगी। इससे संबद्ध सभी पक्षों को अपनी सोच में बदलाव लाकर समर्पण की भावना एवं प्रतिबद्धता से कार्य करना होगा, तभी हम इस मुहिम में सफल हो पाएंगे और बैंक भी इस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक कर पाएंगे।

○○○

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

वित्तीय समावेशन की मुहिम में प्रधानमंत्री जन-धन योजना मील का पत्थर साबित हुई है। इस योजना की शुरुआत की घोषणा 15 अगस्त 2014 के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाल किले के प्राचीर से की गई थी एवं 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ भी उनके द्वारा ही किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सुविधाओं के दायरे में लाकर वित्तीय वंचन को समाप्त करना है।

इस योजना के तहत शुरुआती लक्ष्य यह रखा गया था कि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे ऐसे प्रत्येक परिवार के लिए जिनका किसी बैंक में कोई खाता नहीं है उनके 26 जनवरी 2015 तक ‘शून्य’ शेष राशि पर कुल 7.5 करोड़ खाते खुलवाए जाएंगे। भारत सरकार के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा 20 जनवरी 2015 को यह बताया गया कि 17 जनवरी 2015 की स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत रिकॉर्ड 11.50 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और खातेदारों द्वारा इन खातों में लगभग ₹9,188 करोड़ जमा भी किए जा चुके हैं। उनमें से 10 करोड़ से अधिक खाताधारकों को ‘रुपे कार्ड’ जारी किया गया है। ‘रुपे कार्ड’ धारकों को एक लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं पात्र समझे जाने वाले लाभार्थियों को ₹30,000 के जीवन बीमा कवर का लाभ भी मिलेगा।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना की लोकप्रियता, प्रभावशीलता एवं उत्पादकता इस बात से साबित होती है कि वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में यह विश्व की सबसे बड़ी सार्थक पहल है एवं इसके तहत हासिल की गई उपलब्धियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है।

○○○

आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था और कॉरपोरेट गवर्नेंस

एक कॉरपोरेट संस्थान विभिन्न हितधारकों - ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक, विक्रेता, सहभागी, सरकार और समाज - की एक सामूहिक संस्था है। इस इकाई को अपने हितधारकों से व्यावसायिक लेनदेन में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। आज के वैश्विक व्यावसायिक वातावरण में जहां कॉरपोरेट इकाइयां पूंजी की आवश्यकता के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही हैं, प्रौद्योगिकी को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विक्रेताओं से बड़े स्तर पर अनुबंध कर रही हैं और समाज के साथ सद्भावपूर्ण संबंध बनाकर चलना चाहती हैं, ऐसे में **कॉरपोरेट गवर्नेंस** अपरिहार्य हो गया है। अतः यह आवश्यक है कि बैंक/वित्तीय संस्थाएं भी अपने कारोबार में नैतिक आचरण को अपनाएं।

संस्कृति में नैतिक मूल्यों को ही 'धर्म' कहा गया है। धर्म एक मानक या मानदंड है जो आचरण एवं व्यवहार से संबंधित है। यह दिशा-निर्देश देता है कि हमारा व्यवहार और मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? व्यवसाय के संबंध में इनका महत्त्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि



राजेंद्र सिंह

मुख्य प्रबंधक (से.नि.)
इंडियन ओवरसीज़ बैंक

कोई भी प्रणाली, कोई भी समाज या संस्था स्थायी न्याय और नैतिक संवेदना के बिना स्वस्थ नहीं रह सकती। यही कॉरपोरेट इकाइयों के लिए भी लागू होता है।

कॉरपोरेट इकाइयों में कार्यरत जनशक्ति में नैतिकता या नैतिक व्यवहार का गुण अनिवार्य है। यह व्यक्तिगत गुण है। नैतिकता व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, मूल्यों, संस्कृति, शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है।

नैतिक व्यवहार की शुरुआत उच्च स्तर पर अर्थात् बैंकों के संचालक मंडल से होती है। व्यावसायिक प्रबंधन में नैतिकता का अर्थ विभिन्न हितधारकों के बीच आपसी टकराव रोकना, संवेदनशील सूचनाओं को गोपनीय रखना, स्पष्ट रूप से और सत्यनिष्ठा से उपलब्धियों का प्रकटीकरण, संस्था के लिए आदर और सम्मान की भावना आदि से है।

आज के युग में जहां आए दिन मीडिया के माध्यम से कॉरपोरेट इकाइयों में व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों की घटनाओं का जिक्र होता रहता है, इसी को ध्यान में रखते हुए कॉरपोरेट गवर्नेंस में नैतिक मसलों की प्रासंगिकता बढ़ गई है।

बैंकों में जालसाजी, कपट, जानबूझकर चूककर्ताओं का दबाव बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि आजकल नीति-नियंताओं का ध्यान कॉरपोरेट गवर्नेंस की ओर आकृष्ट हुआ है। इसके सही अर्थों में अनुपालन के लिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

पूरे विश्व के सभी देशों में इन घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है और संबद्ध सरकारों द्वारा वैधानिक और विनियामक सुधारों को विकसित करने और उन्हें लागू करने में पूरी गंभीरता बरती जा रही है।

भारत में नीति-नियंताओं द्वारा अनवरत रूप से स्व-विनियमन लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में कॉर्पोरेट अनुशासन, कॉर्पोरेट पारदर्शिता, कॉर्पोरेट स्वावलंबन, कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट जिम्मेदारी एवं कॉर्पोरेट निष्पक्षता पर बल दिया जा रहा है। हाल ही में कंपनी अधिनियम-2013 में अन्य संशोधनों को भी शामिल किया गया है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बल प्रदान करते हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परिभाषा

इसकी परिभाषा पहली बार नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडमैन ने दी थी। इनके अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अर्थ व्यवसाय को इस तरह चलाना है जिससे सभी हितधारकों, जिनमें शेयरधारक भी शामिल हैं, को लाभ पहुंचे, जिसमें सामाजिक व्यवस्था द्वारा बनाए गए बुनियादी नियमों का भी पालन हो।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अन्य परिभाषाएं

- यह नियमों, विनियमों और व्यवहारों की ऐसी प्रणाली है जिससे कॉर्पोरेट को बढ़ावा मिलता है, कार्य निष्पादन में तेजी आती है और सभी उत्तरदायित्व सुनिश्चित होते हैं। यह कॉर्पोरेट इकाई के निष्पादन और परिचालन को प्रभावशाली बनाने में प्रोत्साहन भी देता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भाषा में प्रभावशाली परिचालन का अर्थ मात्र शेयरधारकों का मूल्य संवर्धन ही नहीं अपितु सभी हितधारकों के हितों का संरक्षण करना है।
- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस श्रेष्ठ प्रबंधन व्यवहार, नियमों का पूरी गंभीरता से अनुपालन, संपत्तियों के वितरण और सभी हितधारकों के अनवरत विकास के लिए सामाजिक दायित्वों का निर्वहन है।
- कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी भी कंपनी को चलाने की प्रणालियों, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के मिले-जुले रूप को कहते हैं। इनसे दिशा-निर्देश मिलता है कि कंपनी का संचालन और उस पर नियंत्रण किस तरह किया जाए कि इससे कंपनी की गुणवत्ता बढ़े और इससे संबंधित

लोगों को दीर्घकालिक तौर पर लाभ हो। यहां संबंधित लोगों के दायरे में कंपनी का निदेशक मंडल, कर्मचारी, ग्राहक और पूरा समाज शामिल है। इस तरह से कंपनी का प्रबंधन अन्य सभी लोगों के लिए ट्रस्टी की भूमिका में आता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मात्र सैद्धांतिक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। बैंकों में सात क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर बैंकों का सफल निष्पादन टिका हुआ है। ये हैं - (1) अनुशासन, (2) पारदर्शिता, (3) स्वावलंबन, (4) उत्तरदायित्व, (5) जिम्मेदारी, (6) निष्पक्षता (7) सामाजिक दायित्व।

किसी भी संस्था का श्रेष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य कारणों पर निर्भर करता है। बाह्य कारणों में प्रौद्योगिकी की उपलब्धता, कम लागत, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि हैं। आज बैंकिंग क्षेत्र में गुणवत्ता और पारदर्शिता में गिरावट देखी जा रही है। इसी कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य श्रेष्ठ व्यवहारों को लागू करना अनिवार्य हो गया है। इसी संकल्पना के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उत्पत्ति हुई है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मूल्यों एवं व्यवसाय में आचार संहिता पर विशेष बल दिया गया है। विशेषज्ञों ने इसकी परिभाषा निम्न रूपों में दी है:-

- सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- कॉर्पोरेट और अंशधारकों के बीच संबंधों में सुधार लाना।
- लोगों में दूरदृष्टि की सोच पैदा करना।
- सभी अंशधारकों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करना और कार्यपालक प्रबंधन का सुव्यवस्थित अनुश्रवण करना जिससे सभी हितधारकों की रक्षा हो सके।

विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष जेम्स वोलफेन्शन के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अर्थ निष्पक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा दी गई परिभाषा का आशय एक ऐसी प्रणाली से है जिससे कॉर्पोरेट प्रतिष्ठानों का निर्देशन एवं नियंत्रण होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का

ढांचा हितधारकों के बीच अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों की सीमा सुनिश्चित करता है। साथ ही, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मामलों में लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में नियम एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण भी करता है। इस तरह कॉर्पोरेट गवर्नेंस केवल एक ढांचा ही नहीं है अपितु यह कंपनी के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के तरीकों एवं अनुश्रवण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य किसी व्यवसाय में आचार संहिता का अनुपालन है। आचार संहिता उन मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित है जो एक व्यक्ति को सही और गलत के निर्णय में चुनाव करने के योग्य बनाती है जिससे श्रेष्ठ विकल्पों की खोज की जा सके। आचार संहिता अनुपालन में दुविधा की स्थिति भी खड़ी हो जाती है क्योंकि संबंधित पक्षों के हितों में टकराव होता है। जब प्रबंधकगण आचार संहिता, संस्था की छवि, परिस्थिति और इसकी संस्कृति से प्रभावित होकर निर्णय लेते हैं तो इससे एक अच्छा संदेश जाता है जिसके परिणाम भी श्रेष्ठ होते हैं।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धान्त

पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कंपनी के कारोबार को चलाना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मूल सिद्धांत है। इसमें लेनदेन की गतिविधियों में ईमानदारी बरतना, कंपनी के परिणामों और फैसलों को सार्वजनिक करना, देश के कायदे-कानून का पालन करना और लोगों के भरोसे को बनाए रखना शामिल है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर बाजार नियामक संस्था सेबी ने खास तौर पर कहा है कि कंपनी का प्रबंधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि व्यक्तिगत संपत्ति के दायरे में क्या है और कंपनी की संपत्ति के दायरे में क्या है?

कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों महत्वपूर्ण है?

जिन कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है उन पर लोगों का भरोसा कायम रहता है। किसी कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति और उनकी सक्रियता से बाजार में उसकी स्थिति अच्छी होती है। आम तौर पर देखा जाता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जब किसी कंपनी में अपना निवेश करना चाहते हैं, तो वे कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर विशेष ध्यान देते हैं।

साथ ही, कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस कंपनी के शेयरों की

कीमत पर भी असर डालता है। यदि किसी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होता है तो बाजार से उसे रकम जुटाने में भी आसानी होती है। लेकिन इन सबके बीच दुःखद बात यह भी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चर्चा तभी होती है जब बड़े पैमाने पर कोई जालसाजी होती है।

आचार संहिता नेतृत्व

आज बैंकों में आचार संहिता नेतृत्व की परम आवश्यकता है क्योंकि बैंकों में अभी हाल में घटी घटनाओं से छवि प्रभावित हुई है। इससे सभी हितधारकों में एक गलत संदेश गया है और उनकी आशाओं पर कुठाराघात भी हुआ है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में निरंतर सुधार लाने के लिए बैंकों में बदलती परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने की आवश्यकता प्रखर हुई है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यह भी प्रासंगिक है कि सुप्रबंधित कंपनियां लाभ तो अर्जित कर सकती हैं परंतु सुसंचालित कंपनियां वैश्वीकरण के इस युग में मूल्यवर्धन प्राप्त करेंगी क्योंकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित व्यापक रणनीतियां सभी हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करती हैं।

इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के पूर्व प्रबंध निदेशक श्री नंदन नीलेकणी की मान्यता है कि बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहां शेयरधारकों के मूल्य में वर्धन करता है, वहीं यह सर्वोत्तम और सुप्रसिद्ध कंपनियों के लिए पूंजी को न्यूनतम कीमत पर आने के लिए आमंत्रित करता है और साथ ही अच्छी साझेदारी और सहयोग बनाने के लिए दरवाजे भी खोलता है। अतः कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अच्छी कारोबारी प्रथा है।

पूंजी को आकर्षित करने के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि वे बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानदण्डों का पालन करें क्योंकि वैश्विक मंदी और वैश्वीकरण के कठिन और प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में कॉर्पोरेट गवर्नेंस संभावनाओं के दरवाजे भी खोलता है।

कैडबरी समिति रिपोर्ट (1992) ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एक साधारण परिभाषा दी है। इसके अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा कंपनियों को निर्देश दिया जाता है और उन पर नियंत्रण किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस वित्तीय सत्यनिष्ठा है जिसका महत्व आजकल काफी बढ़ गया

है। अतः निदेशकों और सभी संबंधित पक्षों को स्पष्ट, निष्कपट और खरा होना चाहिए। जहां वित्तीय निर्णय में आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई हो वहां पारदर्शिता को उच्च महत्त्व देने की आवश्यकता होती है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉर्पोरेट प्रणाली एवं इसके विविध स्वामित्व की इकाइयों के कारण देश में खुशहाली, रोजगार की संभावनाएं और जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ है। फिर भी, इन सफलताओं के साथ-साथ विनियामकों को इनकी असफलताओं के लिए चिंता भी झेलनी पड़ी है। वर्तमान नियम, कानून और नियंत्रण, बढ़ती धोखाधड़ियों और जानबूझकर की जानेवाली धोखाधड़ियों को रोकने में अपर्याप्त और कमजोर साबित हुआ है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सारबेन्स-आक्सली अधिनियम-2002 इसी कारण से लाया गया जिससे कॉर्पोरेट असफलताओं पर लगाम लगाई जा सके और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गुणवत्ता का समावेश हो सके और निदेशकों का विश्वास पुनः प्राप्त किया जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका के सिक्योरिटीज एवं एक्सचेंज कमीशन ने बहुराष्ट्रीय लेखा फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने की पहल की और उनके द्वारा किए गए लेखा प्रणाली मानदंडों के घोर उल्लंघन को उजागर करते हुए उनसे कई मिलियन डॉलर दंड के रूप में वसूले भी।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बढ़ता महत्त्व

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रासंगिकता आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और अविनियमीकरण के बाद बढ़ गई है। बैंकों में प्रबंधन वर्ग को निर्णय लेने में काफी स्वतंत्रता मिली है। अतः यह स्वाभाविक है कि उनका उत्तरदायित्व भी उतना ही बढ़ गया है।

भारत जैसे उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश में विदेशी संस्थागत निवेशकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संकल्पना आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। आज विदेशी निवेशक जिन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं उनमें केवल प्रभावशाली प्रबंधन ही नहीं देखना चाहते हैं, अपितु उनमें बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों का कड़ाई से अनुपालन भी देखना चाहते हैं।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में बहुस्तरीय नियंत्रण है। इन सबके बावजूद सुधार की अपार संभावनाएं हैं। कैडबरी समिति ने जहां भारत में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रति रुचि जागृत की है वहीं भारतीय उद्योग महासंघ ने लेखा परीक्षा के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की है। सेबी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कुमार मंगलम बिरला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति के अनुसार कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्च मानदंड स्थापित किए हैं वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका कॉर्पोरेट संचालन चिंता का विषय है।

कुमार मंगलम बिरला समिति ने अनिवार्य और गैर-अनिवार्य संस्तुतियां दी हैं। इन संस्तुतियों के आधार पर स्टाक एक्सचेंज लिस्टिंग अनुबंध में एक नई धारा-49 जोड़ी गई है। धारा-49 के मुख्य अंश यहां दिए जा रहे हैं -

- निदेशक मंडल शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी है।
- बोर्ड के नियंत्रण के लिए आचार संहिता लागू होनी चाहिए और शेयरधारकों के मूल्य संवर्धन, उनकी सुरक्षा, उनकी धनवृद्धि और कंपनी के संसाधनों में वृद्धि आदि का अविलंब एवं पारदर्शी तरीके से प्रकटीकरण करना चाहिए तथा बैंकों के दैनिक प्रबंधन में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए।
- गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र और गैर-स्वतंत्र रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी/सहयोगी कंपनियों के साथ कोई भौतिक या धन संबंधी संबंध नहीं रखना चाहिए। यदि विगत में संबंध रहा हो तो इसका उल्लेख वार्षिक रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।
- गैर-कार्यपालक निदेशकों विशेषकर स्वतंत्र निदेशकों के चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
- प्रतिभाशाली गैर-कार्यपालक निदेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए।
- सर्वोत्तम स्थिति वही होगी जब गैर-कार्यपालक निदेशक लगभग 50 प्रतिशत और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष

न्यूनतम एक तिहाई सदस्यों द्वारा चुने जाएं। वहीं कार्यपालक अध्यक्ष का चुनाव न्यूनतम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किया जाना चाहिए।

- नामित निदेशकों को किसी भी अन्य निदेशक के समकक्ष स्थान मिलना चाहिए।
- योग्य स्वतंत्र लेखा समिति का गठन होना चाहिए जिनमें न्यूनतम तीन गैर-कार्यपालक शामिल किए जाने चाहिए। गैर-कार्यपालक निदेशकों को वित्तीय एवं लेखा विषयों का जानकार अवश्य होना चाहिए।
- कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग होना चाहिए जिसमें निदेशकों के पारिश्रमिक का प्रकटीकरण होना चाहिए।

नरेश चन्द्र समिति की संस्तुतियां लेखा परीक्षक और कंपनी के संबंधों तथा लेखा परीक्षकों की भूमिका से संबंधित हैं। सेबी समिति द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में अनिवार्य संस्तुतियों में आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, मुख्य कार्य अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी के प्रमाणीकरण, स्वतंत्र निदेशकों की परिभाषा, लेखा समिति की स्वतंत्रता आदि के बारे में चर्चा की गई है।

नारायण मूर्ति समिति की संस्तुतियों में लेखा समिति की भूमिका, संबंधित पक्षों से लेनदेन, जोखिम प्रबंधन, गैर-कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक आदि शामिल हैं। जालसाजी, भ्रष्ट आचरण और रिश्वत जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना, सहयोगी कंपनियों के मामले, वित्तीय विश्लेषक की रिपोर्ट और अन्य गैर-अनिवार्य संस्तुतियां भी शामिल हैं।

बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस निष्पादन के बारे में व्यावहारिक अध्ययन

डॉ. एस.सी. दास, अतिथि संकाय, कोलकाता विश्वविद्यालय ने दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और दो निजी बैंकों आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस व्यवहारों का अध्ययन किया। इस व्यावहारिक अध्ययन में कॉरपोरेट गवर्नेंस का प्रभाव इन बैंकों की कार्यप्रणालियों एवं प्रक्रियाओं पर देखा गया। प्रस्तुत लेख को सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद और रुचिपूर्ण बनाने के लिए इसकी

चर्चा यहां की जा रही है। यह लेख आई.बी.ए. द्वारा प्रकाशित 'इण्डियन बैंकर' के मार्च 2008 अंक में प्रकाशित हुआ है। यह अध्ययन 2005-2006 वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

बैंकिंग क्षेत्र में कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन में बाधाएं

- बैंकों में अनेकों कानून और नियम हैं। ऐसे में उनमें आपस में समरसता न होने के कारण कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन की लागत बढ़ रही है।
- भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक में स्वामित्व और विनियमन का मिला-जुला स्वरूप।
- स्वामित्व की प्रवृत्ति एवं बोर्ड स्तर के प्रतिनिधित्व में असंतुलन।
- बोर्ड के सदस्यों के चुनाव में पारदर्शिता की कमी।
- बोर्ड के उत्तरदायित्व में कमी।
- बैंकों के बोर्ड में गुणवान गैर-कार्यपालक निदेशकों की कमी।

इस अध्ययन में इन चार बैंकों में प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। साथ ही, वार्षिक रिपोर्ट में गवर्नेंस के व्यवहारों के विषयों और उनके प्रतिवेदन की गुणवत्ता का भी अध्ययन किया गया।

कॉरपोरेट गवर्नेंस के मूल तत्त्व और उनके अनुपालन की स्थिति

गवर्नेंस की आचार संहिताओं पर बैंकों का चिंतन : इसमें इन चारों बैंकों की स्थिति के बारे में यहां चर्चा की जा रही है -

- भारतीय स्टेट बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस के श्रेष्ठ व्यवहारों के लिए समर्पित है। बैंक का ऐसा विश्वास है कि समुचित कॉरपोरेट गवर्नेंस अपनाकर प्रभावशाली प्रबंधन, व्यवसाय नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे आगे चलकर बैंक व्यवसाय में उच्च स्तर की आचार संहिता उत्पन्न होती है और सभी हितधारक इससे लाभान्वित होते हैं।
- पंजाब नेशनल बैंक में कॉरपोरेट श्रेष्ठता के आधार पर उच्च स्तर की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, व्यावसायिकता, सामाजिक दायित्वों के प्रति संवेदनशीलता और व्यवसाय

में श्रेष्ठ व्यावसायिक व्यवहारों के प्रति जागरूकता है। बैंक द्वारा सभी स्तरों पर श्रेष्ठ निष्पादन सुनिश्चित किया जाता है जिससे परिचालन क्षमता में वृद्धि हो और हितधारकों को अधिक-से-अधिक लाभ हो।

- आईसीआईसीआई बैंक में कॉरपोरेट गवर्नेंस विनियामक और विधिक आवश्यकताओं की उपलब्धि मात्र नहीं है अपितु श्रेष्ठ व्यवहारों से है जिनका उद्देश्य उच्च स्तर की व्यावसायिक आचार संहिता, प्रभावकारी नियंत्रण एवं सभी हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना है।
- एचडीएफसी बैंक में कॉरपोरेट गवर्नेंस के मूलभूत सिद्धान्तों जैसे स्वावलंबन, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, उचित और समयबद्ध सूचनाओं का प्रकटीकरण, विश्वसनीयता आदि को पूरी तत्परता से लागू किया जाता है।

बोर्ड/निदेशकों से संबंधित मसले

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यथा पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक में कार्यपालक अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बोर्ड में हैं जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष बोर्ड में हैं। आईसीआईसीआई बैंक में स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष पद पर है। आईसीआईसीआई बैंक में सबसे अधिक 12 स्वतंत्र निदेशक हैं जबकि भारतीय स्टेट बैंक में यह संख्या 9, पंजाब नेशनल बैंक में 5 और एचडीएफसी बैंक में 4 है। सेबी के लिस्टिंग अनुबंध की धारा 49 के प्रावधानों के आधार पर जिस बैंक में अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक है उनमें स्वतंत्र निदेशकों की संख्या न्यूनतम 50 प्रतिशत होनी चाहिए और जहां अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक है वहां यह संख्या न्यूनतम 33.3 प्रतिशत होनी चाहिए। यह शर्त इन बैंकों में लागू पाई गई है।

अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की दोहरी भूमिका

श्रेष्ठ कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए यह आवश्यक है कि उच्च स्तर पर जिम्मेदारियों को स्पष्ट होना चाहिए जिससे अधिकार और सत्ता में संतुलन स्थापित हो।

ऐसा देखने में आया है कि भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद अलग-अलग है जबकि पंजाब नेशनल बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पद एक ही है। इन दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस बारे में अपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में न तो कोई औचित्य बताया है और न ही भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी दिशा-निर्देश या आदेश की चर्चा की गई है जिसमें इन दोनों पदों को एक ही में जोड़ दिया गया है।

आईसीआईसीआई बैंक में एक स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष पद पर है जबकि एचडीएफसी बैंक में गैर-कार्यपालक और गैर-स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष पद पर है।

निदेशकों की अवधि और उनकी आयु सीमा

श्रेष्ठ व्यवहार संहिता की मांग है कि स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल सीमित अवधि का होना चाहिए। जहां तक निदेशकों की सेवानिवृत्ति का प्रश्न है इसका निर्धारण संबंधित बैंकों द्वारा किया जाता है। कॉरपोरेट बोर्ड की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के श्रेष्ठ व्यवहारों के तहत आत्म नवीनीकरण की पर्याप्त प्रणाली स्थापित की जाए।

भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में अध्यक्षों एवं कार्यपालक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष की होती है। भारतीय स्टेट बैंक में 11 गैर-कार्यपालक निदेशकों में से 4 गैर-कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशकों की अवधि 3 वर्ष की होती है जिसे अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि वे पुनः चुनकर आते हैं तो अगले तीन वर्षों के लिए उनकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।

आईसीआईसीआई बैंक में कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर 1 से 3 वर्षों के लिए की जा सकती है। गैर-कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए) के कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं होती। उन्हें आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्त किया जाता है और विधि के अनुसार वे पुनः नियुक्त कर लिए जाते हैं। एचडीएफसी बैंक में कार्यपालक निदेशकों की अवधि निर्धारित नहीं की गई है जबकि गैर-कार्यपालक निदेशकों की अवधि निर्धारित की गई है। गैर-

कार्यपालक अध्यक्ष की अवधि तीन वर्षों की होती है और गैर-कार्यपालक निदेशकों की अवधि 8 वर्षों तक होती है।

इन सभी बैंकों में गैर-कार्यपालक निदेशकों की आयु सीमा के बारे में कोई नीति नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक में एक स्वतंत्र निदेशक की आयु 82 वर्ष जबकि पंजाब नैशनल बैंक में 71 वर्ष है।

आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में निदेशकों की आयु सीमा के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के सदस्यों का चयन

एक श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए यह आवश्यक है कि बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक स्वतंत्र निदेशक, वित्तीय विशेषज्ञ की परिभाषा, बोर्ड सदस्यों के चयन की प्रक्रिया और निदेशक मंडल के गठन की प्रक्रिया सार्वजनिक करें।

इस अध्ययन में पाया गया है कि इन चार बैंकों में से किसी भी बैंक ने बोर्ड की प्रक्रिया के अनुपालन और बोर्ड बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

अग्रणी स्वतंत्र निदेशक

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार बोर्ड में एक कुशल और स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक होना चाहिए (अध्यक्ष के अतिरिक्त), जिसे कारोबार संबंधी चिंताओं से आवश्यकता पड़ने पर अवगत कराया जा सके।

बैंकों की वार्षिक रिपोर्ट में अग्रणी स्वतंत्र निदेशक के बारे में सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए। अध्ययन में शामिल चारों बैंकों ने ऐसी सूचना सार्वजनिक नहीं की है।

अन्य सूचनाओं को सार्वजनिक करना

इन चारों बैंकों ने उन निदेशकों का नाम सार्वजनिक किया है जो अन्य कंपनियों में निदेशक के पद पर हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 49 के अनुसार कंपनियों को एक औपचारिक एवं पारदर्शी नीति के तहत कार्यपालकों के पारिश्रमिक और व्यक्तिगत निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज का निर्धारण न्यायसंगत, उचित और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। साथ ही, जिम्मेदारी, उपलब्धि और पारिश्रमिक के बीच एक स्पष्ट

संबंध होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक के अलावा किसी भी बैंक ने इन सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया है। फिर भी, आईसीआईसीआई बैंक ने कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन के मूल्यांकन का आधार सार्वजनिक नहीं किया है। पंजाब नैशनल बैंक ने अपने कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। भारतीय स्टेट बैंक ने कार्यपालक निदेशकों के वेतन और भत्तों को अलग-अलग नहीं दिखाया है।

एचडीएफसी बैंक ने अपने गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को पारिश्रमिक के अलावा फीस का भी भुगतान किया है।

आचार संहिता

कंपनी अधिनियम की धारा 49 के अनुसार एक संचालक मंडल की बाध्यता है कि वह सभी बोर्ड के सदस्यों एवं उच्च प्रबंधन के लिए आचार-व्यवहार संहिता तैयार करे। बोर्ड एवं उच्च प्रबंधन जैसे कार्यपालक निदेशकों एवं महाप्रबंधकों को वार्षिक आधार पर इसके अनुपालन की पुष्टि करनी होती है। इस अनुपालन पत्र पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

अध्ययन में शामिल चारों बैंकों ने अपने अनुपालन पत्र में यह उल्लेख किया है कि इसके सभी अधिकारियों, निदेशकों एवं कर्मचारियों द्वारा इन आचार संहिताओं का अनुपालन किया जा रहा है।

पंजाब नैशनल बैंक एवं एचडीएफसी बैंक को छोड़कर भारतीय स्टेट बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा यह अनुपालन पत्र दिया गया था।

वैधानिक बोर्ड समितियों के बारे में टिप्पणी लेखा परीक्षा समिति

अक्सर यह पाया गया है कि इन चारों बैंकों द्वारा इससे संबंधित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

अंशधारकों/निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति के अध्ययन में पाया गया है कि ऐसी समितियों का गठन तो कर लिया जाता है परंतु इनकी बैठकों के बारे में विवरण, शिकायतों

के निस्तारण और शंकाओं के उत्तर देने के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं है।

जोखिम प्रबंधन/अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर सभी बैंकों को जोखिम समिति/अनुश्रवण समिति का गठन करना चाहिए जिससे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम के लिए एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन की व्यवस्था हो सके।

अक्सर देखने में आया है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में बैठकों का विवरण तो दे दिया जाता है परंतु समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती।

धोखाधड़ी अनुश्रवण समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी बैंकों ने धोखाधड़ी अनुश्रवण समिति का गठन कर दिया है। इस समिति में पांच सदस्यों को शामिल किया जाता है जो अनुश्रवण के लिए समर्पित रहते हैं। इस समिति द्वारा उन मामलों की छानबीन की जाती है जो ₹ 1 करोड़ या इससे अधिक के होते हैं।

अध्ययन के अंतर्गत पाया गया कि पंजाब नेशनल बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा आयोजित बैठकों में उपस्थित सदस्यों का विवरण उपलब्ध नहीं था, जबकि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंकों ने इस सूचना को कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया परंतु वार्षिक रिपोर्ट में इसको प्रकाशित नहीं किया गया। साथ ही, धोखाधड़ी के मामलों में उनका विवरण और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र नहीं किया गया।

कार्यपालक/प्रबंधन समिति

ऐसी समिति का मुख्य उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों, उनकी उपलब्धियों, ऋणों की स्वीकृति, ऋण लेने हेतु स्वीकृति, राजकोषीय परिचालन और संपत्ति संबंधी मामलों की समीक्षा करना होता है। इसकी रिपोर्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकाशित करना होता है। अध्ययन के अंतर्गत शामिल किसी भी बैंक ने कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इसे प्रकाशित नहीं किया।

गैर अनिवार्य बोर्ड समितियां/अन्य समितियां

इन बैंकों की 2005-2006 की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि इन बैंकों ने परिचालन सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अन्य समितियों का गठन किया है। इन समितियों के कारोबार के बारे में संक्षिप्त चर्चा यहां की जा रही है -

● पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 49 के अनुसार गैर-अनिवार्य प्रावधानों के तहत दोनों निजी बैंकों यथा आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने पारिश्रमिक और मुआवजा संबंधी समितियों का गठन किया और इससे संबंधित शर्तों को उजागर किया। साथ ही, पारिश्रमिक नीति का भी खुलासा किया गया। इस बारे में आयोजित बैठकों का भी विवरण उपलब्ध कराया गया। जहां तक दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रश्न है, उन्होंने इस बारे में समिति का गठन नहीं किया और न ही निदेशकों के पारिश्रमिक के बारे में कोई खुलासा किया।

● नामांकन समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 49 के गैर-अनिवार्य प्रावधानों के तहत केवल एचडीएफसी बैंक ने नामांकन समिति का गठन किया जिसमें गैर-कार्यपालक निदेशकों/स्वतंत्र निदेशकों को बैंक बोर्ड में नियुक्त करने की संस्तुति की जाती है। इस बैंक ने अपनी नामांकन नीति, समिति के गठन, आयोजित बैठकों के बारे में विवरण भी प्रस्तुत किए।

● ग्राहक सेवा समिति

आईसीआईसीआई बैंक को छोड़कर सभी बैंकों ने इस समिति का गठन किया जिससे बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो।

● प्रौद्योगिकी समिति

अध्ययन में शामिल बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक ने इस समिति का गठन किया है। इन समितियों में सूचना सुरक्षा के विभिन्न आयामों एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की जाती है और उन्हें चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उपयुक्त उपायों को सुझाया जाता है।

● ऋण समिति

मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की समीक्षा करने, ऋण प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए, ताकि ऋण का संवितरण हो सके, निजी क्षेत्र के दोनों बैंकों यथा आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफसी बैंक ने 2005-2006 में ऋण समिति का गठन किया जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों यथा भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नैशनल बैंक ने ऐसी समिति के गठन के बारे में कोई खुलासा नहीं किया।

● आस्ति-देयता प्रबंधन समिति

आईसीआईसीआई बैंक ने 2005-2006 में ऐसी समिति का गठन किया जिससे आस्ति-देयता रूपरेखा की समीक्षा की जा सके, बाजार जोखिम निवेश का प्रबंधन किया जा सके और जमाओं पर ब्याज दरों एवं बैंक की मूल उधार दरों का निर्धारण किया जा सके।

● ग्रामीण क्षेत्र व्यवसाय समिति

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध बैंकिंग व्यवसाय की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए वर्ष 2005-2006 में भारतीय स्टेट बैंक ने एक अलग समिति गठित करने की पहल की। फिर भी इस बारे में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इस बैंक द्वारा कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

● नीति और अनुपालन समिति

इस अध्ययन में शामिल किए गए चार बैंकों में किसी ने भी ऐसी समिति का गठन नहीं किया है। फिर भी कॉरपोरेट गवर्नेंस सिद्धांतों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि बैंकों द्वारा व्यवहार में लाए गए कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुख्य पहलुओं का विवरण नीति और अनुपालन समिति को दिया जाए।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणीकरण

कंपनी अधिनियम की धारा 49 के अंतर्गत यह अधिदेश है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी को विशिष्ट मामलों में निदेशक मंडल के निदेशकों को प्रमाणपत्र देना है और इसका खुलासा भी कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में करना है।

अध्ययन में पाया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक ने इस अधिदेश का अनुपालन नहीं किया है जबकि आईसीआईसीआई बैंक ने इस बात का खुलासा किया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी ने वित्तीय विवरणियों और आंतरिक नियंत्रण के बारे में वित्तीय रिपोर्ट जारी की, परंतु कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में इसको प्रकाशित नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षकों द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नैशनल बैंक और दोनों निजी क्षेत्र के बैंकों आईसीआईसीआई बैंक एवं एचडीएफसी बैंक ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है और इसे कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकाशित भी किया है।

हितधारकों के हितों का खुलासा

अध्ययन में शामिल किए गए बैंकों द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं पर पहल की गई है और ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हितधारकों के हितों और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके -

- मानव संसाधन विकास,
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, तथा
- औद्योगिक संबंध।

अध्ययन में पाया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नैशनल बैंक ने इन विभिन्न बिंदुओं पर पहल भी की है और हितधारकों के हितों और आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तत्परता से कार्य निष्पादन को अंजाम दिया है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों यथा आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने मात्र कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और मानव संसाधन विकास संबंधी मामलों में अच्छी भूमिका निभाई है। फिर भी किसी भी बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में इससे संबंधित नीतियों एवं पहलुओं का जिक्र नहीं किया है।

व्यावहारिक अध्ययन का परिणाम

यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों यथा भारतीय स्टेट

बैंक और पंजाब नेशनल बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों यथा आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने अच्छा निष्पादन किया है, फिर भी कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों एवं व्यवहारों के अनुपालन में निजी क्षेत्र के बैंकों का निष्पादन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अच्छा रहा है।

डॉ. एस.सी. दास ने अपने अध्ययन में एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जिससे इन चारों बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों और व्यवहारों का मूल्यांकन किया जा सके। इस मूल्यांकन में कंपनी अधिनियम की धारा 49 और अन्य प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानकों के मूल्यांकन के लिए 100 अंकों का स्केल तैयार किया गया। इन 100 अंकों में 70 अंक चार बिंदुओं पर आधारित हैं जिनमें (1) विभिन्न बोर्ड समितियां (30 अंक), (2) प्रकटीकरण और पारदर्शिता (22 अंक), (3) कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्रों का अनुपालन (10 अंक) और (4) हितधारकों के हितों का प्रकटीकरण (8 अंक) निर्धारित किए गए। इन बिंदुओं का किसी भी कॉरपोरेट संस्थान में कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रणाली की गुणवत्ता एवं उसका प्रभाव जानने के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।

इस मूल्यांकन में यद्यपि सभी चार बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है फिर भी निजी क्षेत्र के दो बैंकों का प्रदर्शन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अच्छा रहा है। इसका विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है -

पांच श्रेणियों पर आधारित ग्रेडिंग

सारणी	
स्कोर रेंज	रैंक
86-100	श्रेष्ठ
71-85	बहुत अच्छा
56-70	अच्छा
41-55	औसत
41 से नीचे	खराब

सारणी में दिए गए विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक का स्कोर 70 अंक, एचडीएफसी बैंक का स्कोर 63 अंक, पंजाब नेशनल बैंक का स्कोर 57 अंक और भारतीय स्टेट बैंक का स्कोर 56 अंक है। अतः सभी बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

इस अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों और प्रकटीकरण की गुणवत्ता में सुधार लाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि बैंकों को कंपनी अधिनियम की धारा 49 में निर्धारित पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण के मानकों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करना चाहिए। साथ ही, बैंकों को धारा 49 के सूचीबद्ध अनुबंधों का प्रकटीकरण भी वार्षिक रिपोर्ट में करना चाहिए।

कुल मिलाकर कॉरपोरेट गवर्नेंस और नीतिपरक व्यवहार के अनेक लाभ हैं। इसमें बैंकों की एक ब्रैंड छवि बनती है। जब एक ब्रैंड छवि बनती है तो उसकी निष्ठा भी बढ़ती है। निष्ठा बढ़ने से कर्मचारियों में समर्पण की भावना बढ़ती है और वे अधिक सर्जनात्मक हो जाते हैं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बाजार में टिके रहने के लिए सर्जनात्मकता आवश्यक है। आज बैंकों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस एक मानसिकता है। व्यावसायिक नीतिपरक व्यवहार, मूल्यों में संवर्धन, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, सत्यनिष्ठा, विश्वास, ईमानदारी, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व और सभी अच्छे विचार कॉरपोरेट गवर्नेंस के घटक हैं। इन सब गुणों का स्रोत मनुष्य स्वयं है। भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों के लिए एक वातावरण ही प्रदान कर सकते हैं। इसका निष्पादन तो बैंक कर्मचारियों की सही मानसिकता से ही हो सकेगा। यहां बैंकों के संचालन मंडल और उच्च प्रबंधन को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए।

कुल मिलाकर कॉरपोरेट गवर्नेंस एक यात्रा है गन्तव्य स्थान नहीं। अतः वाणिज्यिक बैंकों को कॉरपोरेट गवर्नेंस के अनुपालन के लिए गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

○○○

पारंपरिक बैंकिंग बनाम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग

भारतीय बैंकिंग के परंपरागत प्रतिमान अर्थात् शाखाओं का बड़ा जाल, बैंकों का बड़ा परिसर, व्यापक कार्य के लिए अधिक स्टाफ, प्रबंधन के लिए दक्षता, निधि आधारित सेवाएं, मुख्य बाजार में सही एवं उपयुक्त स्थल पर बैंक शाखा का होना, शाखा के आकार का महत्त्व, सामाजिक दायित्व की पूर्ति, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, गारंटीकृत ग्राहक, ब्याज से निश्चित आय की प्राप्ति, आदि धीरे-धीरे गौण होते जा रहे हैं। भारतीय बैंकिंग में आज सूचना एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से महसूस कर उसका प्रयोग किया जाने लगा है। सभी बैंकों के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिकतम पद्धतियों को स्थापित करना तथा उनका उपयोग करना मजबूरी बन गया है और आने वाले समय में तो यह आवश्यकता दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ती जाएगी। बैंकों द्वारा बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के विकास में आधुनिक कंप्यूटर, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, टैली बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट प्लास्टिक मनी कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि का उपयोग किया जा रहा है जिससे बैंक समय और धन की बचत



वैभव सिंह¹
डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह²

¹ प्रोबेशनरी ऑफिसर, भारतीय स्टेट बैंक, अगरतला (त्रिपुरा)

² एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (उप्र)

कर जमा, भुगतान एवं धन प्रेषण कम खर्च में निर्बाध गति से सुरक्षित रूप में करने लगे हैं और कागजी कार्यवाही में भी निरंतर गिरावट आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के चलते वर्तमान आर्थिक व सामाजिक स्थितियों को देखते हुए बैंकों के सामने समान स्तर की ग्राहक सेवा देना भविष्य में बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। आने वाले समय में समस्त बैंकिंग उद्योग संचार नेटवर्क व इसके विशेषज्ञों के ऊपर निर्भर होगा। अनेक उद्योग, संचार व कृषि उत्पादनों के लिए बैंक सलाहकार व मार्गदर्शक के रूप में सामने आने लगेंगे। भविष्य में भारतीय बैंकिंग के प्रमाणों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कम कर्मचारी, प्रौद्योगिकी दक्षता, मल्टी मीडिया का प्रयोग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, निवेश आधारित आय, आस्ति देयता का कुशल प्रबंधन, तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारी, जमा एवं भुगतान मशीनों की अनिवार्यता हो जाएगी। प्रत्येक ग्राहक अपने सभी भुगतान डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से करने लगेंगे। उन्नत प्रौद्योगिकी भारतीय बैंकों में अब विकल्प न रहकर अनिवार्य हो चुकी है।

भारतीय बैंकिंग में परिवर्तन

आजादी के बाद से बैंकों के राष्ट्रीयकरण तक की बैंकिंग को उच्च वर्गीय बैंकिंग कहा जाता है। इस समय में बैंकिंग की सुविधाएं कुछ चुने हुए उच्च संस्थानों एवं नागरिकों के लाभ के लिए सीमित थी एवं ऋण केवल उच्च व संभ्रांत वर्ग के संस्थानों या व्यक्तियों को दिया जाता था। आम जनता में विश्वास का सर्वथा अभाव था और आए दिन बड़ी संख्या में बैंक दिवालिया होते थे। इसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ भारत में सामाजिक बैंकिंग की शुरुआत हुई और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बड़े स्तर पर गरीबी के निवारण हेतु अपनायी गई योजनाओं को क्रियान्वित

किया तथा देश के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में अपना योगदान दिया। इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्देश्य लाभप्रदता के बजाय सामाजिक सेवा रहा। 15 अप्रैल 1980 को पुनः छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने देश में शाखा विस्तार के माध्यम से रोजगार प्राप्ति एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया, किंतु इस दौर में बैंकों में प्रतिस्पर्धा शून्य थी और तकनीकी विकास की गति भी मंद थी। इन बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पाद एवं सेवाएं लगभग समान एवं रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित थीं। आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण के वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण मानदंडों के अभाव में अनर्जक आस्तियों में निरंतर वृद्धि हो गई जिसका प्रभाव उनकी लाभप्रदता पर भी पड़ा। 1990 के दशक में बैंकिंग सुधारों को लागू किया गया जिसे विवेकपूर्ण बैंकिंग का नाम दिया गया जिसने परंपरागत सामाजिक बैंकिंग को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण के नए नियमों ने बैंकों को पारदर्शी होने पर मजबूर किया एवं कार्यक्षमता व लाभप्रदता में सुधार को उनके अस्तित्व के साथ जोड़ दिया। निजी एवं विदेशी बैंकों का आगमन मूलतः लाभप्रदता के सिद्धांत पर आधारित था। इन्होंने बैंकिंग सेवाओं एवं उनको प्रदान करने के तरीकों में

आमूल-चूल परिवर्तन किया। साथ ही, नई तकनीक एवं ग्राहक सेवा में परिवर्तन करते हुए ग्राहकों की अपेक्षाओं को बहुत अधिक बढ़ा दिया जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए एक चुनौती बन गई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नई तकनीक, ग्राहक सेवा एवं लाभप्रदता जैसे मुद्दों पर निजी एवं विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा का ऐलान किया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अनर्जक आस्तियां घटाने, तकनीकी विकास करने, परिचालन लागत घटाने तथा लाभप्रदता को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। सामाजिक बैंकिंग के दौर से उठकर 1990 के दशक में बैंकों की प्राथमिकता स्वयं को मजबूत एवं सक्षम बनाने की थी। खुदरा बैंकिंग के माध्यम से लाभप्रदता में वृद्धि हेतु बड़े शहरों के ग्राहक व्यवसाय के केंद्रबिंदु रहे जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रह गया। आधुनिक परिवेश में भारतीय बैंकिंग के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हुआ है जिसे तकनीकयुक्त, नवोन्मेषी एवं संतुलित बैंकिंग का नाम दिया जा सकता है।

परंपरागत, वर्तमान एवं भावी बैंकिंग

परंपरागत, वर्तमान एवं भावी बैंकिंग के स्वरूप को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है -

परंपरागत बैंकिंग	वर्तमान बैंकिंग	भावी बैंकिंग
<ul style="list-style-type: none"> सामाजिक एवं विकासपरक उद्देश्य। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण। जनता के लिए बैंकिंग। फंड आधारित कारोबार। ऋण की अधिकता। ऋण निगरानी दृष्टिकोण। समान ब्याज दर का निर्धारण। अनर्जक आस्तियों की अधिकता। मानव संसाधन की अधिकता। 	<ul style="list-style-type: none"> उद्देश्यों में परिवर्तन। नई-नई अवधारणाओं का जन्म। विपणन आधारित बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का उद्भव। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। कुशल, योग्य एवं तकनीकी ज्ञान रखने वाले स्टाफ की नियुक्ति एवं उनका श्रेष्ठ उपयोग। बैंकिंग के ढांचागत स्वरूप में परिवर्तन। श्रम संघों की दखलअंदाजी में कमी। 	<ul style="list-style-type: none"> अधिकांश कारोबार में प्लास्टिक मनी का प्रयोग। ई-बैंकिंग व ई-कामर्स के द्वारा बैंकिंग व्यवसाय में निरंतर वृद्धि। ई-बैंकिंग द्वारा लागतों में निरंतर कमी। वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं। बैंकों द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू करना। कागज व शाखा रहित बैंकिंग।

<ul style="list-style-type: none"> ● जन बैंकिंग। ● ग्राहक सेवा पर अधिक ध्यान नहीं। ● उपेक्षित स्टाफ। ● सरकार एवं रिज़र्व बैंक द्वारा संचालन एवं नियंत्रण। ● श्रम संघों का हस्तक्षेप। ● श्रम साध्य बैंकिंग। 	<ul style="list-style-type: none"> ● कार्यप्रणाली में परिवर्तन की निरंतरता। ● मोबाइल बैंकिंग सेवा। ● अनर्जक आस्तियों में कमी। ● इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के सुचारू रूप से चलाने हेतु कुशल मानव संसाधन। 	<ul style="list-style-type: none"> ● हर समय हर जगह बैंकिंग सेवाएं। ● समाशोधन गृह एवं प्रशिक्षण केंद्रों की समाप्ति। ● प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं ग्राहक बैंकिंग के केंद्र में होंगे। ● इंटरनेट बैंकिंग का बोलबाला। ● बैंकों द्वारा ग्राहक एवं ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान। ● बैंकिंग में निजीकरण को प्रोत्साहन।
--	--	--

ई-बैंकिंग

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत बैंकों में कंप्यूटरों का प्रयोग एवं बैंकिंग संव्यवहारों का कंप्यूटरीकरण शामिल हैं। वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटरीकृत बैंकिंग ये सभी ई-बैंकिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इनको अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। ई-बैंकिंग को मात्र इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण (ईएफटी) के सीमित दायरे में नहीं रखना चाहिए। बैंकिंग में मात्र कागजी व्यवहारों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग को ही ई-बैंकिंग मानना पर्याप्त नहीं होगा। ई-बैंकिंग सुविधा बैंकों द्वारा अपने ग्राहक को प्रदान की जा रही अद्यतन तकनीक या सुविधा है जिसके द्वारा ग्राहक शाखा में गए बिना अपने खाते को बैंक वेबसाइट या किसी अन्य वैकल्पिक डिलिवरी चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में कहीं से भी ऐक्सेस या परिचालित कर सकता है। ई-बैंकिंग की शुरुआत एटीएम से हुई थी और आज ई-बैंकिंग में टेली-बैंकिंग, मोबाइल-बैंकिंग, एसएमएस-बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बिल भुगतान, नेट बैंकिंग इत्यादि शामिल हैं। आज ई-बैंकिंग में ऑटोमेटेड टेलर मशीन, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट/स्मार्ट कार्ड, मास्टर किसान कार्ड, कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस), इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा, ई-मेल, वी सैट, स्विफ्ट कॉल सेंटर आदि उत्पाद शामिल हैं।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका

परंपरागत बैंकिंग के अंतर्गत यदि ग्राहक को बैंक में रुपया जमा करने अथवा निकालने होते थे तो उसके लिए बैंक में घंटों इंतजार करना पड़ता था। यदि पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना अथवा मंगवाना होता था तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम को ही अपनाया जाता था। डिमांड ड्राफ्ट को निर्गत कराने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जबकि संग्रहण के लिए एक से दो हफ्ते का समय लगता था, किंतु आज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से ये सब कार्य कुछ ही मिनटों में संभव हैं। धन भेजने के लिए एनईएफटी या आरटीजीएस प्रणाली का प्रयोग बैंकों द्वारा किया जा रहा है और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से तो बैंकिंग संबंधी अधिकांश कार्य घर बैठकर ही करना संभव है। लागत की दृष्टि से भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग परंपरागत बैंकिंग के मुकाबले बहुत ही सस्ती है। भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां पारंपरिक कागजी चेक पद्धति का तेजी से स्थान लेती जा रही हैं। आने वाले समय में तो आवाज के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एटीएम मशीनों के प्रचलन से तो निरक्षर और असहाय लोग भी एटीएम के जरिए बैंकिंग संव्यवहार संचालित कर सकेंगे। ई-बैंकिंग के द्वारा बैंकिंग परिचालन बहुत ही सरल एवं सुगम हो गया है। आज ई-बैंकिंग ने सारी बाधाएं समाप्त कर 24 x 7 बैंकिंग परिचालन सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे ग्राहकों के

समय की बचत होती है। ई-बैंकिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन बिलों का भुगतान, बस, रेलवे और हवाई जहाज की यात्रा टिकटें, ऑनलाइन शॉपिंग तथा बैंकों के द्वारा निर्गत नए-नए उत्पाद एवं सूचनाओं की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के द्वारा दी जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग एवं जोखिम प्रबंधन

आज बैंकिंग उद्योग में दिन-प्रतिदिन नए-नए परिवर्तन हो रहे हैं। अपनी लाभप्रदता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से बैंक कम लागत पर सुविधाजनक उत्पाद ग्राहकों हेतु बाजार में उतार रहे हैं। ग्राहकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए इस प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के साथ-साथ उसकी कार्यप्रणाली की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से नई तकनीक को लागू करने में जोखिम बना रहता है। अतः बैंकों द्वारा इस पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। बैंकों में कंप्यूटर प्रणाली एवं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के डिज़ाइन उनके कार्यभार एवं कार्यस्वरूप के अनुरूप होने चाहिए अन्यथा परिचालनगत व्यय एवं जोखिमों में वृद्धि हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में उचित प्रकार की तकनीक का प्रयोग करना होगा ताकि बैंक के आंकड़ों का संग्रहण किसी प्राकृतिक विपदा से प्रभावित न हो। धोखेबाज लोगों की गलत एवं कपटपूर्ण कार्रवाई से बैंक की यांत्रिक प्रणाली में धोखाधड़ी करने का जोखिम सदैव बना रहता है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का प्रयोग करने में ग्राहकों को भी कंप्यूटर और इंटरनेट का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। इसके अभाव में बैंक सभी ग्राहकों को ई-बैंकिंग की सुविधा मुहैया नहीं करा पाए हैं। कभी-कभी एटीएम से पैसा निकालते समय खाता डेबिट हो जाता है, किंतु धनराशि प्राप्त नहीं होती और ग्राहक घबराहट में अपनी आईडी और पासवर्ड लीक कर देता है। नेट बैंकिंग के अंतर्गत फर्जी वेबसाइट खुलने से ग्राहक अपना पिन नम्बर और डिटेल फीड कर देता है जिससे उसे वित्तीय हानि उठानी पड़ती है। अतः ग्राहकों को चाहिए कि वे अपने नेट बैंकिंग यूजर नेम और पासवर्ड को गोपनीय रखें। बैंक की वेबसाइट का प्रयोग करते समय बैंक वेबसाइट यूआरएल

(यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर) का प्रयोग करें। यदि कोई व्यक्ति ग्राहक की यूजर आईडी और पासवर्ड बैंक का हवाला देते हुए मांगता है तो उसको न दें क्योंकि बैंक कभी भी ग्राहक से पिन नंबर नहीं मांगता है। एटीएम के प्रयोग में अतिसावधानी बरतें और लेन देन पूरा होने के बाद ही केबिन को छोड़ें। साइबर कैफे अथवा अज्ञात जगह पर नेट बैंकिंग का उपयोग भी न किया जाए। अतः इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का प्रयोग वरदान साबित हुआ है यदि हम उपर्युक्त जोखिमों को निरंतर ध्यान में रखें।

आने वाले समय में अधिकांश बैंकिंग गतिविधियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा ही संपन्न होंगी और पारंपरिक बैंकिंग लगभग समाप्त हो जाएगी। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ई-मेल, कंप्यूटरीकरण जैसी सुविधाओं के प्रयोग में और अधिक नई-नई तकनीक विकसित होने की संभावना है। ग्राहक बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग घर बैठकर ही कर पाएंगे। कागज आधारित बैंकिंग संभवतः समाप्त हो जाएगी तथा सभी बैंक शाखाएं एक ही नेटवर्क से जुड़ जाएंगी और ग्राहकों को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगी। निजी एवं विदेशी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के क्षेत्र में और अधिक अग्रिम पहल की जाएगी किंतु बैंककर्मियों द्वारा नवीनतम तकनीक से पूर्णतया परिचित न होने के कारण जालसाजी और कपट की जोखिमों की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाएगी। इन सब के बावजूद बैंकों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली को पूर्ण रूप से विकसित कर उसे प्रभावी रूप से लागू करें अन्यथा प्रतियोगिता की इस दौड़ में हमारी बैंकिंग व्यवस्था पिछड़ जाएगी और बैंकों को नुकसान होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी।

बैंकों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पारंपरिक बैंकिंग के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रणाली का प्रयोग पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता के साथ करना होगा तभी बैंक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

○○○

नई पीढ़ी की अपेक्षाएं और बैंकिंग कैरियर

परिवर्तन प्रकृति का नियम तो है ही, संगठनों के लिए भी शाश्वत सत्य है। परिवर्तन गतिशीलता की निशानी मानी जाती है तथा अपरिवर्तन जड़ता की। संगठनों की जीवंतता के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वयं को ज्यादा कारगर बनाने हेतु बदलाव की संभावनाओं की तलाश करते रहें। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वे बाहर हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप खुद को ढालने हेतु भी तत्परता दिखाएं।

बैंकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विकासशील देशों के मामले में यह कुछ ज्यादा ही सच है जैसा कि हम अपने देश में देख सकते हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है उसमें बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बहुत योगदान है। आर्थिक सामाजिक विषमता कम करने तथा निर्बल वर्गों के विकास की बहुत सी योजनाओं को बैंकों के माध्यम से लागू किया गया और इनसे अनुकूल परिणाम प्राप्त हुए हैं।



विजय प्रकाश श्रीवास्तव
संकाय सदस्य-मुख्य प्रबंधक
प्रबंधन विकास संस्थान
बैंक ऑफ इंडिया
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई

बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक बड़ी घटना थी। तब से हमारे देश के बैंकिंग उद्योग ने लंबा रास्ता तय किया है और अन्य देशों से तुलना करें तो भारतीय बैंक अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में हैं। हालांकि, उनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के मंदी से उबरने के संकेत मिलने लगे हैं, कारोबारी क्षेत्र में विश्वास चढ़ान पर है और ऐसे कई संकेत हैं जो बैंकिंग उद्योग के लिए नई आशाएं जगाते हैं। ये आशाएं तब फलीभूत होंगी जब बैंक वर्तमान समय की चुनौतियों को समझेंगे और सामरिक तरीके से इनका सामना करेंगे।

भारतीय बैंकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती मानव संसाधन को लेकर है। इस समय देश में जिन दो क्षेत्रों में सबसे बड़े पैमाने पर भर्तियां हो रही हैं वे हैं सूचना प्रौद्योगिकी और बैंकिंग उद्योग। पिछले 4-5 वर्षों से हमारे देश के बैंक, विशेषकर सरकारी बैंक, भर्ती की मुहिम छोड़े हुए हैं। बैंकों द्वारा की जा रही इस व्यापक भर्ती से देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद मिली है भले ही यह थोड़ी सीमा तक क्यों न हो। सच कहा जाए तो भारत में रोजगार अवसरों का परिदृश्य उत्साहवर्धक नहीं है। अशिक्षित बेरोजगारों को तो छोड़ ही दें, शिक्षित बेरोजगार लोगों की ही तादाद अपने आप में बहुत ज्यादा है। स्पष्टतः हमारी अर्थव्यवस्था रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन करने में असफल रही है। भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा जाता है। विकसित देश का दर्जा हासिल करने हेतु हमें बेरोजगारी की समस्या से प्रमुखता से निबटना होगा। बैंक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में इसमें सहयोग कर सकते हैं।

सन 1990 व 2000 के दशक में भारत के सरकारी बैंकों ने न के बराबर नई नियुक्तियां कीं। यही वह दौर था जब बैंक परंपरागत बैंकिंग से आगे बढ़ कर प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक बैंकिंग की राह पर चले। प्रौद्योगिकी का दखल प्रायः सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा था और बैंक इसकी अनदेखी नहीं कर सकते थे। साथ ही, बढ़ती प्रतियोगिता के मद्देनज़र बैंकों के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ-साथ अपनी प्रक्रियाओं का पुनर्विन्यास करें। प्रौद्योगिकी के उपयोग ने बैंकों को चुस्त बनाया है तथा जनशक्ति पर उनकी निर्भरता कम की है।

परंतु बैंकिंग के सेवा उद्योग में 'मानव' तत्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। भले ही प्रौद्योगिकी बड़े पैमाने पर बैंकों में आ चुकी है, इस प्रौद्योगिकी को संभालने हेतु लोगों की जरूरत बनी रहेगी। बैंकों का बढ़ता ग्राहक आधार भी मांग करता है कि काउंटरों तथा बिक्री के अन्य स्थलों पर अधिक संख्या में लोगों को रखा जाए। कुछ वर्षों पूर्व तक बैंक अपने परिचालनों का समेकन करने को ज्यादा महत्त्व दे रहे थे अब उनका ध्यान विस्तार तथा कारोबार के व्यापक विकास पर है। इन दिनों सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक नई शाखाएं खोल कर और, या नए उत्पाद अथवा सेवाएं लाकर अपनी पहुंच बढ़ाने की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। त्वरित कारोबार विकास अब बैंकों की प्राथमिकता बन चुकी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आज एक अलग तरह के मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है जो शायद ही भारत के किसी अन्य उद्योग में पहले इस प्रकार से महसूस किया गया है। बड़ी संख्या में लोग इन बैंकों से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आगामी 3-4 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची काफी लंबी है। इस सूची में वे लोग सम्मिलित हैं जिन्होंने सत्तर और अस्सी के दशक के बृहद शाखा विस्तार वाले दौर में बैंकों में कार्य ग्रहण किया था। इस पीढ़ी के सभी कर्मचारी अपनी आयु के अनुसार अधिवर्षिता तक पहुंच रहे हैं और उनके बाहर जाने से रिक्त होने वाले स्थान को भरने के लिए बैंकों द्वारा कदम उठाना जरूरी हो गया है। ये वरिष्ठ कर्मचारी अपने

साथ अनुभव का भंडार, जो बैंकों के लिए अत्यंत मूल्यवान रहा है, भी ले जा रहे हैं।

सरकारी बैंकों में सीधे अधिकारी के रूप में होनेवाली नियुक्तियों का अनुपात अब पहले से ज्यादा है। पहले ऐसी नियुक्तियां केवल वेतनमान में की जाती थीं लेकिन अब बैंक उच्चतर वेतनमानों में भी ऐसी नियुक्तियां करने लगे हैं। बीच में बैंकों ने कैंपस प्लेसमेंट का रास्ता चुन कर सामान्य बैंकिंग अधिकारियों के साथ-साथ विशेषज्ञता के क्षेत्रों यथा सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, कृषि, ग्रामीण प्रबंधन, विधि आदि हेतु भी विभिन्न संस्थानों से अधिकारियों को लिया था। लिपिकीय पदों पर तो सीधी भर्ती शुरू से होती रही है।

आज से 30-35 वर्ष या अधिक पहले भी बैंक में सेवाग्रहण करने वाले लोगों के लिए समय कुछ और था। उस समय अधिकांश नौकरियां सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में हुआ करती थीं। निजी क्षेत्र इतना फैला हुआ नहीं था जितना की आज है। कैरियर का चयन करने के प्रति भी ज्यादा जागरूकता नहीं थी। ज्यादातर मामलों में लोग जो नौकरी पहले हाथ में आ गयी, उसे स्वीकार कर लेते थे। नौकरी बदलने का विचार कम ही लोगों के मन में आता था। लोग जिस संगठन में नौकरी शुरू करते थे, उसी से सेवानिवृत्ति लेते थे। लंबे समय तक एक संगठन से जुड़े रहना इस नियोजक संगठन के प्रति निष्ठा तथा लगाव का परिचायक माना जाता था। यह पीढ़ी जोखिमों से दूर रहते हुए नियमित आय में विश्वास रखती थी। जब तक यह पीढ़ी बैंकों में कार्यरत रही, कार्मिकों का असमय संगठन को छोड़ कर चले जाना, जिसे एचआर की भाषा में 'अट्रिशन' कहा जाता है, नियोजक बैंकों के समक्ष कभी समस्या बन कर नहीं आई। देश के बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने में इस पीढ़ी के योगदान की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। अब यह पीढ़ी नई पीढ़ी के लिए रास्ता बना रही है।

विविध कारणों के आधार पर जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विगत कुछ वर्षों से भारत के अधिकांश

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बड़ी संख्या में लोगों की भर्तियां हो रही हैं। इस समय जो नए लोग बैंकों में काम के लिए आ रहे हैं उनकी आयु प्रायः 19 से 32 वर्षों के बीच है। इस प्रकार बैंकों में जन शक्ति का आयु प्रोफाइल नीचे आता जा रहा है। इतनी संख्या में अपनी सेवा के लिए युवा चेहरों को बैंक में एक साथ देखना कहीं कहीं ग्राहकों के लिए भी अचरज की बात होती है। जिस गति से बैंकों में युवा कार्मिकों का प्रवेश हो रहा है और पुराने कार्मिक बैंक छोड़ कर जा रहे हैं, शीघ्र ही बहु संख्या युवा जनशक्ति की होगी। इस स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि बैंक अपनी मानव संसाधन नीतियों को नया रूप दें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन प्रणाली ने अब तक अपनी भूमिका अच्छी तरह निभायी है। कठिन तजुबों से गुजर कर यह प्रणाली मजबूत भी बन चुकी है। तथापि बैंक आज जिन हालातों से गुजर रहे हैं और कार्मिकों की अपेक्षाएं जिस प्रकार से बदल रही हैं, यह जरूरी हो जाता है कि मानव संसाधन नीतियों को नवीन वास्तविकताओं के साथ संबद्ध किया जाए। साथ ही, ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जो नई पीढ़ी को रास आए और जिसमें वे अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकें।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रोजगार के लिए आने वाली नई पीढ़ी बदलते समय की प्रतीक है। यह पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ी हुई है और बाहर की दुनिया से इसका साक्षात्कार अलग तरीके से हुआ है। यह पीढ़ी अपने को ज्यादा सक्षम मानती है और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। परिवार से, समाज से और दुनिया से इनकी मांग भी ज्यादा है। सामने कोई हो, आगे बढ़कर अपनी बात रखने, उसे आश्वस्त करने हेतु तर्क का सहारा लेने में इसे संकोच नहीं है। नौकरियों के प्रति इस पीढ़ी के लोगों का दृष्टिकोण प्रायः अल्पकालिक है अर्थात् वे अपना पूरा कार्य जीवन एक ही संगठन में गुजार देने के बजाय नौकरी बदलते रहने में ज्यादा यकीन रखते हैं। बनी बनाई लीक पर चलने से ज्यादा यह पीढ़ी प्रयोग करने को तत्पर है। नियमित या आकस्मिक आधार पर मल्टी टास्किंग करने में इस पीढ़ी के लोगों को कोई हिचक नहीं है। इस पीढ़ी के पास

धैर्य कम है और इसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के अवसर चाहिए। अपने कार्य निष्पादन के पुरस्कार के लिए इस पीढ़ी के सदस्य अधिक समय तक प्रतीक्षा करने को तैयार नहीं रहते। यह नई पीढ़ी अत्यधिक महत्वाकांक्षी है तथा इसमें उपलब्धि उन्मुखता अर्थात् 'अचीवमेंट ओरिएंटेशन' भी बहुत है। इन युवाओं को सशक्तीकरण चाहिए और वे सीमाओं में बंधने को तैयार नहीं हैं। 'वर्क लाइफ बैलेंस' इस पीढ़ी में बहुतों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है पर जब भी समय का तकाजा हो, यह पीढ़ी लगातार कठोर श्रम करने को भी तैयार है। यह पीढ़ी श्रम करना जानती है साथ ही मौज मस्ती में भी पीछे नहीं है।

बैंकिंग में पुराने कार्मिकों को कंप्यूटरीकरण को अंगीकार करने में काफी समय लगा था। नई पीढ़ी बैंक में आने से पहले ही प्रौद्योगिकी की जानकारी रखती है। की बोर्ड पर इनकी उंगलियां तेजी से चलती हैं। तकनीकी समस्याओं को यह जल्दी समझ लेती है और अक्सर खुद सुलझा भी लेती है। आज प्रौद्योगिकी पर बैंकों की जिस प्रकार निर्भरता है उसे देखते हुए यह पीढ़ी बैंकों की कार्य प्रणाली को चुस्त दुरुस्त बनाने में ज्यादा समर्थ है जो बैंकों के लिए लाभ की स्थिति लेकर आती है। प्रौद्योगिकी के साथ इस पीढ़ी का सहज होना नवोन्मेषिता के नए द्वार खोल सकता है। चूंकि बैंकों के ग्राहक वर्ग में युवाओं की संख्या बढ़ रही है, स्टाफ में नई पीढ़ी की मौजूदगी से युवा ग्राहक बैंकों से निकटता महसूस कर सकेंगे।

नई पीढ़ी अपने कैरियर व भविष्य की दिशा खुद तय करना चाहती है और इस हेतु उसमें आत्मविश्वास भी है। यह विकल्पों के चुनाव में स्वतंत्रता की पक्षधर है। इस पीढ़ी का तौर तरीका और अंदाज दर्शाता है कि यह स्वयं में कितनी आश्वस्त है। इस पीढ़ी का नज़रिया या दृष्टिकोण उन संगठनों की कार्यशैली को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा जो इसे नियोजित करते हैं। इनमें बैंक भी शामिल हैं।

नियोजक बैंकों के लिए जरूरी है कि वे नई पीढ़ी की विशिष्टताओं को पहचानें। नई पीढ़ी का सर्वोत्तम योगदान

उन्हें तब मिल सकेगा जब वे नई पीढ़ी की अभिलाषाओं व आकांक्षाओं को समझ सकें और वाजिब हद तक इन्हें पूरा कर सकें। नई पीढ़ी की अभिप्रेरणा के स्रोतों को जानकर ही कामयाबी के सफर में इसकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। बैंकों को नई पीढ़ी की उतनी ही जरूरत है जितनी कि नई पीढ़ी को बैंकों की, जिसमें वे अपना भविष्य संवारने के साथ-साथ सम्मानजनक तरीके से अर्थोपार्जन भी कर सकें। बैंकों व नई पीढ़ी के बीच बेहतर सहबद्धता दोनों को विजेता की स्थिति में रखेगी। नई पीढ़ी की आवश्यकताओं पर ध्यान देने हेतु अभी स्थापित प्रणाली आगे सेवाग्रहण करने वाले कार्मिकों को भी मंच उपलब्ध कराएगी।

इस नई पीढ़ी में ही बैंकों का भावी नेतृत्व मौजूद है। द्रष्टा यानि विजनरी भी इसी समूह से आएंगे। नई पीढ़ी की शक्ति का सही प्रकार से उपयोग करना बैंकों को शानदार भविष्य की ओर ले जाएगा पर अगर उनकी कमजोरियों को सही प्रकार से नहीं संभाला गया तो बैंकों की प्रगति में रुकावट आने के साथ-साथ उनकी उत्पादकता व छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। सभी स्तरों पर संवाद को प्रोत्साहित करना, आपसी समझ विकसित करना तथा नई पीढ़ी व पुराने कार्मिकों को साथ लेकर चलना बैंकों को ज्यादा सफल बनाएगा। नई पीढ़ी को अभिप्रेरित रखना व उनमें लगाव जगाना बैंकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती है जिसे पूरा करने हेतु विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं।

विविधता अर्थात् डाइवर्सिटी आधुनिक संगठनों की पहचान बन चुकी है। सभी समूहों व संगठनों द्वारा भी इस विविधता को प्रोत्साहन व सम्मान दिया जाना चाहिए। कहीं भी इस भावना को प्रश्रय न मिले कि कार्मिकों का कोई समूह किसी और समूह से श्रेष्ठ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा और बहुत सी बड़ी कंपनियों में जनशक्ति ज्यादातर शहरी पृष्ठभूमि की है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रोजगार ग्रहण करने वालों में सभी जनसंख्या वर्गों (शहरी, कस्बाई, ग्रामीण आदि) तथा विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं। जनशक्ति में यह विविधता बैंकों की ताकत के रूप में उभर कर सामने

आनी चाहिए, कमजोरी बन कर नहीं। कार्मिकों के लिए संगठन का संदेश होना चाहिए कि जब वे संगठन का अंग बन चुके हैं तो उनका कार्य निष्पादन तथा संगठन के लक्ष्यों के लिए उनकी प्रतिबद्धता मायने रखती है, उनकी सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति नहीं।

सभी का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। संगठन को इस वैयक्तिकता का सम्मान करना चाहिए। अपनी प्रशंसा सभी को प्रिय होती है। नई पीढ़ी भी इसमें शामिल है। इस पीढ़ी में वैयक्तिकता थोड़ी ज्यादा है और यह आत्मकेंद्रित भी है। अतः सबको एक ही पैमाने से मापना और एक जैसे बर्ताव के अधीन रखना व्यावहारिक नहीं होगा। यहां आशय निष्पक्षता से समझौता करने से नहीं है। प्रत्येक कार्मिक निष्पादन के जिस क्षेत्र में बेहतर है इस हेतु उसे मान्यता मिलनी चाहिए तथा संगठन को इस बेहतरी का पूरा लाभ उठाना चाहिए। प्रशंसा वास्तविक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कार्मिकों के कार्य निष्पादन की तुलना करना सुधार लाने की दृष्टि से होनी चाहिए अन्यथा लोग इससे हतोत्साहित हो सकते हैं।

कार्यस्थल पर लोगों में सिर्फ बातों से जोश नहीं भरा जा सकता। बैंक में कार्यरत वरिष्ठ लोगों, जिनमें विशेषकर शाखा प्रबंधक और नेतृत्व के पदों पर बैठे व्यक्ति शामिल हैं, का कार्य नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा तथा उत्साह हासिल करने का स्रोत होना चाहिए। इस पीढ़ी के लिए वे रोल मॉडल बन सकें तो यह आदर्श स्थिति होगी। पदानुक्रम में ऊपर होना नई पीढ़ी का सम्मान पाने हेतु काफी नहीं है। नई पीढ़ी विचारों में खुलेपन, नवोन्मेषिता व गतिशीलता का आदर करती है। इसका आशय यह हुआ कि उन्नत सोच तथा परिष्कृत व्यवहार वाले लोग नई पीढ़ी को ज्यादा रास आएंगे। नई पीढ़ी के लिए सहकर्मी वरिष्ठ लोगों की प्रामाणिकता अत्यधिक महत्त्व रखती है। इस पर संशय की स्थिति नहीं आए, संगठनों द्वारा ऐसा संदेश संबंधित लोगों तक पहुंचाया जाना जरूरी है।

जनशक्ति में जब अलग-अलग पीढ़ियों के लोग हों तो सहयोग की संस्कृति को सुदृढ़ करना अधिक आवश्यक हो

जाता है। ऐसा सांस्कृतिक वातावरण जिसमें वरिष्ठ कर्मी अपने ज्ञान, सीखों तथा अनुभवों से नवागंतुकों को लाभान्वित करें, नई पीढ़ी के क्षमता विकास में तो सहायक तो होगा ही, यह संगठन को भी मजबूत करेगा। पीढ़ियों के बीच के अंतराल को कम करने में भी इससे मदद मिलेगी। वरिष्ठों द्वारा नवीन भर्ती कार्मिकों को मार्गदर्शन मिलने से ये कार्मिक समझ सकेंगे कि संगठन में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। संगठन में सहयोगात्मक संस्कृति नई पीढ़ी के लिए संबल का कार्य करेगी और वे संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना बेहतर योगदान दे सकेंगे।

पुरानी पीढ़ी लाइसेंस व परमिट के राज में बड़ी हुई थी। अब मुक्त अर्थव्यवस्था का दौर है और स्वाभाविक है कि इस दौर में पली-बढ़ी नई पीढ़ी लाल फीताशाही, नौकरशाही जैसी चीजों को पसंद नहीं करेगी। इस पीढ़ी को संगठन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का वातावरण ज्यादा पसंद आएगा, जहां लोग खुल कर अपनी बात रख सकते हों। विवेकपूर्ण प्रत्यायोजन तथा विकेंद्रीकरण को अपनाकर संगठन नई पीढ़ी में जिम्मेदारी की भावना विकसित कर सकते हैं। बैंक की प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं पर नई पीढ़ी की राय मांगने से सुधार के लिए कुछ अच्छे विचार मिल सकते हैं। इस तरह के कदम उठा कर ही नई पीढ़ी की रचनात्मक व नवोन्मेषी सोच का फायदा लिया जा सकता है।

नई पीढ़ी की सीखने की गति तेज है। यह जल्दी और ज्यादा सीखने को उत्सुक रहती है। बैंकिंग की विविध धाराएं हैं। सभी को सभी धाराओं में कार्य करने में समर्थ बनाना न तो आवश्यक है, न ही व्यावहारिक। पर नई पीढ़ी के सदस्यों को बैंकिंग में अपने रुझान के कुछ क्षेत्र (जैसे जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी, विदेशी मुद्रा विनिमय आदि) चुनने का मौका दिया जाए तो यह उनके साथ-साथ बैंक के लिए भी लाभ की

स्थिति होगी। पर, यहां बैंक की सीमाओं को ध्यान में रखना होगा। नवीन कार्मिकों के प्रबोधन पाठ्यक्रम के आयोजन को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य उन्हें संगठन तथा इसकी संस्कृति से परिचित कराने, उनका कार्य समझाने तथा संगठन के साथ उन्हें जोड़ने का होना चाहिए। बेहतर एम्प्लायी एंगेजमेंट के लिए पहल संगठनों को ही करनी पड़ती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नए भर्ती लोगों की मेंटोरिंग की कोई व्यवस्थित या औपचारिक प्रणाली नहीं रही है। लेकिन वरिष्ठ जन नए कार्मिकों के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य करते रहे हैं। अब समय आ गया है कि बैंक नए कार्मिकों की कोचिंग व मेंटोरिंग हेतु स्पष्ट नीति बनाकर इस पर कार्य करें। यह संतोष की बात है कि कुछ बैंकों ने इसकी शुरुआत कर दी है।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भविष्य अब नई पीढ़ी के हाथों में है। यदि ऐसा है तो इस पीढ़ी, जो उनकी अमूल्य मानव संसाधन है, को अधिक योग्य व सशक्त बनाकर उनमें निवेश कर बैंक आगामी चुनौतियों तथा बढ़ती प्रतियोगिता का सामना करने हेतु अधिक सक्षम होंगे। अपनी मानव संसाधन नीतियों में बैंकों को ध्यान देना होगा कि नई पीढ़ी इन बैंकों में अपने कैरियर का महत्त्व समझे, इसे अर्थपूर्ण पाए तथा संगठन के साथ लगाव महसूस करे। नई पीढ़ी बैंकों को कैरियर के लिए अधिक वरीयता तब देगी जब उनका कार्य वातावरण पेशेवर हो, उनके यहां कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निष्पक्षतापूर्वक हो तथा तरक्की के पर्याप्त अवसर हों। नई पीढ़ी अपनी विशिष्टताओं की वजह से इन संगठनों के लिए विविध चुनौतियां प्रस्तुत करती है पर इन चुनौतियों में भरपूर अवसर भी मौजूद हैं।

○○○

जेनरेशन-वाई की अपेक्षाएं और बैंकिंग

किसी भी देश की जनसंख्या में युवा शक्ति उस देश की बुनियाद होती है। जेनरेशन-वाई आज की युवा पीढ़ी को दी गई एक नई संज्ञा है। सामान्यतः 18 से 34 वर्ष की उम्र के बीच की युवा पीढ़ी इसके अंतर्गत आती है। नीतिगत रूप से भी विभिन्न राष्ट्रों ने युवाओं के लिए 15 से 35 वर्ष तक का आयु समूह तय किया है। भारत में भी जब 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति का निर्माण हुआ था, उस समय 13 से 35 वर्ष के आयु समूह को युवा वर्ग की श्रेणी में रखा गया था। देश के जनसंख्यात्मक आंकड़े बताते हैं कि इस समय 13 से 35 आयु-वर्ग-समूह की कुल जनसंख्या लगभग 59 करोड़ है। उल्लेखनीय है कि कुल जनसंख्या का आधा भाग आज युवा वर्ग में आता है। विश्व के विकसित देशों में जन्म दर के शून्य होने से जहां वरिष्ठजनों की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, वहीं विकसित देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या निरंतर युवा होने के संकेत दे रही है। जनसंख्या से जुड़े वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि 2020 में जहां अमेरिका की औसत आयु 45 वर्ष, चीन की 37 वर्ष, पश्चिमी यूरोप और जापान की 48 वर्ष होगी, वहीं भारत में युवा औसत आयु 29 वर्ष रहेगी। ऐसे में



अभिनव श्रीवास्तव
प्रबंधक (निर्गम विभाग)
भारतीय रिज़र्व बैंक, चेन्नै

यह आवश्यक हो जाता है कि बैंकिंग के प्रति जेनरेशन-वाई की अपेक्षाओं को समझा जाए।

जेनरेशन-वाई के लिए उपलब्ध बैंकिंग उत्पाद

• कार्डरहित एटीएम तथा व्हाइट लेबल एटीएम

एटीएम का उपयोग तो युवा पीढ़ी के लिए एक सामान्य बात है। जेनरेशन-वाई के लिए नया उत्पाद है कार्डरहित एटीएम। अब नकद निकासी के लिए एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है। अब कार्ड का काम मोबाइल फोन पूरा करेगा। साथ ही, अब एटीएम के द्वारा बिना कार्ड के फंड ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसके लिए धन भेजने वाले को नेट बैंकिंग के द्वारा धन प्राप्त करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होता है। इसके बाद दोनों को एक सिस्टम-जेनरेटेड पिन नंबर भेजा जाता है जिसकी सहायता से एटीएम से धन निकासी की जा सकती है।

दूसरी ओर, व्हाइट लेबल एटीएम भी नई पीढ़ी के लिए एक नया उत्पाद है। रिज़र्व बैंक ने एटीएम नीति की समीक्षा की है और देश में एटीएमों की वृद्धि और पैठ को तेज करने के लिए बैंकेतर इकाइयों को भी एटीएम लगाने की, उनके स्वामित्व की व उन्हें चलाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इनमें नकदी प्रबंधन और ग्राहक शिकायत निवारण का काम स्पॉन्सर बैंक का होगा। देश में 31 अगस्त 2014 तक कुल 3676 व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित किए जा चुके हैं।

• प्रीपेड कार्ड, एम-वॉलेट तथा ई-वॉलेट

प्रीपेड भुगतान लिखत अथवा पीपीआई (प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट) ऐसे भुगतान माध्यम हैं जो उनमें निहित मूल्य

के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की सुविधा प्रदान करते हैं। इन्हें सामान्य भाषा में प्रीपेड कार्ड भी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रीपेड कार्ड में निहित मूल्य कार्ड धारक द्वारा इसके लिए भुगतान की गई राशि को दर्शाता है। यह भुगतान बैंक अकाउंट को डेबिट करके अथवा क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है।

पीपीआई स्मार्ट कार्ड, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, इंटरनेट वॉलेट (ई-वॉलेट), मोबाइल वॉलेट (एम वॉलेट) अथवा कागज़ कूपन के रूप में जारी किया जा सकता है। लोकप्रिय सोडेक्सो कूपन एक प्रकार का पीपीआई है। अनेक कंपनियां तथा वेबसाइट्स आजकल मोबाइल वॉलेट तथा इंटरनेट वॉलेट की सुविधाएं देती हैं जिनके द्वारा मोबाइल अथवा इंटरनेट के माध्यम से अनेक भुगतान तथा लेनदेन सरलता से किए जा सकते हैं।

● सत्याभासी मुद्रा और बिट्कॉइन

जेनरेशन-वाई के लिए एक नया आकर्षण “सत्याभासी मुद्रा” (वर्चुअल करेंसी) जैसे कि बिट्कॉइन है जो बीते दिनों सुर्खियों में रहा है। यह सत्याभासी मुद्रा का एक प्रकार है। सत्याभासी मुद्रा एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है जिस पर फिलहाल कोई नियंत्रण या नियमन नहीं है। इनका नियंत्रण इनके जारीकर्ताओं द्वारा ही किया जाता है और प्रायः इनका उपयोग एक विशेष वर्चुअल समुदाय में किया जाता है। जहां ऐसी बहुत सी वर्चुअल या सत्याभासी मुद्राओं का वास्तविक मुद्रा और वास्तविक जगत के साथ कोई आदान-प्रदान नहीं होता, वहीं दूसरी ओर कुछ डिजिटल मुद्राओं का लेनदेन वास्तविक मुद्रा के साथ होता है। बिट्कॉइन इनमें से ही एक है। हालांकि, इसका फिलहाल बैंकिंग व्यवस्था से सीधा संबंध नहीं है और रिज़र्व बैंक ने इसके खतरों के प्रति आगाह भी किया है।

● ऑनलाइन बैंकिंग

ऑनलाइन बैंकिंग अथवा इंटरनेट बैंकिंग जेनरेशन-वाई के लिए सर्वाधिक उपयोगी और प्रचलित उत्पाद है। इसके माध्यम से वे सारे काम घर बैठे किए जा सकते हैं जिनके लिए पहले बैंक जाने की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि खाते में बैलेंस चेक करना, फिक्स डिपॉजिट

करना और फंड ट्रांसफर करना। फंड ट्रांसफर के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस भी इसके द्वारा घर बैठे किए जा सकते हैं।

● मोबाइल बैंकिंग

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2008 में मोबाइल बैंकिंग पर प्रथम दिशा-निर्देश जारी किए थे। तब से अब तक मोबाइल बैंकिंग ने सतत प्रगति की है। आज मोबाइल बैंकिंग के अंतर्गत कई उत्पाद उपलब्ध हैं। इसमें प्रीपेड मोबाइल वॉलेट और कार्ड रहित एटीएम लेनदेन तो हैं ही, आईएमपीएस (इमीडिएट पेमेंट सर्विस) नामक विशेष सेवा भी है। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है और अंतरबैंक भुगतान का एक माध्यम है। इसके लिए ग्राहकों को एमएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेंटिफायर) कोड जारी किया जाता है।

● पॉइंट ऑफ सेल (डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड)

प्लास्टिक मनी अर्थात डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग नई पीढ़ी की विशेषता है। इनका उपयोग ऑनलाइन भुगतान के लिए तो किया ही जाता है पर छोटी-बड़ी हर खरीददारी के लिए इनका उपयोग पॉइंट ऑफ सेल पर करना जेनरेशन-वाई के कैशलेस समाज की पहचान है।

जेनरेशन-वाई की अपेक्षाएं

● जेनरेशन-वाई बैंकों की बड़ी ग्राहक

वित्तीय समावेशन के प्रयासों के साथ जैसे-जैसे बैंकिंग का प्रसार हो रहा है नए ग्राहक बैंकों से जुड़ते जा रहे हैं। गांव या शहर दोनों ही जगह नई पीढ़ी बैंकिंग सुविधाओं के लिए बाकी आयु-वर्गों की तुलना में अधिक उत्साहित रहती है। जेनरेशन-वाई बैंकों के लिए वह ग्राहक समूह है जो वर्तमान में उनसे जुड़ रहा है। यदि बैंक उन्हें आकर्षित करने में और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप सेवाएं देने में सफल रहते हैं तो यही पीढ़ी भविष्य में उनका सबसे बड़ा ग्राहक समूह साबित होगी।

● नयी अपेक्षाओं के माध्यम से नवोन्मेष के अवसर

नई पीढ़ी की नई अपेक्षाएं बैंकों के लिए भी नवोन्मेष

का एक अवसर है। यदि बैंक इन अपेक्षाओं के अनुरूप नई सुविधाएं प्रदान करने में, नई प्रौद्योगिकी का दोहन करने में और बैंकिंग उत्पादों को नवोन्मेषी करने में सफल रहते हैं तो इससे न सिर्फ जेनरेशन-वाई की अपेक्षाएं पूरी होंगी बल्कि सभी ग्राहक लाभान्वित होंगे और बैंकिंग जगत को भी एक नया परिवेश मिलेगा।

नवोन्मेष की संभावनाएं

• सोशल मीडिया का दोहन

शुरुआत करने के लिए बैंक लोकप्रिय सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपना एक सोशल मीडिया पेज अथवा खाता बना सकते हैं। इसके माध्यम से जेनरेशन-वाई के साथ संवाद करना सरल होगा। एक ओर नई पीढ़ी को नए बैंकिंग उत्पादों की जानकारी मिलेगी वहीं दूसरी ओर बैंक भी उनकी अपेक्षाओं से परिचित हो सकेंगे। यह माध्यम उपभोक्ता सेवा और शिकायत निवारण में भी एक नया आयाम लाएगा।

• ऑनलाइन फोरम / ब्लॉग का निर्माण

ऑनलाइन फोरम/ब्लॉग भी बैंकों के लिए जेनरेशन-वाई की अपेक्षाओं के प्रति प्राथमिक और सरल कदम साबित हो सकते हैं। सभी बैंक अपनी वेबसाइट पर अपने ग्राहकों के लिए एक ब्लॉग बना सकते हैं जहां वे अपनी समस्याएं/जानकारियां साझा कर सकें। बैंक भी इस ब्लॉग पर अपनी सूचनाएं दे सकता है। जो ग्राहक अपनी ई-मेल ब्लॉग पर दर्ज कराएं उन्हें ये सूचनाएं ई-मेल से भी प्राप्त हो जाएंगी।

• वित्तीय शिक्षा में तकनीकी-पेशेवर एवं स्वचल सलाह

जेनरेशन-वाई लोन और ईएमआई के दौर की पीढ़ी है और इसलिए उन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों और बजट को समझना और उसका समुचित प्रबंधन करना आवश्यक है। यह वित्तीय शिक्षा के द्वारा ही संभव है। नई पीढ़ी की तकनीकी समझ को ध्यान में रखते हुए वित्तीय शिक्षा में भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसे और सुगम और सरल बना सकता है। इसके लिए सोशल मीडिया, ब्लॉग, एसएमएस, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि का उपयोग किया जा सकता है। नई पीढ़ी वित्तीय मामलों में पेशेवर सलाह

की भी आशा करती है। यदि यह उन्हें बैंकिंग जगत से ही प्राप्त हो जाएगी तो उन्हें बैंकिंग से जुड़ने में सरलता होगी। स्वचल सलाह (ऑटोमेटेड एडवाइस) भी नवोन्मेष का एक अवसर है।

• व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल

ग्रामीण क्षेत्रों में पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) की पहुंच बढ़ाने और इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को बढ़ावा देने के लिए व्हाइट लेबल पॉइंट ऑफ सेल की शुरुआत करने का प्रस्ताव 2013-14 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में दिया गया था। इनकी कार्यप्रणाली व्हाइट लेबल एटीएम की ही भांति होगी। इस माध्यम से पीओएस की अधिक पहुंच जेनरेशन-वाई की अपेक्षाओं के अनुरूप होगी।

• भारत बिल पेमेंट सिस्टम

वर्तमान में हमारे देश में बिल भुगतान के मामले में इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं है, लिहाजा लोगों को अलग-अलग सेवाओं के बिल की रकम चुकाने में दिक्कत होती है। इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भारत बिल पेमेंट सिस्टम' (बीबीपीएस) शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। बीबीपीएस के तहत लोग एक ही जगह पानी, बिजली और मोबाइल बिल के साथ-साथ स्कूल फीस और इंश्योरेंस प्रीमियम तक का भुगतान कर सकेंगे। बीबीपीएस एक ही वेबसाइट पर सारे बिल पेमेंट करने की सुविधा भी देगा। जो 'भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट' बीबीपीएस के तहत काम करेगी। ये यूनिट बिलर्स और बिल भुगतान की सुविधा देने वाले एप्रीग्रेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेंगे।

कैपजेमिनी एवं एफमा की 'विश्व रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट-2014' के अनुसार जेनरेशन-वाई बाकी आयु-वर्गों की तुलना में बैंकिंग से कम संतुष्ट है। उपभोक्ता अपेक्षाओं तथा सोशल बैंकिंग सेवाओं की आपूर्ति के बीच का अंतराल बढ़ता जा रहा है। यह बैंकों के लिए एक चुनौती है। बैंकों को इस नई पीढ़ी की नयी अपेक्षाओं को समझना होगा और उसके अनुरूप कदम उठाने होंगे।

○○○

केंद्रीय बैंकिंग : तब और अब

यद्यपि वर्ष 1609 में स्थापित बैंक ऑफ एमस्टर्डम को केंद्रीय बैंकिंग का आधार माना जाता है, तथापि विश्व में केंद्रीय बैंकिंग की वास्तविक शुरुआत वर्ष 1668 में स्वीडिश रिक्स बैंक की स्थापना से हुई। बाद में, 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। ये दोनों ही सरकार प्रायोजित बैंक थे और प्रारंभ में इन्हें नोट जारी करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था। बाद में ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करने लगे। वर्ष 1800 तक ये दोनों केंद्रीय बैंक मुख्यतः नोट जारी करने और सरकार के बैंकर के तौर पर कार्य कर रहे थे। इन दो महत्वपूर्ण कार्यों की बदौलत इनके पास बैंकिंग प्रणाली की निधियों का केंद्रीकरण होने लगा और कालांतर में ये बैंकों के बैंक के तौर पर काम करने लगे और फिर मौद्रिक प्रबंधन तथा बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की जिम्मेदारी भी संभालने लगे। इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि मूल रूप से इन बैंकों की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की गई थी, वह बहुत सीमित था। पर, धीरे-धीरे इनकी विशेष स्थिति बनती गई और इनके कार्य तथा कार्यक्षेत्र में वृद्धि होती गई।

वर्ष 1873 तक उक्त दो बैंक ही केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहे थे। अन्य देश अपना मौद्रिक और वित्तीय परिचालन बिना



डॉ. रमाकांत शर्मा
महाप्रबंधक (से.नि.)
भारतीय रिज़र्व बैंक

किसी केंद्रीय बैंक की सहायता के कर रहे थे। लेकिन, विशेषकर बैंक ऑफ इंग्लैंड की कार्यप्रणाली ने केंद्रीय बैंकिंग के महत्त्व को स्थापित कर दिया था। उससे प्रेरित होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई देशों ने अपने यहां केंद्रीय बैंक की स्थापना का निर्णय लिया। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इंग्लैंड की दासता से मुक्त होने वाले लगभग सभी देशों ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की और आज विश्व के सभी देशों में केंद्रीय बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज इनके कार्यों में शामिल हैं -

- मुद्रा जारी करना।
- मौद्रिक स्थिरता कायम करना।
- सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना।
- बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना।
- ऋण प्रणाली का विनियमन करना।
- वाणिज्य बैंकों के परिचालनों का पर्यवेक्षण करना और उन पर निगरानी रखना।
- विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों का रखरखाव।
- बैंकिंग प्रणाली का विस्तार करना।
- बैंकिंग प्रणाली को बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाना।

अधिकांश देशों में केंद्रीय बैंक सरकार के स्वामित्व वाली संस्था के रूप में कार्यरत हैं क्योंकि उनकी अधिकृत/चुकता पूंजी सरकार द्वारा प्रदत्त होती है, अतः केंद्रीय बैंक जो लाभ कमाते हैं वे अपनी-अपनी सरकारों को लाभांश के तौर पर अंतरित कर देते हैं।

अब हम भारत में केंद्रीय बैंकिंग के विकास तथा उसकी आज की स्थिति पर एक नजर डालेंगे।

भारत में केंद्रीय बैंकिंग : तब

भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्रमशः 1809, 1840 तथा 1842 में तीन प्रेसीडेंसी बैंक अर्थात् बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। वर्ष 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस बैंक को सामान्य बैंकिंग कार्यों के अलावा केंद्रीय बैंकिंग के भी कुछ कार्य सौंपे गए, लेकिन इसे करेंसी जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसे केंद्रीय बैंकिंग के निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे -

- समाशोधन गृहों का प्रबंधन।
- अपनी शाखाओं, अन्य बैंकों तथा जनता को प्रेषण सुविधा प्रदान करना।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना

केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में की गई। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए -

- मुद्रा जारी करना।
- सरकार के बैंकर के रूप में काम करना।
- बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना।

कृषि के क्षेत्र में सीमित भूमिका को छोड़कर इसे अन्य किसी क्षेत्र में कोई विकासात्मक भूमिका नहीं सौंपी गई।

भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास वस्तुतः भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना और विकास का पर्याय है। तब की केंद्रीय बैंकिंग पर चर्चा के लिए इसे निम्नलिखित दो चरणों में बांटना उचित रहेगा -

- शुरुआती चरण (1935-1950)।
- विकास चरण (1951-1990)।

इन दोनों चरणों में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अलग परिस्थितियों में अलग तरह की भूमिका और उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया है। आइये, हम इस पर एक नजर डालते हैं -

शुरुआती चरण (1935-1950)

इस चरण के अधिकांश भाग में भारतीय रिज़र्व बैंक प्राइवेट संस्था के तौर पर कार्य करता रहा तथा नोट जारी करने और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करने के परंपरागत दायित्वों का

निर्वहन करता रहा। द्वितीय विश्वयुद्ध तथा उसके बाद के वर्षों में इसका मुख्य कार्य युद्ध के लिए वित्त उपलब्ध कराना, स्टर्लिंग ऋणों का प्रत्यावर्तन करना तथा विदेशी मुद्रा का नियंत्रण और प्रशासन करना था।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश में बैंकों की संख्या 691 से तेजी से बढ़ कर 737 पर पहुंच गई, पर वे कुछ ही शहरों तक सीमित थे। इस दौरान, विशेषकर नए बैंकों के संबंध में कुछ परेशान करने वाली बातें सामने आईं, जो संक्षेप में ये थीं -

- कम पूंजी आधार और चलनिधि के साथ बैंकों की स्थापना।
- मनमाने तरीके से शाखाएं खोलना और जमाराशियां पाने के लिए सही-गलत तरीके अपनाना।
- जनता से प्राप्त जमाराशियों का सट्टेबाजी के लिए प्रयोग करना।
- बहुत अधिक वेतन, बोनस तथा कमीशन के रूप में लाभ उठाना।
- औद्योगिक घरानों का बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र के बड़े भाग पर नियंत्रण रखने का प्रयास।
- कुछ मामलों में बैंकों की सही वित्तीय स्थिति को छुपाने के लिए खाता-बहियों की लीपा-पोती करना।

उपर्युक्त कारणों से यह महसूस किया गया कि बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय बैंकिंग का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण विनियामक कदम उठाए -

- बैंकिंग कंपनी (निरीक्षण) अध्यादेश, 1946; जिसके जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी के खातों/लेखे के निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया।
- बैंकिंग कंपनी (शाखाओं पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1946; जिसके जरिये नई शाखा खोलने या विद्यमान शाखा का स्थान बदलने से पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में किया

गया और इसे मार्च 1949 से लागू बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत बैंकों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गईं, जिनमें शामिल थीं -

- भारत में कार्यरत सभी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता।
- अनुसूचित बैंकों की तरह गैर-अनुसूचित बैंकों को अपनी मांग और मीयादी देयताओं का एक निर्धारित प्रतिशत नकद रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखने की अनिवार्यता।
- सभी बैंकिंग कंपनियों को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सांविधिक चलनिधि अनुपात बनाए रखने की अनिवार्यता।

बैंकिंग कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1956 ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों के प्रबंध निदेशकों, निदेशकों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति अवधि बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया।

वास्तव में, उक्त अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक का ध्यान मुख्य रूप से बैंकों के विनियमन तथा पर्यवेक्षण पर केंद्रित रहा।

भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल पर वर्ष 1949 में सरकार ने ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति गठित की जिसे देश में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार करने का काम सौंपा गया।

विकास चरण (1951-1990)

पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत के समय भारतीय रिज़र्व बैंक के कामों में और विविधता आई क्योंकि इसे योजना के लिए वित्त उपलब्ध कराने, भारतीय अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष संस्थाएं स्थापित करने तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाना था। इस हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम जैसी विशेष संस्थाएं स्थापित करने/प्रवर्तित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षण संबंधी भूमिका का विस्तार हुआ क्योंकि उसे उक्त संस्थाओं के पर्यवेक्षण/निगरानी का काम भी करना था।

प्रथम पंचवर्षीय योजना ने ही मूल्य स्थिरता तथा निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों के विनियमन के लिए मौद्रिक नीति के महत्त्व को रेखांकित कर दिया था, जिसे बाद की योजनाओं में और भी बल मिला।

साठ के दशक में रुपये का अवमूल्यन तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण ऐसी दो बड़ी घटनाएं रहीं, जिनके कारण बाद के वर्षों में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और कार्यप्रणाली बेहद प्रभावित हुए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण सामाजिक बैंकिंग को स्थापित और प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को कई कदम उठाने पड़े। बैंकों के नियंत्रण और निगरानी प्रणाली में भी तदनु रूप परिवर्तन किए गए।

सत्तर के दशक में स्थिर विनिमय दरों की ब्रेटनवुड्स प्रणाली के ध्वस्त होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था के लड़खड़ा जाने तथा वर्ष 1973-74 में तेल की कीमतों में आई भयंकर तेजी के कारण विदेशी मुद्रा प्रबंधन तथा भुगतान संतुलन की गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गईं। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार का ध्यान विदेशी पूंजी के प्रवेश को विनियमित करने के बजाय विदेशी मुद्रा को देश से बाहर न जाने देने पर केंद्रित हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 लाया गया। इस स्थिति के कारण 1970 के दशक में भारतीय रिज़र्व बैंक पर जो नई जिम्मेदारियां आईं, वे थीं -

- देश की सीमित विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का विनियमन और प्रबंधन।
- कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधाओं की मात्रा और क्षेत्र में वृद्धि।
- मुद्रा बाज़ार पर नियंत्रण स्थापित करना।

इसी चरण में, विकासात्मक कार्यों तथा वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए मौद्रिक नीति के लिए औपचारिक ढांचा अपनाया गया। अस्सी के दशक के मध्य में भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के लिए जो औपचारिक ढांचा अपनाया उसमें एम3 को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखा गया।

केंद्रीय बैंकिंग : अब

वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण के लिए उठाए गए कदमों ने भारतीय रिज़र्व बैंक के

उत्तरदायित्वों में नए आयाम जोड़े। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अनुरूप मौद्रिक नीति के ढांचे में भी बदलाव लाए गए। वैश्विक गतिविधियों तथा घरेलू ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मुद्रा प्रबंधन तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों सहित परंपरागत केंद्रीय बैंकिंग के कार्यों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। यही कारण है कि 1991 के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और कार्यप्रणाली में काफी परिवर्तन हुआ। केंद्रीय बैंकिंग के परंपरागत कार्यों की पुनर्व्यवस्था के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों में कई गैर-परंपरागत कार्यों का भी समावेश हुआ और आज हम जो केंद्रीय बैंकिंग देख रहे हैं, उसने आकार ग्रहण किया। इस पर हम तीसरे चरण अर्थात् “सुधार के चरण” के अंतर्गत चर्चा करेंगे।

सुधार चरण (1991-अब तक)

सुधार का प्रथम चरण बैंकिंग उद्योग के विनियमन का चरण था। इस दौरान बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने तथा उनकी नींव मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने विवेकशील मानदंड लागू किए, भुगतान और निपटान प्रणाली में जबरदस्त परिवर्तन किए तथा बैंकों पर निगरानी और नियंत्रण संबंधी ढांचे को अधिक कारगर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। बैंकिंग पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कदम था।

सुधार के दूसरे चरण में विवेकशील मानदंडों को लागू करने पर बल दिया गया। इस हेतु अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बासेल समिति द्वारा निर्धारित आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी मानदंडों के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंड लागू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समयावधि तय की। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी विवेकशील मानदंड लागू किए गए तथा उनकी निगरानी और पर्यवेक्षी प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया।

वर्ष 1992 में विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय पूंजी बाज़ार में प्रवेश की अनुमति दे दी गई, जिसके कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ।

नीतिगत परिवर्तन

बैंकिंग क्षेत्र के उपर्युक्त सुधारों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतियों में भी परिवर्तन किए, जिन्हें संक्षेप में निम्नानुसार देखा जा सकता है -

ऋण बाजार

- तदर्थ खजाना बिलों को समाप्त किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा लागू की गई।
- वर्ष 2003 में, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से सीबीएलओ (Collateralized Borrowing and Lending Obligation) को मुद्रा बाज़ार परिचालन के एक लिखत के रूप में लाया गया।
- वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड तथा बाज़ार के सहभागियों के बीच प्रतिभूतियों के निःशुल्क और स्वचालित अंतरण की व्यवस्था लागू की।
- अल्पकालीन ऋणों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो बाज़ार विकसित किया। इसके लिए बैंक दर से इतर दरें तय की जाने लगीं ताकि बाज़ार की अल्पकालीन ऋण-मांग को पूरा किया जा सके।
- ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. की स्थापना की गई।

विदेशी मुद्रा विनियमन

- विनिमय दर से संबंधित नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया और नियंत्रित दर की नीति छोड़कर बाज़ार निर्धारित विनिमय दर की नीति अपनायी गई।
- चालू खाता परिवर्तनीयता की ओर कदम बढ़ाए गए।
- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973 के बजाय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 लागू होने के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुए। भारत सरकार ने फेमा के अंतर्गत होने वाले तमाम उल्लंघनों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को कंपाउंडिंग प्राधिकारी के तौर पर अधिसूचित किया। बाद में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस अधिसूचना से प्राप्त अपनी काफी शक्तियां प्राधिकृत व्यापारियों को प्रत्यायोजित कर दीं जिनमें विविध प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय रिज़र्व बैंक अपना ध्यान विदेशी मुद्रा बाज़ार विकसित करने पर केंद्रित कर सके।

मौद्रिक नीति

वित्तीय बाजारों की जटिलता में निरंतर हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति संबंधी तकनीकों को उन्नत बनाया तथा प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि की।

देश में पूंजी आगमन में वृद्धि तथा मौद्रिक प्रबंध

उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद देश में पूंजी के आगमन में आशातीत वृद्धि हुई। इसका स्वाभाविक परिणाम रुपये के अधिमूल्यन (एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी) के रूप में सामने आया। इसके दुष्प्रभावों को कम करने/समाप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश के केंद्रीय बैंक के रूप में हस्तक्षेप किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के आधारभूत कार्यों में बदलाव

● **मुद्रा प्रबंधन** - गंदे नोटों की समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'क्लीन नोट' नीति अपनाने की घोषणा की। इसे ध्यान में रखते हुए नोट मुद्रण के लिए नए प्रेस स्थापित किए गए तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया।

● **भुगतान और निपटान प्रणालियां** - भुगतान और निपटान प्रणालियों को कंप्यूटरीकृत किया गया तथा आरटीजीएस प्रणाली लागू की गई जिसके जरिए कम लागत पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधियों का तत्काल अंतरण किया जा सकता है।

● **सूचना और प्रौद्योगिकी** - बैंकिंग क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू करने, उसे बढ़ाने तथा उसमें सहयोग के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई।

● **विनियमन और पर्यवेक्षण** - सुदृढ़, दक्ष तथा स्पंदनशील वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने तथा पारदर्शिता, प्रकटीकरण, समेकन, प्रतिस्पर्धा और जोखिम प्रबंधन के संबंध में समय-समय पर अनेक दिशा-निर्देश जारी किए। साथ ही, पर्यवेक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक उन दिशा-निर्देशों का पूरा पालन करते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कंपनी अभिशासन तथा वित्तीय समावेशन लागू करने पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया।

निष्कर्ष

भारत में ही नहीं, विश्व भर में केंद्रीय बैंकिंग की शुरुआत नोट जारी करने तथा सरकार के बैंकर के रूप में काम करने जैसे सीमित उद्देश्यों को लेकर की गई थी। लेकिन, समय के साथ-साथ इसके कार्यों में निरंतर वृद्धि होती गई है। केंद्रीय बैंकिंग के विकास के प्रत्येक चरण के साथ बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप उसके कार्यों में नए आयाम जुड़ते गए हैं जिनमें नई संस्थाओं का प्रवर्तन तथा वित्तीय क्षेत्र को विकसित करने तथा सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए प्रयास शामिल हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए निधियां उपलब्ध कराने, बुनियादी ढांचे का विकास करने, वित्तीय क्षेत्र का विकास करने, वित्तीय बाजार का विकास करने, बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी को लागू कर उसे आधुनिक बनाने, बैंकिंग कार्यों में नवोन्मेष लाने जैसे अनेक गैर-परंपरागत कार्यों को अंजाम दिया है।

इसी प्रकार, बढ़ती मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने तथा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दृढ़ता और दक्षता का परिचय दिया है। इस संबंध में कई गैर-परंपरागत उपायों का सहारा लिया गया है। उदाहरणार्थ, नीतिगत दरों में कमी-वृद्धि के परंपरागत उपाय के अलावा खुले बाजार की क्रियाओं का विस्तार तथा चयनात्मक ऋण नियंत्रण का विवेकसम्मत प्रयोग किया गया।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, बैंकों और वित्तीय क्षेत्र पर निगरानी तथा पर्यवेक्षण तंत्र को धार देने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई नवोन्मेषी कदम उठाए हैं। इसी प्रकार, भारतीय वित्तीय बाजारों को वैश्विक वित्तीय बाजारों से जोड़ने के लिए भी सफल प्रयास किए हैं।

केंद्रीय बैंकिंग जहां से शुरू हुई थी, वहां से एक लम्बा रास्ता तय कर चुकी है। हर चुनौती ने इसे नए आयाम दिए हैं। आज यह हर देश के लिए अपरिहार्य संस्था बन चुकी है। वैश्विक और घरेलू चुनौतियां निश्चित रूप से केंद्रीय बैंकिंग की दशा और दिशा में बदलाव लाती रहेंगी, पर यह भी सच है कि इसके परंपरागत कार्य इसकी पहचान बने रहेंगे।

○○○

केंद्रीय बैंकिंग : कल और आज

मुद्रा का लेनदेन बहुत पुराने व्यवसायों में से एक है। जहाँ इंग्लैण्ड में इस व्यवसाय में संलग्न लोगों को बेंच पर बैठकर कार्य करने के कारण बैंक कहा जाने लगा, वहीं हमारे देश में ये व्यवसायी साहूकार या स्वदेशी बैंकर के नाम से जाने जाते थे। प्रारंभ में जिन बैंकों का प्रादुर्भाव हुआ वे वाणिज्यिक बैंक ही थे। केंद्रीय बैंक जैसी कोई संस्था नहीं थी। केंद्रीय बैंकों का उद्भव सरकार की युद्धकालीन वित्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए हुआ।

कालांतर में इन बैंकों ने इस प्रकार के कार्य भी शुरू कर दिए जिन्हें वर्तमान में केंद्रीय बैंकों द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। इस आधार पर इन बैंकों को देश की बैंकिंग व्यवस्था में शीर्ष स्थान पर माना जाने लगा और इन्हें “केंद्रीय बैंक” के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान केंद्रीय बैंकों में यू. के. का “बैंक ऑफ इंग्लैण्ड” (1694) तथा स्वीडेन का “रीस बैंक” (1668) सबसे पुराने केंद्रीय बैंकों में से हैं।

बैंक ऑफ इंग्लैण्ड विश्व में पहला बैंक है जिसने केंद्रीय बैंक के कार्यों एवं अधिकारों को प्राप्त किया अर्थात् जो बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने कार्य किए वे ही केंद्रीय बैंक के कार्य हो गए। अतः



डॉ. एस.एल. लोढा

पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र)
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
एवं म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर

केंद्रीय बैंकों के उद्गम में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड का प्रथम नाम है। बीसवीं शताब्दी में केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था को एक वैज्ञानिक स्वरूप प्राप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् विश्व में आर्थिक संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इसी दौरान राष्ट्रीयता की भावना के विकास एवं राजकीय नियंत्रण की बढ़ती आवश्यकता ने केंद्रीय बैंकिंग के विकास को विशेष प्रोत्साहित किया। सन् 1920 के ब्रुसेल्स के अंतरराष्ट्रीय वित्त सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि जिन देशों में केंद्रीय बैंकों की स्थापना नहीं की गई है, उन देशों की सरकारों को यथाशीघ्र केंद्रीय बैंक स्थापित करके देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग पद्धतियों में स्थायित्व एवं विश्व स्तर पर सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय वित्त सम्मेलन में उपर्युक्त प्रस्ताव पारित होने के बाद विश्व के विभिन्न देशों में केंद्रीय बैंकों की स्थापना की बाढ़ सी आ गई।

1922 में रिज़र्व बैंक ऑफ पेरू, बैंक ऑफ लेटविया तथा बैंक ऑफ लिथुनिया, सन् 1928 में सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना, सेंट्रल बैंक ऑफ बोलेविया एवं बैंक ऑफ ग्रीस की स्थापना हुई। सन् 1934 में रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैण्ड तथा 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना हुई। सन् 1935 में ही बैंक ऑफ कनाडा तथा सेंट्रल बैंक ऑफ दी अर्जेन्टाइना रिपब्लिक की स्थापना की गई। सन् 1936, 1937 एवं 1940 में क्रमशः बैंक ऑफ दी रिपब्लिक ऑफ पैराग्वे, नेशनल बैंक ऑफ कोस्टारिका और सेंट्रल बैंक ऑफ वेनेजुएला की स्थापना की गई। वर्तमान में स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान का केंद्रीय बैंक एक प्रतीक है। इसी आधार पर अब सभी केंद्रीय बैंकों का स्वामित्व भी सरकार के पास है।

भारत में केंद्रीय बैंक का जन्म 1773 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित “जनरल बैंक ऑफ बंगाल एण्ड बिहार” से होता है जो ईस्ट इण्डिया कंपनी की सरकार के संरक्षण में एक निजी बैंक था। किन्तु यह अल्पजीवी रहा और 1775 में बंद हो गया। इसके पश्चात् बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय बैंक की स्थापना से

संबंधित कानून बनाने के प्रयत्न हुए।

1914 में चेम्बरलेन कमीशन के एक सदस्य जॉन मेनार्ड केन्स ने कमीशन को एक दस्तावेज सौंपा जिसमें केन्स ने यह सुझाव दिया कि तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों का विलय कर एक केंद्रीय बैंक में परिणत कर दिया जाए और इसका नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया रखा जाए। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत केंद्रीय बैंक की आवश्यकता की तीव्र अनुभूति हुई और इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1920 पारित कर दिया गया तथा तीनों बैंकों का विलय कर 27 जनवरी 1921 को इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना कर दी गई। यद्यपि, मुख्य रूप से तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया एक वाणिज्यिक बैंक ही रहा किन्तु इस बैंक ने केंद्रीय बैंक के कार्य यथा सरकारी बैंकर एवं बैंकों के बैंकर के रूप में प्रारंभ कर दिए। किन्तु नोट निर्गमन एवं विदेशी विनिमय प्रबंधन का कार्य केंद्र सरकार के पास ही रहा।

इसी बीच यह बात जोर पकड़ने लगी कि इम्पीरियल बैंक को वाणिज्यिक बैंक के कार्यों के साथ केंद्रीय बैंक के कार्यों का सौंपा जाना उपयुक्त नहीं है। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इण्डियन करेन्सी एंड फाइनेंस (हिल्टन यंग कमीशन) ने भी यह सुझाव दिया कि परस्पर विरोधी कार्यों को एक बैंक में निहित करना एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन, जिसमें केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य तो इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया करे और शेष कार्य भारत सरकार सम्पादित करे, उचित नहीं है। कमीशन के एक सदस्य केन्स ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया जिसका नाम रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया होगा और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व देश में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक समझा गया।

रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना के लिए विधानसभा में 1 जनवरी 1927 को एक विधेयक प्रस्तुत किया किंतु मालिकाना हक, संविधान एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मसलों को लेकर इस विधेयक को त्याग दिया गया। इसके बाद “दी इण्डियन सेन्ट्रल बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी, 1931” ने भी दृढ़ता के साथ रिज़र्व बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। 1933 में भारतीय संविधान सुधार पर श्वेत पत्र में राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त रिज़र्व बैंक की स्थापना का फिर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इन सुझावों के कारण 1933 में ही रिज़र्व बैंक की स्थापना के लिए एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया जिसे 1934 में पारित कर दिया गया। इस तरह रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 1934 के पारित होने

के बाद इसे 1 जनवरी 1935 से लागू कर 1 अप्रैल 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना केंद्रीय बैंक के रूप में कर दी गई जिसने 2 अप्रैल 1935 से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। देश की स्वतंत्रता के बिना केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना एक अपवाद ही कहा जाएगा क्योंकि केंद्रीय बैंक स्वतंत्र देश की पहचान होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्राक्कथन में इस बैंक के उद्देश्य हैं “बैंक नोट निर्गमन का नियमन करना एवं इस प्रयोजन के साथ कोष रखना कि भारत में मौद्रिक स्थायित्व बना रहे एवं देश में करेंसी एवं साख व्यवस्था का देश हित में प्रयोग हो।” इसके नियमों में इसके कार्य हैं - (क) करेंसी जारी करना, (ख) सरकारी बैंकर एवं (ग) अन्य के लिए बैंकर का कार्य करना। बैंक की स्थापना का चरण युद्ध एवं युद्ध के बाद की विपदाओं से भरा हुआ रहा। 1937 में बर्मा के अलग होने एवं 1 जनवरी 1949 को स्वयं बैंक के राष्ट्रीयकरण के कारण बैंक के कार्यक्षेत्र पर प्रभाव पड़ा।

बर्मा के अलग हो जाने बाद भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1942 तक करेंसी अधिकारी का एवं मार्च 1947 तक बर्मा सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य किया। 1947 में देश विभाजन के बाद पाकिस्तान के लिए जून 1948 तक केंद्रीय बैंकिंग का कार्य किया। इस दौर में रिज़र्व बैंक का अधिकतर कार्य करेंसी प्रबंधन एवं सरकारी बैंकर का ही रहा। जहां तक मौद्रिक नीति के क्रियान्वयन का प्रश्न है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी।

यहां यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि बैंक दर प्रारंभ में 3.5 प्रतिशत रखी गई थी जिसे कुछ समय बाद ही नवंबर 1935 में 3 प्रतिशत कर दिया गया, जो नवंबर 1951 तक इसी स्तर पर बनी रही। भारत में प्रारंभ में नोट निर्गमन का काम निजी बैंकों (बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई एवं बैंक ऑफ मद्रास) द्वारा किया जाता था किन्तु पेपर करेंसी एक्ट, 1861 के अंतर्गत यह कार्य भारत सरकार को दे दिया गया और इसके साथ ही निजी बैंकों द्वारा किए जाने वाले नोट निर्गमन का कार्य समाप्त हो गया। 31 मार्च 1935 तक करेंसी प्रबंधन का कार्य कंट्रोलर ऑफ करेंसी द्वारा सम्पन्न किया जाता रहा और इसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार में आ गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रथम बार ₹5 एवं ₹10 के नोट मुद्रण का कार्य जनवरी 1938 से शुरू किया और ₹100, ₹1000 एवं ₹10000 के नोटों का मुद्रण इसी वर्ष

में बाद में शुरू किया गया। नोट मुद्रण का काम ब्रिटिश इण्डिया का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था।

बैंकों के बैंकर के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक क्लीयरिंग हाउस का कार्य करता रहा और जो वाणिज्यिक बैंक इसके पास नकद कोष रखते थे उन्हें यह आवश्यकता के समय ऋण भी उपलब्ध करवाता रहा और कोषों का हस्तांतरण भी करता रहा। बैंकों के निरीक्षण एवं नियंत्रण का कार्य रिज़र्व बैंक के बैंकिंग विभाग ने 1945 से शुरू किया किंतु रिज़र्व बैंक को बैंकों के निरीक्षण एवं नियंत्रण के अधिक अधिकार बैंकिंग कंपनीज एक्ट, 1949, के अन्तर्गत प्राप्त हुए।

सरकारी बैंकर के रूप में रिज़र्व बैंक की स्थापना के बाद इम्पीरियल बैंक ने काम करना बंद कर दिया किंतु रिज़र्व बैंक ने इम्पीरियल बैंक को सरकारी बैंक के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए अपना एजेंट नियुक्त कर दिया। रिज़र्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों को उधार देने, मुद्रा के हस्तांतरण एवं सरकार के लिए जमा प्राप्त करने का कार्य करता रहा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकार को अल्पकालीन ऋण (वेज एण्ड मीन्स एडवांसेज) उपलब्ध करवाता रहा। किन्तु 1943-44 के एक दशक तक सरकार को अल्पकालीन ऋणों की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सरकार की आय बहुत बढ़ गई थी। सरकारी बैंकर के रूप में इस अवधि में सरकार के लिए जनता से ऋण जुटाना (ट्रेजरी बिल्स के द्वारा भी) ही रिज़र्व बैंक का मुख्य कार्य रहा।

इसके बाद 1951 से जैसे ही देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ी। बैंकों का विस्तार, गैर-बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना, सरकारों के लिए ऋणों का प्रबंध, बचतों को प्रोत्साहन, कीमत स्थिरता एवं आर्थिक संवृद्धि के लिए मौद्रिक नीति का संचालन जैसे मुद्दे रिज़र्व बैंक के सामने रहे और रिज़र्व बैंक ने इन सबको बखूबी निभाया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब तक (1950 तक) अपने पारंपरिक कार्यों को निभाने में दक्षता हासिल कर ली थी। इधर देश की स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि के लिए कार्य शुरू कर दिए। संवृद्धि का मूल मंत्र निवेश में वृद्धि रही जो बचतों के माध्यम से ही संभव थी। बचतों के एकत्रीकरण के लिए देश में बैंकों का विस्तार आवश्यक

था। इस दृष्टिकोण से भारतीय रिज़र्व बैंक का उत्तरदायित्व बढ़ गया कि वह देश में बैंकों एवं अन्य संस्थाओं का विस्तार करे जो एक तरफ तो बचत एकत्र करे और दूसरी तरफ निवेशकों को मदद पहुंचाए। दूसरी ओर, 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने से भी भारतीय रिज़र्व बैंक का दायित्व बढ़ गया।

देश की आर्थिक संवृद्धि में बैंकों के योगदान को देखते हुए पहले इनको सामाजिक नियंत्रण के दायरे में लाया गया और बाद में 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों तथा 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से सरकार को आर्थिक संवृद्धि के लिए ऋण एवं निवेश की अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं। साथ ही, ऋण नियमन में सांविधिक चलनिधि अनुपात शुरू किया गया जिसके अंतर्गत चलनिधि में सरकारी ऋणों की राशि को सम्मिलित किया गया। अतः सांविधिक चलनिधि अनुपात के कारण बैंकों ने सरकारी ऋणों में रुपया लगाना शुरू कर दिया और सरकार के संसाधनों में वृद्धि हो गई। ट्रेजरी बिलों के द्वारा सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक से अल्पकालीन ऋण प्राप्त करती थी। इस व्यवस्था को भी भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्रीय सरकार के लिए सन् 1955 से दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था में बदल दिया। इन सब तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए एक सस्ते ऋणों का स्रोत बन गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोट निर्गमन में पहले आनुपातिक कोष प्रणाली का तरीका अपनाया था जिसे 1956 में न्यूनतम कोष में बदल दिया गया ताकि आवश्यकतानुसार नोटों का निर्गमन किया जा सके। इसके साथ ही नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने दो प्रिंटिंग प्रेस - मैसूर एवं सालबोनी - में स्थापित किए। ये प्रेस प्रिंटिंग की अत्याधुनिक प्रणाली से सुसज्जित हैं और तीन पारी में कार्यरत होने पर 19.8 बिलियन नोटों की मात्रा छाप सकते हैं। बैंक नोटों के लिए ये विश्व की गिनी चुनी प्रिंटिंग प्रेसों में से हैं जिन्हें जर्मनी की रीनसिक वेस्टफेयर ने मार्च 2011 में ISO 9001 प्रदान किया है। 1990 के दशक में नोट प्रचलन में जो कमी आ गई थी उसे अब दूर कर दिया गया है। इसके साथ ही 1999 से स्वच्छ नोट पॉलिसी के अंतर्गत फटे-पुराने नोटों को लगातार चलन से मुक्त किया जा रहा है।

1970 के दशक के प्रारंभ में स्थिर प्रसार (स्टेगफ्लेशन) एवं

ब्रेटनवुड्स व्यवस्था के बिखराव के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक को मौद्रिक नीति में केन्सीयन प्रणाली से मुद्रावादी प्रणाली की ओर परिवर्तन करना पड़ा।

इसी तरह 1980 के दशक में मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों की कमी थी। केवल अंतर-बैंक उधार, ट्रेजरी बिल व कमर्शियल बिल एवं पार्टीसिपेशन सर्टिफिकेट ही प्रचलन में थे। साथ-साथ, सभी ब्याज दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती थीं एवं साख निर्धारण की सीमाएं निश्चित थीं, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब समाप्त भी कर दिया है।

अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने परोक्ष तरीके से मौद्रिक नीति के टूल्स का प्रयोग, जो बाज़ारू शक्तियों पर निर्भर है, प्रत्यक्ष रूप से उच्च शक्ति मुद्रा के नियमन द्वारा करना शुरू किया है। रिज़र्व बैंक को यह अहसास हो गया था कि बैंक दर का बढ़ना-घटना ही केवल कीमत प्रसार एवं कीमत संकुचन में कारगर नहीं हो सकता क्योंकि उधार लेने वाले इसकी तुलना पूंजी की सीमांत उत्पादकता से करते हैं। अतः यदि बैंक दर के बढ़ने के बाद भी पूंजी की सीमांत उत्पादकता ज्यादा होती है तो बैंक दर को बढ़ाकर ऋणों में कमी नहीं की जा सकती। इसी आधार पर अब भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के संदर्भ में उच्च शक्ति मुद्रा के नियमन में अधिक विश्वास बना है। एस. चक्रवर्ती समिति ने भी M_3 मुद्रा का लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव दिया था जिसे 1980 के दशक से भारतीय रिज़र्व बैंक ने काम में लेना शुरू किया था। अब बैंक दर, जिसे दीर्घकालीन टूल माना जाता है, के स्थान पर रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर का प्रयोग किया जा रहा है, जो अल्पकाल में अधिक कारगर हो रही है। इस व्यवस्था के कारण खुले बाजार की क्रियाओं पर भी असर पड़ा है और इनमें कमी आई है। इसके साथ ही नकद कोषानुपात एवं वैधानिक तरलता कोषानुपात में न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। ऐसा भारतीय रिज़र्व बैंक (परिवर्तन) बिल, 2005 के अंतर्गत किया गया है।

यह सब उदारीकरण एवं आर्थिक सुधार के संदर्भ में अपनाए गए उपाय हैं। अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन के परिणामस्वरूप अब मौद्रिक नीति के व्यस्त मौसम एवं सूखा मौसम जैसे अलंकरणों को हटा दिया गया है। इस व्यवस्था में वर्ष में दो बार ही मौद्रिक नीति जारी की जाती है। अब वर्ष में चार बार मौद्रिक नीति पर विचार किया जाता है।

पूंजी बाज़ार को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया (1964), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (1975), नाबार्ड (1982), सिडबी (1990), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इण्डिया (1984), नेशनल हाउसिंग बैंक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (1997) जैसी संस्थाओं की स्थापना में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भरपूर सहयोग दिया है।

सभी बैंकों में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था लागू कर दी गई है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बैंकों में अब कतारें कम दिखाई पड़ने लगी हैं। बैंक शाखाओं का विस्तार किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने शाखा विस्तार के कई प्रतिबंधों को हटा दिया है। बैंक व्यवसाय की अधिकता के कारण 6 नए अनुसूचित बैंकों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं जिससे बैंकों की एकाधिकारी प्रवृत्ति में कमी आई है।

केंद्रीय बैंक को सरकार से स्वतंत्र माना जाता है, यद्यपि इस मुद्दे पर शताब्दियों से चर्चा हो रही है कि केंद्रीय बैंक सरकार से युक्त या मुक्त रहे। भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ऐसा प्रो. मनमोहन सिंह के भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर रहते हुए हुआ जब इन्हें गवर्नर के कार्यकाल के बीच में पुनः योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर बैंक से अलग कर दिया गया अर्थात् जहां से वे आये थे उन्हें वहीं भिजवा दिया गया। मुद्दा था स्वराज पॉल (अनिवासी भारतीय) द्वारा डी.सी.एम. एवं एस्कार्ट का स्वामित्व प्राप्त करने का प्रयास जिसपर गवर्नर रहते हुए प्रो. मनमोहन सिंह ने सरकार से असहमति जताते हुए अपनी स्वतंत्र राय दी थी। गवर्नर की इस स्वतंत्र राय को भारतीय रिज़र्व बैंक के इतिहास की एक अद्भुत घटना मानी जाती है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वर्ण जयन्ती वर्ष की घटना है।

केंद्रीय बैंक के इतिहास में सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की यह एक अद्भुत घटना है जब केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य “अर्थव्यवस्था में स्थिरता रखना” के मुद्दे पर सरकार ने जोर आजमाईश की है। इसके साथ ही, बैंक दर भी सरकार द्वारा बनाई गई ‘मौद्रिक नीति समिति’ निश्चित करेगी। स्पष्ट है भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप के आदेश वास्तव में बैंक की स्वायत्तता पर पूर्ण रूप से अंकुश है। भारत के संदर्भ में अब मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति में ही समाहित हो गई है।

○○○

भारत में केंद्रीय बैंकिंग : कल, आज और कल

संस्थाओं का जन्म किसी उद्देश्य विशेष की प्राप्ति के लिए होता है। निर्धारित उद्देश्य के अनुसार संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जाता है, उनकी कार्य पद्धति सुनिश्चित की जाती है। कालांतर में संस्थाओं के उद्देश्य में भले कोई मौलिक परिवर्तन न हो, पर चुनौतियां अक्सर बदलती हैं और प्राथमिकताओं में तदनुसार बदलाव आता है। एक जीवंत संस्था इन बदलती चुनौतियों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने संस्थागत ढांचे में परिवर्तन लाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्य प्रणाली में कालांतर में आए बदलाव इसी जीवंतता को परिलक्षित करते हैं। प्रस्तुत लेख में 1935 में स्थापना के बाद से बैंक के कार्यकलाप एवं कार्यपद्धति में आए मुख्य बदलावों को संक्षेप में रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

1. संस्था निर्माण से व्यक्ति निर्माण की ओर प्रयास

संस्था निर्माण सामान्यतः केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता, यह काम सरकारों का हुआ करता है। किंतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय की मांग और देश के वित्तीय ढांचे के विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश की आज्ञादी



डॉ. अजीत कुमार*
एम. रमा कुमारी*

* संकाय सदस्य, कृषि महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

के प्रारंभ काल में आईएफसीआई, आईडीबीआई, यूटीआई, डीआईसीजीसी एवं नाबार्ड जैसी संस्थाओं का न सिर्फ निर्माण किया अपितु उन्हें उनके पैरों पर खड़ा होने तक वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया। इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक ने एनएचबी, एग्जिम बैंक, डीएफएचआई, एसटीसीआई, सीसीआईएल एवं एनपीसीआई जैसी विशिष्ट संस्थाओं का भी निर्माण किया।

बाद के अनुभवों से यह पाया गया कि देश में संस्थाओं का निर्माण तो हुआ लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी बैंकिंग सेवा के दायरे से बाहर रही। रिज़र्व बैंक ने एक बार फिर समय की मांग को समझा और वित्तीय समावेशन को अपनी गतिविधियों के केंद्र बिंदु में डाला। संस्था निर्माण के पश्चात व्यक्ति/उपभोक्ता निर्माण की बात सोची गई। वित्तीय साक्षरता को वित्तीय समावेशन का हथियार बनाया, बैंकिंग करेसपांडेन्ट को लोगों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का जरिया बनाया गया। इसके लिए न सिर्फ नीतिगत परिवर्तन किए गए अपितु भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें प्रत्यक्ष भागीदारी की। रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ एवं अन्य अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक वित्तीय समावेशन के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभायी और गरीब ग्रामीण जनता से सीधा संवाद कायम किया। वित्तीय समावेशन की ये कोशिशें रिज़र्व बैंक के विकासात्मक भूमिका को रेखांकित करती हैं। हाल ही में बनाया गया जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (Depositor Education and Awareness Fund) उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहल है। सभी बैंकों के दस वर्ष से अधिक के दावा न की गई जमाराशि (अनक्लेमड डिपॉज़िट) को इस कोष में अनिवार्यतः अंतरित करने का प्रावधान है। इस कोष का उपयोग बैंकिंग उत्पादों के उपभोक्ता को और अधिक जागरूक एवं जानकार बनाने में किया जा सकेगा।

2. मुद्रास्फीति नियंत्रण एवं वित्तीय स्थिरता

मुद्रास्फीति नियंत्रण किसी भी केंद्रीय बैंक का सबसे प्रमुख काम होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के आमुख में भी बैंक की स्थापना के जिस उद्देश्य का मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है वह मौद्रिक स्थिरता को सुनिश्चित करना ही है। लेकिन समय के साथ बैंक ने अपनी प्राथमिकताओं में थोड़ा बदलाव किया। प्रारंभ के दिनों में मौद्रिक नीति पूरी तरह मुद्रास्फीति केंद्रित थी जिसमें समय के साथ बदलाव आया। बाद के दिनों में बैंक ने बहुसूचक दृष्टिकोण (मल्टिपल इंडिकेटर अप्रोच) अपनाया।

मौद्रिक नीति में आए महत्वपूर्ण बदलावों को निम्नलिखित काल खंडों में दर्शा सकते हैं -

1. काल खंड 1- ऋण आयोजना दृष्टिकोण (क्रेडिट प्लानिंग अप्रोच) (80 के मध्य दशक तक),
2. काल खंड 2 - मुद्रा प्रसार (एम 3) केंद्रित दृष्टिकोण (80 के मध्य दशक से 1997-98 तक),
3. काल खंड 3 - बहुसूचक दृष्टिकोण (मल्टिपल इंडिकेटर अप्रोच) (1998-99 से 2008-09),
4. काल खंड 4 - वित्तीय स्थिरता दृष्टिकोण (2008-09 से अब तक)।

देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते पूरे देश के वित्तीय ढांचे को सुदृढ़ बनाए रखना भारतीय रिज़र्व बैंक का दायित्व है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में एवं विदेशी अर्थव्यवस्था के अंतर्देशीय संक्रमण प्रभावों के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता ने रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता सूची में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। बहुसूचक दृष्टिकोण के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता के विभिन्न आयामों का संज्ञान लेकर मौद्रिक नीति का निर्धारण किया जाने लगा। बहुसूचक दृष्टिकोण के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है-

1. मात्रात्मक परिवर्तक (Quantitative Variables) - ऋण, मुद्रास्फीति, मॉनसून की स्थिति, सेवा क्षेत्र संवृद्धि की स्थिति, निर्यात की स्थिति, भुगतान संतुलन, पूंजी प्रवाह इत्यादि।

2. दर परिवर्तक (Rate Variables) - मुद्रा बाज़ार (मनी मार्केट) दर, ऋण एवं जमा राशि दर, सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल, महंगाई दर, आस्तियों (असेट) का मूल्य, विनिमय दर इत्यादि।

3. मौद्रिक एवं संवृद्धि पूर्वानुमान (Monetary and Growth Projections) - सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि, स्थूल मुद्रा (Broad Money), सकल जमा राशि, निजी क्षेत्र को ऋण (गैर खाद्य ऋण) इत्यादि।

4. भावी दृष्टिकोण संकेतक (Forward Looking Indicators) - औद्योगिक संभावनाएं सर्वेक्षण, मांग पुस्तक, माल सूची एवं क्षमता उपयोग सर्वेक्षण, व्यावसायिक अनुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण, ऋण मांग का सर्वेक्षण, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण, संवृद्धि एवं मुद्रास्फीति पूर्वानुमान, इत्यादि।

बदलते परिवेश में मौद्रिक नीति निर्धारण में भले ही बहुसूचक दृष्टिकोण अपनाया गया हो, पर मुद्रास्फीति नियंत्रण आज भी भारतीय रिज़र्व बैंक की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

रिज़र्व बैंक अधिकतम पारदर्शिता का पक्षधर रहा है। सभी हितधारकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित कर पाना मौद्रिक नीति के क्षेत्र में बड़ा कदम था। 2010-11 की दूसरी तिमाही की मौद्रिक नीति के साथ बैंक ने आगामी मौद्रिक नीति के बारे में अपना मार्गदर्शी नोट (guidance note) देना प्रारंभ किया। सितंबर 2010 से बैंक ने मध्यावधि समीक्षा की व्यवस्था की शुरुआत की। 22 फरवरी 2011 से रिज़र्व बैंक ने तकनीकी सलाहकार समिति की बैठकों का कार्यवृत्त प्रकाशित करना प्रारंभ किया। मौद्रिक नीति के उपकरण तो ज्यादातर पुराने हैं पर उनके चुनाव की प्राथमिकता बदली है। महंगाई दरों को प्रभावित करने के लिए प्रतिभूतियों की खुले बाज़ार से खरीद बिक्री को अब मौद्रिक नीति का बेहतर उपकरण माना गया। नकद आरक्षित अनुपात पर बैंकों को ब्याज देना बंद कर दिया गया। सांविधिक तरलता अनुपात में अप्रत्याशित कमी की गयी।

3. मुद्रा प्रबंधन

मुद्रा प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों

में से एक है। भारतीय रिज़र्व बैंक के मानव संसाधन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस कार्य में लगा होता है। कालांतर में मुद्रा प्रबंधन क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन किए गए। करेंसी नोटों की जांच एवं पुराने नोटों को नष्ट करने की प्रक्रिया का मशीनीकरण किया जाना मुद्रा प्रसंस्करण के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। गंदे नोटों के चलन को कम करने की दिशा में रिज़र्व बैंक ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नोटों को स्टेपल न किए जाने का निर्णय इस दिशा में एक प्रभावकारी कदम था। कटे-फटे नोटों को बदलने की व्यवस्था में भी बदलाव लाया जा रहा है और रिज़र्व बैंक ने इसमें अपनी पारंपरिक प्रत्यक्ष भागीदारी कम करने का निर्णय लिया है। इसकी पूर्ण जवाबदेही अब व्यावसायिक एवं अन्य बैंकों पर होगी। चुनिंदा करेंसी चेस्ट को नोट मुद्रण प्रेस से सीधे नोट भेजने की व्यवस्था भी भारतीय रिज़र्व बैंक का एक उल्लेखनीय कदम है। मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में जाली नोटों का चलन एक बड़ी चुनौती है जिसके समाधान के लिए रिज़र्व बैंक और भारत सरकार निरंतर प्रयत्नरत हैं।

4. बैंकों का नियमन एवं पर्यवेक्षण

90 का दशक बैंकों के सुधार (रिफॉर्म) के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कालखंड था। श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में अगस्त 1991 में गठित उच्च स्तरीय समिति को इन सुधार कार्यक्रमों का जनक माना जा सकता है। सुधारों की प्रक्रिया को दो कालखंड में बांटा जा सकता है -

1. **1991-92 से 1997-98 तक का कालखंड** - समिति की अनुशंसा के आधार पर पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण जैसे महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी किए गए। नकद आरक्षित अनुपात एवं सांविधिक तरलता अनुपात को क्रमशः कम करने के नीतिगत फैसले लिए गए। 1994 में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया गया। पूर्व चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निंग सिस्टम) को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय परोक्ष जांच एवं निगरानी प्रणाली (ऑफ साइट सर्विलेन्स) की व्यवस्था बनाई गई। इसके अतिरिक्त भारतीय

रिज़र्व बैंक द्वारा ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग लोकपाल योजना का गठन किया गया और सभी संसूचित (शेड्यूल्ड) बैंक इसके दायरे में लाए गए। बेहतर अनर्जक आस्तियों के प्रबंधन के मद्देनजर लोक अदालत, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT), कंपनी कर्ज पुनर्रचना (CDR) एवं आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (ARC) का गठन किया गया।

2. **1998-99 के बाद का कालखंड** - 1997 में दक्षिण पूर्व एशिया की घटनाओं से सबक लेकर रिज़र्व बैंक ने आस्ति देयता (असेट लाइबिलिटी) के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया और तत्संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए। शहरी सहकारी बैंकों के लिए टैफकब (TAFUCB) का गठन किया गया जिसने शहरी सहकारी बैंकों के दंडीकरण/ समेकन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांगुली समिति की अनुशंसा के आधार पर “उचित व योग्य” मानदंड के दिशा-निर्देश जारी किए गए। इन सबों के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को मजबूत करने पर काफी बल दिया और इसके सतत निगरानी के लिए रिज़र्व बैंक में अलग से एक विभाग बनाया गया। रिज़र्व बैंक के अंदर पूर्ण कंप्यूटरीकरण को सुनिश्चित किया गया।

नियमन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम था बासेल मान्यताओं को क्रमशः अनुपालित करवाना और भारतीय बैंकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालना। तरलता कवरेज अनुपात (लिव्किडिटी कवरेज रेसिओ) पर 9 जून 2014 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया दिशा-निर्देश बासेल मान्यताओं को लागू करने की शृंखला में अद्यतन कदम है। पर्यवेक्षण के क्षेत्र में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण पर जोर दिया गया। परोक्ष जांच एवं निगरानी प्रणाली को और सशक्त बनाया गया। आने वाले समय में 2016-17 से लेखा पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालने के लिए आईएफआरएस (IFRS) को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

5. बैंक की संगठनात्मक पुनर्रचना

समय की मांग के अनुसार रिज़र्व बैंक निरंतर अपने संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करता रहा है। अभी हाल के दिनों में बैंक ने अपने संगठनात्मक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। सभी विभागों को उनके तालमेल (सिनर्जी) के अनुसार पांच समूह (क्लस्टर) में विभक्त किया गया। नियमन से संबंधित सभी विभागों को एक साथ एक समूह में लाया गया जबकि पर्यवेक्षण से संबंधित सभी विभाग दूसरे समूह में रखे गए। इसी तरह कार्य समानता एवं उद्देश्य समानता के आधार पर बाकी विभागों को भी तीन अन्य समूहों में बांटा गया। वैश्वीकरण के आलोक में समय की मांग के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विभाग (International Department) का गठन हुआ। तेजी से बदलते आर्थिक परिवेश एवं बाज़ार आसूचना की आवश्यकता के मद्देनजर मॉडलिंग यूनिट (Modeling Unit) एवं मार्केट इंटेलिजेंस यूनिट (Market Intelligence Unit) जैसे नए उपविभाग बनाए गए। कई विभागों के स्वरूप को बदला गया। हाल के दिनों में बैंक ने आवश्यकतानुसार पारिष्वक भर्ती (लेटरल रिक्रूटमेंट) की योजना को मंजूरी दी। बैंक के मानव संसाधन के कौशल विकास को कार्य क्षेत्र की आवश्यकताओं से संयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है।

6. भविष्य की परिकल्पना एवं संभावनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक की छवि हमेशा से एक ईमानदार संस्था के रूप में रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय बैंक के रूप में इसकी एक विशिष्ट पहचान है। वैश्विक मंदी के दौर में उनके कुप्रभावों से भारतीय वित्तीय व्यवस्था को अक्षुण्ण रख पाने का सामर्थ्य दिखाकर भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई। आर्थिक तेजी के समय मंदी की संभावनाओं को पहचान पाना और उसके लिए उचित प्रावधान कर पाना रिज़र्व बैंक की बड़ी सफलता थी।

आने वाले समय में भारतीय रिज़र्व बैंक को एक अधिक सक्रिय नियामक (प्रोएक्टिव रेग्युलेटर) के रूप में देख सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षण ढांचे को जोखिम आधारित (रिस्क

बेस्ड) बनाने की दिशा में अग्रसर है। बैंकों के जोखिम स्तर के आधार पर उनके पर्यवेक्षण की कालावधि तय की जाएगी। ऑनसाइट से ज्यादा ज़ोर परोक्ष निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण करने पर होगा। अनर्जक आस्तियों के लिए किए जाने वाले प्रावधान के तरीकों में व्यापक फर्क आने की संभावना दिखती है। रिज़र्व बैंक भावी संभावना दृष्टिकोण (forward looking approach) के अंतर्गत गत्यात्मक प्रावधान (डाइनेमिक प्रोविज़न) की पद्धति अपना सकता है जिसके तहत उधारकर्ता के जोखिम मूल्यांकन के अनुसार बैंकों को पूर्व में ही प्रावधान कर लेना होगा।

सांविधिक तरलता अनुपात को चलनिधि कवरेज अनुपात (लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो) से संरेखित (align) किया जा सकता है और व्यावसायिक बैंक अब सरकार की ऋण आवश्यकताओं के लिए बंदी बाज़ार (captive market) नहीं होंगे। मुद्रास्फीति नियंत्रण के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक खुद को और अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में अग्रसर है। मुद्रास्फीति नियंत्रण में सरकार द्वारा लक्ष्य दिए जा सकते हैं जिसका पालन करना रिज़र्व बैंक की जवाबदेही होगी। मानसून निर्भर विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य आधारित मुद्रास्फीति (mandated inflation) के अनुसार मौद्रिक नीति का परिचालन कर पाना रिज़र्व बैंक के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। सरकार की राजस्व नीति एवं रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति के बीच बेहतर सामंजस्य कायम कर इसमें सफलता हासिल की जा सकेगी।

कुल मिलाकर, भारतीय रिज़र्व बैंक को आने वाले समय में विश्व पटल पर अग्रणी केंद्रीय बैंक के रूप में देख सकते हैं। केंद्रीय बैंक की पारंपरिक भूमिका का निर्वाह करने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक विकासात्मक भूमिका का भी निर्वहन करता रहेगा। बैंकिंग उत्पादों के उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण एवं देश में वित्तीय स्थिरता को कायम रखना इसके कार्यकलापों के केंद्र बिंदु में बने रहेंगे। आने वाले समय में रिज़र्व बैंक एक अधिक उत्तरदायी एवं जीवंत संस्था के रूप में दृष्टिगोचर होगा।

○○○

* लेख में उल्लिखित विचार लेखक के निजी विचार हैं और रिज़र्व बैंक का उनसे कोई संबंध नहीं है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र : चुनौतियां एवं भावी परिदृश्य

भारत में बैंकिंग कारोबार किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से होता रहा है, लेकिन समय के साथ-साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन भी होता रहा है। परिवर्तन का यह चक्र आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बैंकिंग का जो स्वरूप कल था वह आज नहीं है, और जो स्वरूप आज है वह कल नहीं रहेगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली निरंतर परिवर्तनशील वित्तीय परिवेश में काम कर रही है। वर्ष 1991 के मध्य तक देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत डांवाडोल स्थिति में थी। मुद्रास्फीति की अनियंत्रित दर, भुगतान संतुलन की चिंताजनक स्थिति एवं औद्योगिकी विकास की ऋणात्मक संवृद्धि दर ने आर्थिक विकास के प्रायः सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे। देश का बैंकिंग उद्योग सरकारी संरक्षण तथा अत्यंत हस्तक्षेपयुक्त वातावरण में कार्य कर रहा था। देश का विदेशी विनिमय भंडार मात्र 2 सप्ताह के आयातों के भुगतान हेतु बचा था। तब यह महसूस किया गया कि देश के बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में देश में आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों का



विनय बंसल
भारतीय स्टेट बैंक
न्यू शाहगंज, आगरा

सामान्य रूप से तथा बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों का सूत्रपात विशेष रूप से किया गया। बदलते परिवेश में बैंकों के समक्ष जहां एक ओर कुछ चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं वहीं दूसरी ओर कुछ अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। आइए, बैंकिंग क्षेत्र में हुए इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों, उत्पन्न चुनौतियों एवं उपलब्ध अवसरों पर दृष्टिपात करें तथा भावी बैंकिंग परिदृश्य की पूर्वकल्पना करें।

चुनौतियां

प्रतिस्पर्धा – सन 1991 से पूर्व भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रतिस्पर्धा का अभाव था। ग्राहकों को जैसी भी सेवाएं जिस किसी मूल्य पर भी मिल रही थीं, वे उन्हें स्वीकार करने को विवश थे। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति ने भारतीय बैंकिंग उद्योग के द्वार निजी बैंकों तथा विदेशी बैंकों के लिए खोल दिए हैं जिससे संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। आज बैंकिंग के मानदंड बदल रहे हैं, नित नयी अवधारणाएं आ रही हैं। ब्याज दरों के निर्धारण, पूंजी पर्याप्तता, ग्राहक सेवा, वैयक्तिक निर्णय, पर्यवेक्षण प्रणाली, लाभप्रदता आदि क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह प्रतिस्पर्धा बहु-आयामी है। यह प्रतिस्पर्धा सेवाओं की गुणवत्ता आधारित भी है और कुशलता आधारित भी, उत्पाद आधारित भी है और मूल्य आधारित भी तथा प्रौद्योगिकी आधारित भी है और स्थितिजन्य सुविधा आधारित भी। यह प्रतिस्पर्धा आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की है। आंतरिक प्रतिस्पर्धा में एक बैंक दूसरे बैंक को चुनौतियां दे रहा है, तो बाह्य प्रतिस्पर्धा में बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं और म्यूच्युअल फंडों से चुनौतियां मिल रही हैं। आंतरिक प्रतिस्पर्धा में भी निजी क्षेत्र का एक बैंक निजी क्षेत्र के ही दूसरे बैंक को, सार्वजनिक क्षेत्र

का एक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के ही दूसरे बैंक को चुनौतियां दे रहा है।

ग्राहकों की बढ़ती हुई अपेक्षाएं – पिछले 25 वर्षों में वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। बैंकों का कार्यक्षेत्र किसी एक देश की सीमा में न रहकर अब अंतरराष्ट्रीय हो गया है। परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा में अपने आपको टिकाए रखने के लिए बैंकों ने अपनी कार्यप्रणाली में भी परिवर्तन किए हैं। इससे ग्राहकों की बैंकों से अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। आज का ग्राहक दिन के चौबीसो घंटे व सप्ताह के सातों दिन बैंकिंग सेवाएं चाहता है। वह अपने घर या कार्यालय पर ही बैंकिंग सेवा चाहता है। वह विक्रय स्थान पर ही भुगतान चाहता है एवं वह चेकों का समाशोधन भी शीघ्र चाहता है। वह चाहता है कि खातों में धनराशि जमा करने या खातों में से धनराशि निकालने में उसका बहुमूल्य समय नष्ट न हो। वह चाहता है कि निधियों का अंतरण शीघ्र हो। वह चाहता है कि उसके खातों में ब्याज की गणना सही हो तथा ब्याज सही समय पर लगे। आज का ग्राहक अपने अधिकारों के बारे में पहले से अधिक जागरूक है। अब वह अपनी मोलभाव क्षमता को जानता है। अब उसके पास अपनी पसंद का बैंक चुनने का विकल्प है। ग्राहकों ने बैंकिंग सेवा में विविधता की मांग कर दी है। वे बेहतर गुणवत्ता तथा सुविधाजनक उत्पाद की अपेक्षा रखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत ग्राहक को नए अधिकार मिले हैं। आज के समय में बाजार का स्वरूप विक्रेता बाजार से क्रेता बाजार हो गया है।

ब्याज दर फैलाव (स्प्रेड) में कमी – नरसिंहम समिति ने वित्तीय क्षेत्र सुधार हेतु जो संस्तुतियां की उनमें एक यह थी कि ब्याज दर ढांचे को अविनियमित किया जाए। इसी के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को चरणबद्ध तरीके से अविनियमित किया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की मूल उधार दर, जो लगभग 20 प्रतिशत हुआ करती थी, के स्थान पर आधार दर लागू की गई है जो लगभग 9 प्रतिशत है। सावधि जमा राशियों पर ब्याज दर को पूर्णतः अविनियमित कर दिया गया है। एक लाख रुपए से अधिक की बचत बैंक

जमाराशियों को भी अविनियमित कर दिया गया है। जमाराशियां प्राप्त करने की बढ़ती लागत तथा ऋण प्रदान करने पर घटती आय के परिणामस्वरूप बैंकों का ब्याज दर फैलाव (स्प्रेड) कम हो गया है जो बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। उधार की दर कम करने से ब्याज दर फैलाव पर दबाव बढ़ जाता है क्योंकि बैंकों की सावधि जमाओं पर ब्याज की लागत कम नहीं होती है। यह लागत तब ही कम होती है जब सावधि जमाएं परिपक्व हो जाती हैं।

मध्यस्थताविहीन स्थिति – सामान्यतः बैंक निधियों के आपूर्तिकर्ता और निधियों के उपयोगकर्ता के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम से उपयोगकर्ता और आपूर्तिकर्ता के मध्य सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। इसके अतिरिक्त पूंजी बाजार में उदारीकरण के चलते बहुत सी कंपनियां पूंजी उगाही हेतु जनता के पास जा रही हैं। बदलते परिवेश में बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों तथा संस्थागत ग्राहकों की बैंकों पर निर्भरता बहुत संकुचित हो गई है। बड़ी कंपनियां शेयर/ऋणपत्र जारी करके सीधे शेयर बाजार से निधियां जुटा रही हैं। इससे बैंकों की मध्यस्थता की भूमिका में कमी आई है। इस मध्यस्थताविहीन स्थिति के कारण बैंक दोनों तरह से (जमा संग्रहण की दृष्टि से तथा ऋण प्रसार की दृष्टि से) प्रभावित हो रहे हैं तथा उनकी लाभप्रदता पर दबाव बढ़ रहा है।

मानव संसाधन विकास – बैंकों में मानव संसाधन विकास की दोषपूर्ण नीति के कारण सुयोग्य कर्मचारियों का अभाव है। कर्मचारियों को प्रभावी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। दक्ष एवं प्रशिक्षित कर्मचारी अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। सभी बैंकों में एकसमान वेतन नीति होने से अच्छे बैंक कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है। कर्मचारियों में कार्य का वितरण युक्तियुक्त नहीं है। अच्छा कार्य-निष्पादन करने वाले कर्मचारी को पुरस्कृत नहीं किया जाता है। ऐसे दोषी कर्मचारियों को समुचित दंड नहीं दिया जाता है जो किसी कर्मचारी-संगठन-नेता के कृपा-पात्र हैं। कर्मचारियों के आने एवं जाने में समयपाबंदी का पालन न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाती। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कई वर्षों से एक ही जगह

डटे हुए हैं जबकि कुछ कर्मचारियों का स्थानांतरण एक वर्ष से पहले ही कर दिया जाता है।

भावी बैंकिंग परिदृश्य

आधुनिकतम प्रौद्योगिकी – भविष्य में बैंकिंग क्षेत्र की संपूर्ण गतिविधियां प्रौद्योगिकी द्वारा ही संचालित होंगी। इंटरनेट बैंकिंग के सफल प्रयोग के लिए बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी को उन्नत करने एवं नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के साथ-साथ कानूनों में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। ग्राहकों के लिए कंप्यूटर तथा इंटरनेट को सहज व सुलभ बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखे गए रिकॉर्डों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मान्यता देने के लिए बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया जाएगा जिससे इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी और बड़ी संख्या में बिजली, टेलीफोन आदि बिलों का भुगतान इंटरनेट के माध्यम से होने लगेगा। कंपनियां अपने ग्राहकों के ऑर्डरों का निपटान तत्काल कर सकेंगी। खाते खोलने के आवेदन पत्र बैंकों की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे और ग्राहक घर बैठे ही अपने खाते बैंकों में खोल सकेंगे। बैंक इंटरनेट सुरक्षा की आंतरिक नीति बनाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सिस्टम के उपयोग की अनुमति किसे, कब और किस सीमा तक दी जाए। सिस्टम में प्रवेश प्रक्रिया (रिमोट और लोकल लॉग इन) पर निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। साइबर अपराधों के लिए सख्त दंड देने के प्रावधान होने से इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी।

संपूर्ण विश्व अनेकों सुपर-कम्प्यूटरों से जुड़ा होगा तथा बैंक एक छोटे से कमरे के रूप में होगा, जिसमें एक या दो ही कर्मचारी होंगे। कई बैंक शाखाओं में तो कोई भी कर्मचारी नहीं होगा, लेकिन बैंकिंग सेवाएं वर्ष में पूरे 365 दिन और दिन में चौबीस घंटे मिलेगी। बैंक किसी एक स्थान से इसे नियंत्रित करेंगे। विश्व के किसी भी प्राधिकृत बैंक की शाखा पर आहरित चेक दूसरे किसी भी प्राधिकृत बैंक की शाखा से किसी भी समय भुनाया जा सकेगा। एटीएम पर आहरण संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक एटीएम लेनदेन

के सभी चरणों के लिए टाइम-आउट सत्र प्रारंभ करेगा। साझा एटीएम सुविधा विकसित होगी। वायरलेस नेटवर्किंग (ब्ल्यू टूथ/वाई-फाई) सचलता के साथ सुविधा, गति और किफायत के साथ कहीं-भी, कभी-भी संपर्क का बेहतर माध्यम होगी।

भविष्य में हर गली-कूचे में बैंक की शाखाएं या बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली मशीनें इस प्रकार होंगी जिस प्रकार आज हर गली-कूचे में चाय और पान की दुकानें तथा एसटीडी बूथ हैं। हवाई-अड्डे, बस-अड्डे, रेलवे प्लेटफॉर्म, पेट्रोल पंप, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, पार्किंग टोलस, शापिंग मॉल्स, मेले एवं प्रदर्शनी तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी। शाखा नेटवर्क के आकार की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहेगी। बैंकों व ग्राहकों की कंप्यूटर प्रणालियों का एकीकरण होगा। कागजी नोटों के स्थान पर पॉलिमर (प्लास्टिक) नोट चलन में होंगे। डिजिटल चेक/ई-चेक का प्रयोग होने लगेगा और कागजी चेकों का प्रयोग कम होगा। समाशोधन गृह स्वचालित होंगे। मोबाइल फोन में ही ई-पर्स सुविधा शुरू की जाएगी। ई-पर्स, बैंक नोट, चेक, सिक्के, डेबिट कार्ड के सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। इसका प्रयोग बिल भुगतान, यातायात सेवाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों, पार्किंग टोलस, शापिंग मॉल्स में किया जाने लगेगा।

बैंकिंग क्षेत्र की पुनर्रचना – बैंकिंग क्षेत्र की इस प्रकार पुनर्रचना की जाएगी कि केवल तीन या चार बड़े बैंक ही वैश्विक स्वरूप वाले बैंक होंगे। शेष बैंकों का कार्यक्षेत्र देशीय या स्थानीय होगा। आवश्यक शर्तों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों में रूपांतरित कर दिया जाएगा। पात्र विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी के रूप में रूपांतरित कर दिया जाएगा। बैंकिंग प्रणाली को गतिशीलता प्रदान करने तथा विशेषीकृत बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभेदीकृत लाइसेंसिंग नीति शुरू की जाएगी। विदेशी बैंकों तथा निजी बैंकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा में बैंकों को पर्याप्त कोष, नई प्रौद्योगिकी तथा नवोन्मेष उत्पादों की आवश्यकता पड़ेगी और कड़े पूंजी पर्याप्तता मानदंडों से कमजोर बैंक लाभप्रदता पर पड़ने

वाले दबाव को झेल नहीं पाएंगे। बड़े पैमाने पर मितव्ययिता का लाभ लेने के लिए बैंक एकीकरण का मार्ग अपनाएंगे जिससे बैंकों में विलय एवं अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों का अंतर धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी कम होगी।

बैंकों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी और म्यूच्युअल फंडों से भी। अलग-अलग बैंकों में थोड़े से अंतर वाले समान उत्पादों में तथा एक ही बैंक के विभिन्न उत्पादों के मध्यम प्रतिस्पर्धा बैंकों को गुणात्मक एवं तुलनात्मक स्वरूप प्रदान करेगी। विदेशी बैंकों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा और कड़ी हो जाएगी। बैंकों और विकास वित्तीय संस्थाओं के कामकाज में एकीकरण की वजह से भी प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो जाएगी। ब्याज दरों के निर्धारण, पूंजी पर्याप्तता, ग्राहक सेवा, पर्यवेक्षण प्रणाली, लाभप्रदता आदि क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। गलाकाट प्रतिस्पर्धा होने का फायदा उपभोक्ता को मूल्य एवं सेवाओं की गुणवत्ता के रूप में प्राप्त होगा। उत्पादों की सुपुर्दगी की गति तेज होगी। इसके अतिरिक्त, उत्पादों की जीवन-रेखा काफी छोटी होगी, अर्थात् जो उत्पाद जितनी तीव्रता से बाजार में प्रवेश करेगा, उतनी ही तीव्रता से वह बाजार से लुप्त हो जाएगा।

ग्राहक हितैषी रणनीति - बैंक ग्राहक सर्वेक्षण योग्यताएं विकसित करेंगे और ग्राहक हितैषी रणनीति अपनाएंगे। ग्राहक जब, जहां और जैसी सेवा चाहते हैं, बैंक उसी के अनुरूप सेवाएं प्रदान करेंगे। कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए अलग शाखाएं होंगी। विशिष्ट सेवा-कार्यों के लिए विशिष्ट शाखाओं का विस्तार होगा। बैंक अभिरक्षकीय सेवाएं, निवेश बैंकिंग, बीमा-बंधक वित्तपोषण, मर्चेन्ट बैंकिंग आदि सेवाओं का विस्तार करेंगे। हरित बैंकिंग के एक भाग के रूप में बैंक पर्यावरणजन्य निवेश को बढ़ावा देंगे तथा उन उद्योगों को प्राथमिकता से उधार देंगे जिन्होंने अपने पर्यावरण को पहले से हराभरा बना रखा है। इस्लामिक बैंकिंग शुरू की जाएगी।

इसके अतिरिक्त बैंक और भी अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करेंगे, जैसे-शेयर दलाली व्यवसाय, रेलवे व हवाई यात्रा आरक्षण, कुरियर सेवा, लेखन सामग्री व्यवसाय, प्रसाधन सामग्री व्यवसाय, हौजरी व्यवसाय, सिले-सिलाए वस्त्रों का व्यवसाय आदि। बीमा को भी बैंकों की सामान्य गतिविधि के एक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। ग्राहकों को एक ही स्थान पर वैविध्यपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ग्राहक सेवा को बेहतर बनाने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार किया जाएगा। **बैंकिंग लोकपाल का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाएगा तथा कुछ और बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए जाएंगे। बड़े ग्राहकों के साथ बैंकों का संबंध लेनदेन आधारित बैंकिंग का न होकर संबंध-आधारित बैंकिंग का होगा।** ग्राहक आधार बढ़ाने में संबंध आधारित बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

ऋण वसूली- देश के बैंकिंग क्षेत्र में जहां एक ओर आय-निर्धारण व आस्ति वर्गीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को चरणबद्ध तरीके से और कड़ा किया जाएगा वहीं दूसरी ओर गैर-निष्पादक आस्तियों के स्तर को कम करने के लिए अनेक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां स्थापित की जाएंगी। सार्वजनिक वसूली अधिनियम पारित किया जाएगा तथा बैंकों को विशेषाधिकार दिए जाएंगे। ऋण वसूली प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेषीकृत ऋण वसूली शाखाएं खोली जाएंगी। ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को और सशक्त बनाया जाएगा तथा कुछ और न्यायाधिकरणों की स्थापना की जाएगी। इरादतन चूककर्ता कंपनियों के निदेशकों पर नकेल कसने हेतु कानून में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा। ऋण वसूली संबंधी भारतीय विधिक प्रणाली को विश्व स्तर की विधिक प्रणाली के समान बनाया जाएगा।

ब्याज दर स्प्रेड (फैलाव) - भविष्य में ब्याज दरों का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाएगा। जहां एक ओर बैंक स्वविवेक से ब्याज की दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, वहीं दूसरी ओर बैंक के ग्राहक सेवा गुणवत्ता के आधार पर अपना बैंक चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे। एक ही बैंक की दो अलग-अलग शाखाओं में ब्याज की दरें अलग-अलग

होंगी। इसके अतिरिक्त एक बैंक की एक ही शाखा में अलग-अलग ग्राहकों के लिए भी ब्याज की दरें अलग-अलग होंगी। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों पर ब्याज दरों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। बैंकों के भावी व्यवसाय का स्वरूप ब्याज मार्जिन पर नहीं, बल्कि ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने पर निर्भर करेगा।

मध्यस्थताविहीन स्थिति – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपनी प्रथम टियर पूंजी में वृद्धि करने हेतु सार्वजनिक निर्गम के जरिए पूंजी जुटाएंगे। इन बैंकों की पूंजी में जनता की हिस्सेदारी बढ़ेगी और सरकारी हिस्सेदारी में कमी आएगी। बैंकों की पूंजी में बैंक कर्मचारियों को भागीदार बनाया जाएगा। बैंक सीधे ही शेयर बाजार से जुड़ जाएंगे और शेयर दलाल का रूप धारण कर लेंगे। बैंक जमाराशियों पर घटती ब्याज दरों के कारण लोग पूंजी बाजार की ओर आकर्षित होंगे। डेरिवेटिव बैंकिंग का विकास होगा। बैंक में कोई भी खाता खुलवाने पर (चाहे वह सावधि जमा खाता ही क्यों न हो) एक निश्चित सेवा प्रभार वसूल किया जाएगा। चेक बुक सुविधा वाले बचत खातों पर ब्याज दर बहुत कम या लगभग नगण्य कर दी जाएगी। भारतीय निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रति बैंक जमाकर्ता जमाराशि बीमे की सीमा बढ़ा दी जाएगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों पर भी जमाराशि बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। बैंकिंग कार्य-निष्पादन का केंद्र-बिंदु जमाराशियां या ऋण राशियां न होकर इक्विटी पर प्रतिलाभ दर और निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ दर होंगे।

जोखिम प्रबंधन – बैंकिंग में जोखिम एक अंतर्निहित और अपरिहार्य तत्व होता है। प्रत्येक बैंक को परिचालन जोखिम, ऋण जोखिम तथा बाजार जोखिम का सामना करना पड़ता है। इन जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए बैंक प्रभावी जोखिम प्रबंधन रणनीति लागू करेंगे, जोखिम पूंजी निधि की स्थापना करेंगे तथा व्यापक प्रबंध सूचना प्रणाली विकसित करेंगे।

वित्तीय समावेशन – संपूर्ण वित्तीय समावेशन का लक्ष्य जल्दी से पूरा करने के अच्छे एवं बुरे प्रभाव बैंकिंग क्षेत्र में दृष्टिगोचर

होने लगेंगे। वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में से अधिकतर खाते अपरिचालित हो जाएंगे। योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋण की वसूली लगभग नगण्य ही होगी। इस प्रकार के खातों में राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक होगा जो बैंकों के कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। प्रधानमंत्री जन-धन योजना की समीक्षा की जाएगी और यथासंभव संशोधन किया जाएगा। केवाईसी नियमों का पालन न करने वाले खातेदारों के खाते जप्त किए जाएंगे।

एशियाई एकल मुद्रा – देश में पूंजी खाता परिवर्तनीयता पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। इससे देश के निर्यात में वृद्धि होगी और भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में भारी वृद्धि होगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन होगा और आर्थिक विकास दर तेज होगी। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक अमेरिकी डॉलर खरीदने के बाद इसे अमेरिकी ट्रेजरी बॉण्ड में निवेश करता है। इस पर प्रतिफल बहुत कम (लगभग 3 प्रतिशत) है। अब भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार के एक भाग का निवेश मूलभूत संरचना क्षेत्र में करेगा। इससे अधिक प्रतिफल मिलेगा। लेकिन रुपया थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। बैंकों का कार्यक्षेत्र संपूर्ण विश्व होगा। जब बैंक पूरे विश्व में व्यवसाय करेंगे, तो मुद्राओं की परिवर्तनीयता में नियंत्रण शिथिल हो जाएंगे और मुक्त मुद्रा परिचालन होने लगेंगे। यूरोप के यूरो की तर्ज पर एशिया में एशियाई एकल मुद्रा (नाम कुछ भी हो) जारी की जाएगी। संपूर्ण विश्व में केवल तीन ही प्रमुख मुद्राएं होंगी – अमेरिकी डॉलर, यूरोपीय यूरो तथा एशियाई एकल मुद्रा। विदेशी विनिमय जैसी संकल्पना लुप्तप्राय हो जाएगी और लगभग सभी बैंकिंग लेनदेन घरेलू बैंकिंग की तरह ही होने लगेंगे।

स्वायत्तता – बैंकों को गंभीर स्वरूप वाले निर्णय स्वयं अपने स्तर पर लेने की अधिक-से-अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। पद-निर्माण, पद-वर्गीकरण, पदोन्नति-प्रक्रिया आदि आंतरिक प्रशासन के संबंध में बैंकों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। भर्ती व पदोन्नति की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन होंगे। सभी बैंकों की वेतन संरचना एकसमान न होकर

संबंधित बैंक की भुगतान क्षमता/लाभप्रदता पर आधारित होगी। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को परंपरागत प्रशिक्षण के बजाय परिवेश आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उन्हें अधिक उत्तरदायी बनाया जाएगा। उनका पारिश्रमिक उनके कार्य-निष्पादन से सहबद्ध किया जाएगा। दोषी कर्मचारियों को दंडित करने तथा अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजनाएं सही अर्थों में लागू की जाएंगी। सेवा प्रभार सेवा की गुणवत्ता पर आधारित होंगे। ग्राहकों को प्रत्येक सेवा का मूल्य अदा करना होगा। आने वाले समय में बैंकों के बीच अंतर की खास बात मानव पूंजी पैदा करना तथा अपने मानव संसाधन के बलबूते पर प्रतिस्पर्धा में आगे बने रहना होगा। बैंकों में मानव संसाधन का कार्य सभी कार्यों में अंतर पैदा करने वाला प्रमुख कारक होगा। निदेशकों की गैर-राजनीतिक नियुक्ति संभव हो सकेगी। बैंकों से दोहरा नियंत्रण समाप्त होगा। बैंक अपनी घाटे वाली शाखाओं को बंद करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

सुरक्षा एवं संरक्षा - परंपरागत धोखाधड़ियों की संख्या में कमी आएगी। कंप्यूटर क्षेत्र की धोखाधड़ियों की रोकथाम हेतु बैंकिंग सुरक्षा-उत्पाद विकसित किए जाएंगे। रोबो रूपी यंत्र का आविष्कार होगा। यदि कोई व्यक्ति बैंक में लूट के उद्देश्य से प्रवेश करेगा, तो रोबो उसके मस्तिष्क से निकली हुई तरंगों को पकड़ लेगा और परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को वहीं का वहीं रोक लेगा। इससे बैंक परिसर में होने वाली लूटपाट की घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बैंक परिसर की दीवारों पर एक विशेष प्रकार का पेंट किया जाएगा। उस पेंट में इस प्रकार के रसायन होंगे जो आग के संपर्क में आते ही कार्बन-डाई-ऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। इससे आग स्वयं बुझ जाएगी, क्योंकि आग बुझाने में कार्बन-डाई-ऑक्साइड गैस का ही प्रयोग होता है। इससे आगजनी की घटनाएं तथा उससे होने वाली क्षति कम हो सकेगी।

अन्य व्यावसायिक संगठनों की तरह बैंकों का भी

दीर्घकालीन अस्तित्व लाभ पर ही निर्भर है। अतः बैंकों को चाहिए कि वे बदलते परिवेश में संभाव्य अवसरों की तलाश करते रहें। बैंकों को चाहिए कि वे अपना ध्यान सरकारी संरक्षा के बजाय उत्पाद नवोन्मेष और सेवा गुणवत्ता पर केंद्रित करें। आने वाले समय में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं की निश्चित भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं, फिर भी वर्तमान स्थितियों, विगत अनुभव और सतत चिंतन के आधार पर भावी बैंकिंग परिदृश्य की पूर्वकल्पना करके संभावित चुनौतियों का सामना करने की आक्रामक विपणन रणनीति तो बनाई जा सकती है और बैंकों को इस हेतु प्रयास अभी से शुरू कर देना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक को चाहिए कि वह एक सुपर वित्तीय सुधार समिति की स्थापना करे जो वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग सहित विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आलोक में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो स्वयं को इन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं ढाल सकता वह नष्ट हो जाता है। समय के साथ स्वयं को परिवर्तित करने वाला ही सफलता प्राप्त करके प्रतिस्पर्धा में टिका रह सकता है। जो बैंक जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के 'सर्वोत्तम की जीविता' (सरवाइवल ऑफ द फिटिस्ट) सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए भावी खतरे को भांपकर अपनी रणनीति नहीं बनाएगा वह प्रतिस्पर्धा की दौड़ में पिछड़ जाएगा और यह संभव है कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। वस्तुतः देश का बैंकिंग क्षेत्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। आवश्यकता है इस क्षेत्र की गुप्त उष्मा को समझने की, विकास पथ की मुश्किलों को समयबद्ध ढंग से दूर करने की, असीमित संभाव्यताओं को पहचानने की और ऐसी रणनीति बनाने व क्रियान्वित करने की जिससे चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सके।

○○○

प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग में भाषाओं की भूमिका

बैंकिंग उद्योग एक सेवा उद्योग है। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्राहकों को बैंक से संबंधित उच्च कोटि की सेवा मुहैया कराना है। यहां पर उच्च कोटि की सेवा का तात्पर्य बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली उन सेवाओं से है जिनसे ग्राहक प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इन सेवाओं के प्रकार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं लेकिन उनको प्रदान करने का माध्यम एक ही हो सकता है - वह है भाषा। ग्राहकों को अगर हम बैंकिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की सेवा उन्हीं की भाषा में मुहैया करा सकें तो ग्राहक की संतुष्टि को एक नया आयाम दिया जा सकता है। इसका ध्यान राजभाषा नीति में रखा गया है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(4) में जिन तीन विशेष बातों का ध्यान रखा गया है उसमें ग्राहकों के हित को विशेष महत्त्व दिया गया है। विविधताओं से भरे इस देश में जहां हम विभिन्न विविधताओं के दर्शन करते हैं उनमें से भाषा की विविधता आज बहस का प्रमुख विषय बन गयी है। आज कम्प्यूटर के युग में बैंकिंग में विभिन्न भाषाओं को समाहित कर ग्राहकों को उन्हीं की भाषा



राजेश कुमार

सहायक प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग
के.का., मुंबई

में सुविधा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरकर सामने आयी है।

परंपरा बनाम प्रौद्योगिकी

आइए हम समय को थोड़ा पीछे, ज्यादा नहीं केवल 15 साल पीछे, ले जाएं तो जेहन में बैंक की कार्य प्रणाली की जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वह इस प्रकार की होगी -

“बैंक की बड़ी सी एक शाखा, शाखा में काम करने वाले ढेर सारे कर्मचारी, जो कि मोटे-मोटे रजिस्ट्रों में कुछ लिखते से प्रतीत होते हैं, ग्राहकों की एक लंबी कतार जो केवल पैसा जमा करने तथा निकालने के लिए ही खड़े हैं, काउंटर के पीछे बैठा बैंक कर्मचारी द्वारा वाउचरों पर मुहर लगाने की ठक-ठक की आवाज, दूसरी तरफ कोने में सफेद, लाल, पीली पर्ची हाथ में लिए खड़े कुछ ग्राहक जो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन पर्चियों पर आखिर लिखें क्या? उन्हीं के बगल में खड़े कुछ और ग्राहक जो बैंक के चपरासी से कुछ पर्चियां भरने का अनुनय-विनय करते दिखाई दे रहे हैं, पासबुक अद्यतन कराने के लिए खड़ी कुछ महिला ग्राहक, शाखा परिसर के अंत में केबिन में बैठा फाइलों में उलझा शाखा प्रबंधक, शाखा के बाहर डरे सहमे से कुछ ग्राहक जो अंदर प्रवेश करने से पहले अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं इत्यादि।”

आइए अब हम आज की बैंकिंग की बात करें, तो वह इस प्रकार की है -

“किसी बड़ी बिल्डिंग के छोटे से कोने में बैंक की वातानुकूलित शाखा, शाखा के बाहर आत्मविश्वास से भरे मोबाइल हाथ में लिए कुछ ग्राहक, शाखा के पास ही एटीएम

मशीन, शाखा के द्वार के पास ही शाखा प्रबंधक का केबिन, शाखा में बैंक कर्मचारियों से ज्यादा कंप्यूटर, काउंटर पर कंप्यूटर के अलावा एक भी पेपर नहीं, ग्राहकों के बैठने के लिए अच्छी गुणवत्ता की कुर्सियां, ग्राहकों हेतु टोकन वेंडिंग मशीन, पीने के पानी की व्यवस्था, काउंटर के पीछे पैसा भुगतान एवं जमा करता एक कर्मचारी, अलग-अलग उत्पाद के लिए अलग-अलग काउंटर, ग्राहकों की बहुत ही कम संख्या.....”

अगर हम भविष्य की बैंकिंग की बात करें तो जेहन में जो बात उभरेगी वह इस प्रकार की होगी, “जंगल या सुदूर गांव में बैठा हुआ एक आदमी अपनी बैंकिंग की सभी जरूरतें मोबाइल फोन के माध्यम से पूरी करता हुआ.....”

अब अगर हम इन सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन करें तो पाएंगे कि प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग के कामकाज के तरीके का कायापलट तो किया ही है, ग्राहकों और बैंक के बीच के संचार के माध्यम को भी पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां मौखिक एवं आमने-सामने से ग्राहकों से संपर्क किया जाता था वहीं अब कंप्यूटर, मोबाइल आदि द्वारा परोक्ष रूप से ग्राहकों से संपर्क किया जा रहा है।

बैंक में सीबीएस के आ जाने से भाषा के रोल में बदलाव तो आया ही है लेकिन इससे भाषा का महत्त्व कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है। कल तक हमारे पास ग्राहकों से संपर्क की भाषा के रूप में केवल दो ही विकल्प, हिन्दी और अंग्रेजी, मौजूद थे लेकिन बैंकिंग में प्रौद्योगिकी एवं यूनिकोड के पदार्पण से संपर्क की भाषा के रूप में हिन्दी अंग्रेजी के अलावा कई अन्य भारतीय भाषाओं का विकल्प भी सामने आया है। समय आ गया है कि हम इनका भरपूर लाभ अपने ग्राहकों के हितों के लिए उठाएं। इसी प्रकार मोबाइल में भी कई भाषाओं का विकल्प आ गया है जिससे ग्राहकों को किसी भी लेनदेन की सूचना उनके मोबाइल पर उन्हीं की भाषा में भेजा जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी आजकल बैंकों से ग्राहकों का मोबाइल नंबर उनके खाते से जोड़ने हेतु अनिवार्य नियम बना दिया है ताकि किसी भी प्रकार के लेनदेन की सूचना तत्काल

स्वतः ही प्रेषित हो सके। उसी तरह ही बैंक द्वारा ग्राहकों को भेजे गए ई-मेल या पत्र में भी हिन्दी एवं अंग्रेजी के अलावा कई स्थानीय भाषाओं को शामिल किया जा सकता है जिससे ग्राहक शाखा से जुड़ाव महसूस कर सके।

प्रौद्योगिकी आधारित आंतरिक कार्य और भाषा

बैंक में प्रौद्योगिकी के आगमन से बैंकिंग के आंतरिक कामकाज के तरीके में काफी बदलाव आए हैं। पहले जहां बैंक के सारे कामकाज मैनुअली किए जाते थे, प्रौद्योगिकी द्वारा वही कामकाज कंप्यूटर के माध्यम से किया जा रहा है तथा बैंकिंग से जुड़े सभी क्रियाकलाप की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से बैंकों की वेबसाइट पर मौजूद है। जहां तक खातेदारों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता की बात है, उसका भी हल प्रौद्योगिकी ने हमें उपलब्ध करा दी है। आजकल बैंक ई-एफडीआर, ई-आरडी, ई-खाता विवरण, ई-म्यूच्युअल फंड आदि का विकल्प ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें भाषा चुनने की स्वतंत्रता दी जा रही है जिनका विवरण निम्न है -

(1) **ई-एफडीआर** - आजकल सभी बैंक इंटरनेट बैंकिंग का प्रचार-प्रसार करने में काफी सक्रिय हैं। इसके माध्यम से परंपरागत बैंकिंग में जहां ग्राहक सावधि जमाओं के लिए भौतिक रूप से रुपये की निकासी एवं जमा करता था वहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ग्राहक इस प्रकार का कार्य किसी भी समय कर सकता है और उसकी रसीद अपनी भाषा में प्रिंट कर सकता है।

(2) **ई-आरडी** - इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक अपने खाते में जमा राशि को संचयी जमा योजना में बदल सकता है और उसकी रसीद अपनी भाषा में प्राप्त कर सकता है।

(3) **ई-खाता विवरण** - आजकल इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा खातेदार अपने खाते का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में कभी भी कहीं भी अपनी भाषा में प्राप्त कर सकता है।

(4) **ई-म्यूच्युअल फंड** - वर्तमान में कई बैंक म्यूच्युअल

फंड के विवरण में ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई भाषाओं का विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक।

प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग भाषा चुनने में तकनीकी समस्या

बैंकिंग में प्रौद्योगिकी एवं यूनिकोड के पदार्पण से जहां बैंकिंग के कामकाज में सरलता आ गयी है, वहीं भाषा के संप्रेषण के रूप में एक नई चुनौती सामने आ गयी है जिसका विवरण हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे -

(1) **ओरेकल पैकेज साफ्टवेयर की समस्या** - कंप्यूटर में उपयोग हो रहे ओरेकल पैकेज साफ्टवेयर अंग्रेजी एवं कुछ अन्य भाषाओं को ही सपोर्ट करता है पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को सपोर्ट नहीं करता है। इस कारण बैंकिंग में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार ने इस दिशा में नवंबर 2014 में कार्रवाई करने का निश्चय करते हुए अंतर मंत्रालय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है।

(2) **एसएमएस में भाषा की समस्या** - बैंक द्वारा ग्राहकों को भेजे जाने वाले एसएमएस को किसी भी भाषा में भेजा तो जा सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं कि पाने वाला ग्राहक उस एसएमएस को पढ़ पाए। यह प्राप्त करने वाले ग्राहक के मोबाइल हैंड सेट पर निर्भर करेगा कि वह उस भाषा को सपोर्ट करता है कि नहीं। आजकल लगभग सभी मोबाइल फोन कई

भाषाओं को सपोर्ट करते हैं। समस्या उस समय उत्पन्न होगी अगर पाने वाले ग्राहक के पास पुराना मोबाइल हैंडसेट हो। दूसरी समस्या भेजे जाने वाले एसएमएस में आने वाली लागत की भी है जैसे अंग्रेजी के 160 शब्दों को एक वाक्य के रूप में गिना जाता है जबकि हिन्दी के 60 शब्दों को एक वाक्य के रूप में। अतः हिन्दी में भेजा गया एसएमएस महंगा पड़ता है, जो भारतीय भाषाओं के प्रयोग में बाधक है।

उपर्युक्त समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग ने उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है ताकि ओरेकल में आ रही उक्त समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। ओरेकल में ही हिन्दी में डेटाबेस तैयार करने का विकल्प दिया जाए ताकि समस्या को जड़ से ही समाप्त कर दिया जाए। एसएमएस में आ रही उक्त समस्या का भी शत प्रतिशत समाधान तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि ग्राहकों द्वारा प्रयोग किए जा रहे पुराने मोबाइल पूरी तरह से फेज आउट न हो जाएं।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं आज प्रौद्योगिकी के आने से भाषा का महत्त्व बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि हम ग्राहकों की भाषाई पसंद को पहचानें और प्रौद्योगिकी की मदद से उन्हें उनकी भाषा में सेवाएं प्रदान कर ग्राहक सेवा में आत्मीयता लाएं। प्रौद्योगिकी के इस युग में मौखिक संप्रेषण के बजाय लिखित संप्रेषण का महत्त्व बढ़ गया है।

○○○

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूला।

- भारतेन्दु हरिश्चंद्र

इतिहास के पन्नों से

एक परिवार एक बैंक - बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आइए इस बार हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे बैंक की जीवन यात्रा पर जिसका जन्म महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले पुणे शहर में हुआ था। अपनी अस्मिता, आन-बान एवं शान के लिए मर मिटनेवाले वीर शिवाजी महाराज की कर्मभूमि में स्थापित हुए इस बैंक ने लगभग 80 वर्षों के अपने अब तक के सफर के दौरान कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। समय के झंझावातों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज भी यह मजबूती से अपनी जड़े जमाए हुए है और महाराष्ट्र राज्य की प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहा है। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में आरंभ हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ही बात कर रही हूं। चलिए आपको सफर कराते हैं इस बैंक के गुजरे कल, आज और आनेवाले कल से और सुनते हैं उसकी कहानी उसी की जुबानी



प्रस्तुतीकरण - सावित्री सिंह
उप महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई



जनमंगल, 1177, बुधवार पेठ, बाजीराव रोड, पुणे

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

‘एक परिवार एक बैंक’ को अपना मोटो मानने वाला मैं हूं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मेरा जन्म उस पावन धरा पर हुआ है जहां अपनी अस्मिता, अपने गौरव की महिमा को स्थापित करने के लिए छत्रपति शिवाजी जैसे वीर पुरुषों ने जन्म लिया। उन्हीं की कर्मस्थली पुणे में आज से लगभग 80 साल पहले मेरी स्थापना का विचार मेरे संस्थापकों के मन में आया। सहकारिता आंदोलन से जुड़े श्री वी.पी. वर्दे और मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक श्री ए.आर. भट्ट एवं उसके कार्यकारी अध्यक्ष श्री बी.जी. काले, व्यापारी श्री डी.के. साठे एवं इंजीनियर श्री एन.जी. पवार ने मिलकर मेरी आधारशिला रखी। इनका मानना था कि स्थानीय लोगों की बचत का उपयोग स्थानीय कारोबार, व्यापार और निर्माण को बढ़ावा देने में किया जा सकता है।

वैसे देखा जाए तो मुझसे पहले भी महाराष्ट्र में छोटे-छोटे कई बैंकों की स्थापना हो चुकी थी और उनमें 1840 में बॉम्बे में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे महाराष्ट्र का पहला वाणिज्यिक बैंक था, लेकिन उसके कामकाज का दायरा ‘बॉम्बे’ शहर तक ही सिमटा हुआ था। इसके अलावा पहले विश्वयुद्ध के बाद फैली मंदी की चपेट में आकर तत्कालीन बॉम्बे के 54 वाणिज्यिक बैंक विफल हो गए। इसके कारण यहां के व्यापार एवं उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ा। राज्य की कई रियासतों ने अपने उद्योग धंधों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना की पर उन बैंकों की पकड़ शहरी क्षेत्र तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्र की जनता साहूकारों के रहमोकरम पर ही आर्थिक तंगी का सामना कर

रही थी। आम जनता की ऐसी आर्थिक दुर्दशा की पृष्ठभूमि में मेरा जन्म हुआ।

मेरे संस्थापकों ने भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत 16 सितंबर 1935 को ₹10 लाख की प्राधिकृत पूंजी के साथ पुणे में (दि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के नाम से) मेरा औपचारिक पंजीकरण किया। मैंने पुणे के किताबघर में एक छोटे से कमरे से मात्र चार साथियों के साथ अपनी बैंकिंग यात्रा आरंभ की। मेरे संस्थापक अध्यक्ष प्रा.वी.जी. काले ने मेरे कारोबारी कदम उठाने के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मेरे द्वारा व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी लेकिन वह एक समय में एकल व्यक्ति या संस्थान को ₹5000 से अधिक नहीं होगी। उनकी यह दूरदृष्टि आज के जोखिम प्रबंधन का ही तत्कालीन स्वरूप था और आप इससे सहमत होंगे कि जन्म के साथ ही जोखिम प्रबंधन की नीतियों को अपनाने से मैं अपनी राह में आए सभी व्यवधानों को पार करते हुए आज भी उतनी ही मजबूती के साथ बैंकिंग जगत की प्रतिस्पर्धा में टिका हुआ हूं।

मैंने वास्तविक बैंकिंग कारोबार का आरंभ 8 फरवरी 1936 से किया और दिसंबर 1936 तक मेरे पास लोगों की अमानत के रूप में रखी जानेवाली राशि ₹7.2 लाख और वितरित कर्ज की राशि ₹2.6 लाख हो गई। मेरी यात्रा का पहला अहम पड़ाव आया 1944 में जब मुझे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया। इसके अगले वर्ष अर्थात् 1945 में मेरी जमाराशियां बढ़कर ₹1.0 करोड़ हो गई। 1946 में मैंने महाराष्ट्र से बाहर कर्नाटक राज्य के हुबली शहर में अपनी पहली शाखा आरंभ की और साथ ही इसी साल मेरी अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी (मेटको) ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया। अपने परिवार के सदस्यों के कार्य कौशल में निखार लाने के लिए मैंने 1951 में पुणे में प्रशिक्षण कक्षाएँ आरंभ कीं। अपने निरंतर बढ़ते परिवार को काम का अच्छा माहौल उपलब्ध कराने के प्रयास के तहत मई 1953 में मैंने अपना पहला कार्यालय-परिसर 'जनमंगल' पुणे के बुधवार पेठ में खरीदा जहां से 1977 तक मेरे केंद्रीय कार्यालय की समस्त गतिविधियां संचालित होती रहीं।

मैंने आम आदमी के बैंक के रूप में अपनी यात्रा जारी रखी और मजबूती से बैंकिंग कारोबार में लगा रहा। मेरी सुदृढ़ स्थिति को देखते हुए रिज़र्व बैंक ने 1953 में बांठिया बैंक लिमिटेड, पनवेल और 1961 में बैंक ऑफ नागपुर लिमिटेड, बैंक ऑफ कोंकण लिमिटेड एवं भारत इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड का मुझमें विलय कर दिया। आगे चलकर 1955 में मुझे बैंकिंग कंपनी अधिनियम के तहत बैंकिंग व्यवसाय करने का लाइसेंस प्राप्त हुआ।

फिर आया 1960 का वह वर्ष जब मैंने अपने बैंकिंग सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया और वह था अपने ग्राहकों की सेवा के 25 वर्षों की पूर्ति का। रजत जयंती वर्ष के दौरान मेरी जमा पूंजी ₹15.14 करोड़ तक पहुंच गई। इस वर्ष मैंने अपने निष्ठावान शेरधारकों को बोनस दिए और कर्मचारी लाभ निधि तथा औद्योगिक विकास निधि की स्थापना की। यही वह वर्ष था जब मुझे स्वतंत्र रूप से विदेशी विनिमय व्यवसाय करने का लाइसेंस दिया गया और मैंने दुनिया के 34 महत्वपूर्ण देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

आइए अब मैं अपने 'लोगो' अर्थात् अपने प्रतीक चिह्न से आपको परिचित कराता हूं। चूंकि मेरा जन्म पुणे नगरी में हुआ था, अतः मेरे संस्थापकों ने मेरे प्रतीक चिह्न के रूप में पुणे की पहचान 'शनिवारवाडा' किले को चुना था जो 1965 तक मेरी पहचान बना रहा लेकिन 1965 में 'एम' और 'बी' अक्षरों के बीच जगमगाती दीपमाला ने पुराने चिह्न का स्थान ले लिया।

आगे चलकर 1976 में इसमें फिर एक बार बदलाव किया गया और मेरे आदर्श वाक्य 'मुद्रयं लोकमङ्गला' अर्थात् जनसामान्य के कल्याण हेतु धनराशि के साथ ही तीन 'एम' जोड़े गए जो आज भी मेरी पहचान बने हुए हैं। 'दीपमाला' प्रतीक है - कई दीपों के साथ नई बुलंदियों को छूने का। इस दीपमाला का आधारस्तंभ हमारी संस्था, हमारी ताकत को दर्शाता है, वहीं उसमें लगे दीपक हमारी शाखाओं, हमारी सेवा के परिचायक हैं तो तीन एम - धन के संग्रहण (mobilisation of money), पद्धतियों के आधुनिकीकरण (modernisation of methods) एवं कर्मचारियों की प्रेरणा (motivation of staff) के लिए प्रयुक्त किए गए हैं।



मुझे जैसे 13 अन्य प्रमुख बैंकों के लिए 19 जुलाई 1969 का दिन हमेशा अविस्मरणीय रहेगा क्योंकि इसी दिन हमारा राष्ट्रीयकरण किया गया था और मुझे अपना मौजूदा नाम 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र' प्राप्त हुआ। उस समय तक मैंने अपने कारोबार में बढ़ोतरी करते हुए 8 राज्यों में अपनी शाखाओं का जाल बुन लिया था और मेरी जमाराशियां 78.89 करोड़ तथा अग्रिम 54.58 करोड़ तक पहुंच गए थे। वर्ष 1969 से 1978 के दौरान मैंने अपने कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जो ग्राहक सेवा के लिए किए गए प्रावधान, भर्ती की योजनाओं में समुचित बदलाव और मेरे ग्राहकों की मेरे प्रति निष्ठा तथा मेरे कर्मचारियों के समर्पण के बिना संभव नहीं थी। इसी दौरान 1976 में मेरे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 'मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक' की स्थापना भी हुई।

बढ़ते कारोबार एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से मेरे केंद्रीय कार्यालय के लिए बृहद परिसर की आवश्यकता महसूस होने लगी और अंततः 1978 में मैं पुणे के शिवाजी नगर स्थित अपने नए केंद्रीय कार्यालय भवन 'लोकमंगल' में शिफ्ट हो गया। विगत दिनों की कुछ स्मृतियां मेरे मानसपटल पर आज भी ताजा हैं जैसे कि 1980 में नरीमन पाइंट, मुंबई स्थित मेरी 500 वीं

शाखा का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया जाना तथा पुणे के इंदिरा वसाहत स्थित 1000 वीं शाखा का उद्घाटन महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर श्री शंकर दयाल शर्मा के कर कमलों से संपन्न होना। जहां तक पुरस्कारों से नवाजे जाने की बात है, मुझे राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड सबसे पहली बार 1994 में प्राप्त हुई और उसके बाद 2000 से 2008 के बीच और 7 बार मुझे इस पुरस्कार को हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ।

वर्ष 2000 के आते-आते मेरी जमाराशियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वे ₹10,000 करोड़ को पार कर गईं। यह वह वक्त था जब तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग क्षेत्र में दस्तक देनी शुरू कर दी थी। बदलते समय की मांग और अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के ध्येय से मैंने भी तकनीकी परिवर्तनों को अपनाना शुरू कर दिया और अपने परिवार के सदस्यों के तकनीकी कौशल को सुधारने के लिए इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट की स्थापना की। नई पीढ़ी के टेक्नोसेवी ग्राहकों की 'एक ही जगह पर समस्त सुविधाएं' मिलने की अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए मैंने वर्ष 2006 में सीबीएस सुविधायुक्त अपनी पहली शाखा पुणे के कर्वे नगर में आरंभ की। इसी के साथ-साथ मैंने अपने ग्राहकों को एटीएम सह इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, बैंकाशोरेंस, म्यूच्युअल फंड आदि की सुविधा प्रदान करना भी आरंभ कर दिया।

मेरी अब तक की यात्रा में एक और अहम पड़ाव आया 2010 में, जब मैंने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे कर प्लैटिनम जयंती वर्ष में प्रवेश किया। इस उपलक्ष्य में पूरे वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों का शुभारंभ भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील के आशीर्वचन के साथ और समापन तत्कालीन वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस दौरान मैंने 'महाबैंक प्लैटिनम ग्रामीण उन्नति प्रकल्प' के तहत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुल 75 गांवों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पेयजल, आवास, वर्षा जल संरक्षण जैसे प्रकल्प चलाए। जिन छह जिलों में मैं अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा हूं वहां पर

वित्तीय साक्षरता एवं ग्राहक परामर्श केंद्रों का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा मैंने अपने पेंशनभोगी ग्राहकों एवं वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए विशेषीकृत शाखाएं आरंभ कीं। ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वयं रोजगार हेतु कौशलयुक्त बनाने के ध्येय से सात महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एमसेटी) स्थापित किए गए जो आम जनता के कल्याणार्थ मेरे विविध प्रयासों का आदर्श उदाहरण हैं।

अपने ग्राहकों के विश्वास और समर्पित तथा निष्ठावान स्टाफ सदस्यों की बदौलत मुझे अलग-अलग मंचों पर सराहना मिलती रही है, जैसे कि डन-ब्रैडस्ट्रीट पोलारिस फाइनेंसियल टेक्नॉलॉजी द्वारा वर्ष 2012 एवं 2013 में लगातार दो वर्ष तक आस्ति गुणवत्ता की श्रेणी में 'सार्वजनिक क्षेत्र का श्रेष्ठ बैंक' के रूप में पुरस्कृत किया जाना, आईडीआरबीटी द्वारा 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच सर्वश्रेष्ठ आईटी टीम के लिए विशेष अवार्ड, एशिया बेस्ट एम्प्लायर ब्रैंड द्वारा 'सीईओ विथ एचआर ओरिएंटेशन' का पुरस्कार एवं टाइम्स रिसर्च द्वारा 'बिजनेस एक्सिलेंस इन बैंकिंग अवार्ड' आदि। अपने मौजूदा अनुभवी एवं दिग्गज शीर्ष कार्यपालकों की अगुवाई में मैंने इस वर्ष के आरंभ में ही बीएफएसआई अवार्ड, 2014 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ बैंक गोल्ड अवार्ड एवं आर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड अर्जित करने में सफलता पाई है। अपने मौजूदा शीर्ष प्रबंधन की दूरदर्शिता और नेतृत्व की वजह से मुझे अपना भविष्य अत्यंत उज्ज्वल नजर आ रहा है।

आइए मैं आपको अपने विज्ञान और मिशन की जानकारी भी दे दूं। प्रिय पाठकों, मेरा विज्ञान है 'वैश्विक उपस्थिति की ओर अग्रसर होने के साथ-साथ शेयरधारकों की गरिमा को बढ़ाते हुए तथा समाज के विभिन्न वर्गों को सेवा प्रदान करते हुए एक ऊर्जावान, आगे की ओर बढ़नेवाला, तकनीक संगत व ग्राहक केंद्रित बैंक बनना। मैंने ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुसार तत्परता से योग्य प्रतिक्रिया देने, समाज के विभिन्न

वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवोन्मेषी उत्पाद व सेवाएं प्रदान करने, सतत आधार पर आधुनिकतम तकनीक को अपनाने, तत्पर व्यावसायिक व समर्पित कार्यबल का निर्माण करने, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों और कॉरपोरेट गवर्नेंस के माध्यम से शेयरधारकों की आय में वृद्धि करने तथा शाखा नेटवर्क के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय परिवेश में प्रवेश करने को अपना मिशन या लक्ष्य के रूप में रेखांकित किया है।

अपने अनुभव संपन्न व सक्षम शीर्ष प्रबंध तंत्र के नेतृत्व, ग्राहकों के जुड़ाव और समर्पित कार्यबल की सहायता से 34 अंचल कार्यालयों एवं पूरे देश में फैली 1858 शाखाओं के माध्यम से मैं अपने ग्राहकों को तत्पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में लगा हुआ हूं। मेरा यह प्रयास है कि मैं 2015 के लिए निर्धारित 2.39 लाख करोड़ रु. के कारोबारी लक्ष्य को यथाशीघ्र हासिल कर लूं। मेरे इस प्रयाण में 'महाबैंक' परिवार पूरे तन-मन-धन से जुटा हुआ है और हम यह मानते हैं कि -

“चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है
खबर ये आसमां के अखबार की है
मैं चलूं तो संग कारवां चले
बात गुजर की नहीं ऐतबार की है।”

आपसे फिर मिलने की चाह में -

आपका,



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

○○○



एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक विश्व के 50 अग्रणी बैंकों की सूची में

दो भारतीय बैंकों एचडीएफसी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अब बाजार पूंजीकरण के लिहाज से विश्व के 50 अग्रणी बैंकों की सूची में जगह बना ली है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक का आस्ति आकार के लिहाज से 45वां स्थान है जबकि इसका बाजार पूंजीकरण 39 अरब डॉलर है। इससे ठीक बाद देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का स्थान है, जिसका बाजार पूंजीकरण 38 अरब डॉलर है। आईसीआईसीआई बैंक (53वां स्थान) एकमात्र अन्य भारतीय बैंक है, जिसे दुनिया की 100 अग्रणी सूची में जगह मिली है। एक साल पहले तक कोई भी भारतीय बैंक दुनिया के 75 अग्रणी बैंकों की सूची में शामिल नहीं था। इंडस्ट्रियल ऐंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (आईसीबीसी) इस सूची में सबसे ऊपर है और इसका बाजार पूंजीकरण 285 अरब डॉलर है, यानी एचडीएफसी बैंक के बाजार पूंजीकरण के सात गुने से ज्यादा।



के.सी. मालपानी

प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

धूमता आईना

यह भी बता दें कि किसी इकाई का बाजार पूंजीकरण शेयरों की कुल संख्या और उसके शेयर की कीमतों को गुणा करके निकाला जाता है।

योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) का गठन

योजना आयोग का स्थान अब 'नीति' (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) ने ले लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग केन्द्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिये नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभाएगा और बौद्धिक संस्थान की तर्ज पर काम करेगा। इसके मुख्य उद्देश्यों में शामिल है -

- राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना,
- रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढांचा तैयार करके उसके लिए पहल करना।

इसका स्वरूप निम्नानुसार होगा -

अध्यक्ष : भारत के प्रधानमंत्री,

उपाध्यक्ष : प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त,

सदस्य : पूर्णकालिक (दो),

अंशकालिक सदस्य : अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों से अधिकतम दो पदेन सदस्य होंगे,

पदेन सदस्य : केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री जी करेंगे,

मुख्य संचालन अधिकारी : सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा नियुक्त किया जाएगा,

सचिवालय : आवश्यकतानुसार।

अरविंद पनगढ़िया को नवगठित नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त गया

अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया को योजना आयोग के स्थान पर नवगठित नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ ही नई संस्था के छह सदस्यों और तीन विशेष आमंत्रितों की भी नियुक्ति कर दी गई है। पनगढ़िया अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएच.डी. हासिल करने वाले पनगढ़िया विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (एंकटाड) में भी विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं।

पनगढ़िया के साथ ही अर्थशास्त्री बिबेक देबराय और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वी.के. सारस्वत को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु और राधा मोहन सिंह को आयोग का पदेन सदस्य तथा केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी, स्मृति जुबीन ईरानी और थावर चंद गहलोत को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

वर्ष 2005 से पहले के नोटों को बदलने की आखिरी तारीख बढ़कर 30 जून हुई

रिज़र्व बैंक ने 2005 से पहले छपे नोटों के बदलने की आखिरी तारीख को छह महीने और बढ़ाकर 30 जून 2015 कर दिया है। पहले रिज़र्व बैंक ने 500 और 1000 रुपये के ऐसे नोटों को बदलने की समय सीमा एक जनवरी 2015 तय की थी। रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऐसे नोट चलन में रहेंगे और उन्हें पूरे मूल्य पर बदला जाएगा। उल्लेखनीय है कि 2005 से पहले के नोटों पर मुद्रण का वर्ष अंकित नहीं है। 2005 से पहले के छपे नोटों को चलन से वापस लेने में लोगों से सहयोग मांगते हुए रिज़र्व बैंक ने लोगों से पुराने डिज़ाइन के नोटों को अपने बैंक खातों में जमा करने या अपनी सुविधा के मुताबिक बैंक शाखा में बदलने को कहा है।

फिर से चलन में आया 1 रुपये का नोट

करीब दो दशक तक चलन से बाहर रहने के बाद एक रुपये का नोट फिर से नजर आने वाला है। हालांकि, इस बार इसका

रंग-रूप कुछ बदला हुआ होगा। पहले के गहरे नीले रंग की जगह नए नोट के सामने के भाग में गुलाबी और हरे रंग का इस्तेमाल होगा, जबकि पिछले हिस्से में दूसरे रंगों का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि पहले की तरह ही इस नोट को भारत सरकार ही जारी करेगी और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। नोट का आकार 9.7 X 6.3 सेंटीमीटर रहेगा और इसके शीर्ष पर भारत सरकार छपा होगा। फूलों के डिज़ाइन वाले नोट के सबसे ऊपरी भाग में “भारत सरकार” और फिर अंग्रेजी में “Government of India” अंकित होगा जबकि एक रुपये के सिक्के के प्रतीक चिह्न पर 2015 लिखा होगा। चारों ओर डिज़ाइन में तेल खोज के प्लैटफॉर्म का चित्र होगा। नोट का मूल्य 15 भारतीय भाषाओं में अंकित होगा। नोट का नंबर निचले हिस्से में दाईं ओर होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ सालों में सरकार और रिज़र्व बैंक ने छोटे मूल्यवर्ग के सिक्कों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 1 रुपये व 2 रुपये के नोटों के मुद्रण को बंद कर दिया था।

सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 9.2 प्रतिशत हुई

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जाने वाले खातों पर ब्याज की दर को 9.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 9.2 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया है। ये दर 1 अप्रैल 2015 से लागू होगी। बेटियों की पढ़ाई जारी रखने तथा शादी विवाह के लिए एक मुश्त रकम की व्यवस्था करने के उद्देश्य से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई है।

इस योजना के तहत संरक्षक 10 साल तक की उम्र की अपनी दो बेटियों के लिए अधिकतम दो खाते खोल सकते हैं। इस योजना के तहत खाते में सालाना एक हजार रुपये जमा कराना अनिवार्य है और वर्ष में अधिकतम 1.50 लाख रुपये ही जमा कराए जा सकते हैं। यह पैसा खाता खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना पड़ेगा। बेटे के 18 साल के होने पर आधा पैसा निकलवाया भी जा सकता है मगर, खाता बेटे के 21 साल की होने पर ही मैच्योर होगा। हां, यदि बेटे की उम्र 18 साल से अधिक है और उसकी शादी हो जाती है तो 21 साल के पहले भी इस खाते को बंद कराया जा सकता है।

सुकन्या खाता में निवेश राशि पर टैक्स छूट पहले ही थी

लेकिन इस बजट में इसके ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर भी टैक्स छूट दी गई है। यह खाता डाकघर के अलावा 28 विनिर्दिष्ट बैंकों की शाखाओं में भी खुलवाया जा सकता है।

नए कलेवर में किसान विकास पत्र (केवीपी) फिर शुरू हुए

सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप एक बार फिर से नए कलेवर में किसान विकास पत्र की बिक्री शुरू कर दी गई है। फिलहाल यह डाकघरों के जरिए मिलेगा लेकिन बाद में इसे बैंकों से भी बेचने की व्यवस्था की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार ने निवेश के लिए ज्यादा पूंजी जुटाने और लोगों को निवेश के रूप में सोने का विकल्प उपलब्ध कराने के मद्देनजर इसे फिर से जारी किया है।

नए रूप में किसान विकास पत्र 1000, 5000, 10000, 20000 और 50000 के मूल्य वर्ग में मिलेंगे। इनके तहत परिपक्वता पर दो गुनी राशि मिलेगी और इसकी परिपक्वता अवधि 100 महीने (8.4 वर्ष) तय की गई है। फिलहाल इसे खरीदने के बाद कम से कम ढाई साल (लॉक इन पीरियड) तक रखना होगा। इसके तहत निवेश पर निवेशकों को कोई कर छूट नहीं मिलेगी।

उल्लेखनीय है एक समय निवेशकों के बीच यह बेहद लोकप्रिय था क्योंकि महज साढ़े पांच वर्ष में निवेश की गई रकम दुगुनी हो जाती थी। इसे वर्ष 2011 में बंद कर दिया गया था।

भारत स्वच्छ ऊर्जा निवेश के मामले में चौथे स्थान पर

भारत स्वच्छ ऊर्जा निवेश के मामले में 55 विकासशील देशों में चौथे स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर चीन है जिसके बाद ब्राजील का स्थान है। इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी उभरते देशों के लिए लागत के लिहाज से उतनी ही फायदेमंद हो सकती है जितनी विकासशील देशों के लिए। इस रिपोर्ट में अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिकी एवं कैरिबियाई क्षेत्र के 55 उभरते देशों को शामिल किया गया है।

कम कार्बन उत्सर्जन के मामले में भी भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। लगातार बढ़ती मांग, नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतरीन संसाधन और जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आदि) की बहुत हद तक कमजोर श्रृंखला के मद्देनजर भारत

स्वच्छ ऊर्जा के लिए वृद्धि दर्ज करता हुआ बाज़ार है। भारत में 2006 -2013 के बीच स्वच्छ ऊर्जा में 62 अरब डॉलर का निवेश हुआ जिसमें से 6 अरब डॉलर का निवेश 2013 में हुआ। निवेश के लिहाज से वायु सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि कोयला अभी भी देश की बिजली प्रणाली की रीढ़ है और 2013 में इसका कुल बिजली उत्पादन में 71 प्रतिशत योगदान रहा। रिपोर्ट के मुताबिक शीर्ष स्थान पाने वाले अन्य देशों में दक्षिण अफ्रीका, केन्या और युगांडा शामिल हैं।

सभी शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को पैन सेवा एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को पैन सेवा एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति दी है। इससे पहले सिर्फ वित्तीय रूप से मजबूत और बेहतर तरीके से प्रबंधित यूसीबी को ही पैन सेवा एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति थी। वे यह काम यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रा लिमिटेड या आयकर विभाग द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी के साथ गठजोड़ के जरिए कर सकते थे। रिज़र्व बैंक का कहना है कि यूसीबी द्वारा शुल्क आधारित सेवाओं के दायरे के विस्तार के लिए अब सभी शहरी सहकारी बैंकों को पैन सेवा एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें आयकर विभाग द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी से गठजोड़ करना होगा।

प्री-पेड कार्ड (पीपीआई) की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान के प्रीपेड साधनों (पीपीआई) से जुड़े नियमों को सरल करते हुए प्रीपेड कार्ड की सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया है। रिज़र्व बैंक के अनुसार बाज़ार में नकद लेनदेन को सीमित करने के मकसद से इस प्रकार के वैकल्पिक साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही गिफ्ट कार्ड की वैधता की अधिकतम सीमा को भी एक साल से बढ़ाकर तीन साल किया गया है। गिफ्ट कार्ड के मामले में पीपीआई दिशा-निर्देशों के अन्य प्रावधान लागू रहेंगे। रिज़र्व बैंक ने पूर्ण रूप से केवाईसी अनुपालित बैंक खातों से कई पीपीआई जारी करने की अनुमति भी दी है, जो परिवार के

सदस्यों को जारी किए जा सकेंगे। एक लाभार्थी को सिर्फ एक कार्ड ही दिया जाएगा।

भारत की संवृद्धि दर 2016 में चीन से आगे निकल सकती है – आईएमएफ

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के अनुसार भारत की संवृद्धि दर इस साल 6.3 प्रतिशत और 2016 में 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उस समय यह चीन की अनुमानित वृद्धि दर को पार कर सकती है।

आईएमएफ द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की संवृद्धि दर 2014 में 5.8 प्रतिशत, जबकि चीन की संवृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रही। इससे पहले 2013 में भारत की संवृद्धि दर 5 प्रतिशत, जबकि चीन की 7.8 प्रतिशत थी।

रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 में भारत की संवृद्धि दर 6.3 प्रतिशत और 2016 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और यही वह साल होगा जब भारत की संवृद्धि दर चीन की अनुमानित संवृद्धि दर (6.3 प्रतिशत) से ऊपर निकल जाएगी।

भारत में जून तक 21.3 करोड़ मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ता होने की संभावना

सस्ते स्मार्टफोन और सस्ती इंटरनेट योजनाओं को तेजी से अपनाए जाने के चलते भारत में मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस साल जून तक बढ़कर 21.3 करोड़ हो जाने की संभावना है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएमएआई) और आईएमआरबी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2014 के अंत तक देश में मोबाइल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 17.3 करोड़ थी। रिपोर्ट में कहा गया कि औसतन मोबाइल बिल 13 प्रतिशत बढ़कर 439 रुपये हो गया। पिछले साल मोबाइल इंटरनेट पर 45 प्रतिशत खर्च हुआ और इस साल यह बढ़कर 54 प्रतिशत हो गया।

कैसे बनाएं पैन कार्ड (Pan Card) ऑनलाइन

आयकर विभाग से पैन कार्ड बनवाने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है और यह बहुत ही आसान है। इसके लिए-

1. इनकम टैक्स पैन सविसेज यूनिट की वेबसाइट

<https://tin.tin.nsd.com/pan/> पर जाएं।

2. यह इनकम टैक्स पैन सविसेज यूनिट का होम पेज है। इस पर नए पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं, पूछताछ और स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। इस वेबसाइट से आप पैन कार्ड का प्रिंट भी ले सकते हैं। पैन के ब्योरे में बदलाव भी किए जा सकते हैं।
3. नए पैन कार्ड के आवेदन के लिए फॉर्म 49ए की जरूरत पड़ेगी। इसे <https://tin.tin.nsd.com/pan2/servlet/NewPanApp> पर भरा जा सकता है। संपूर्ण ब्योरे भरने के बाद फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करिए। फॉर्म सबमिट होने के बाद स्क्रीन पर रसीद दिखाई पड़ेगी। इसमें 15 अंकों वाला रसीद क्रमांक दिखेगा। आप इसका प्रिंट ले लीजिए और संभालकर रखिए।
4. पावती फॉर्म के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे कि पहचान का प्रमाण तथा पते का प्रमाण भी भेजने होंगे। इनमें आपका नाम उसी तरह लिखा होना चाहिए, जैसा कि आपने पैन फॉर्म में लिखा है। फॉर्म 49ए भरते वक्त इस बात का ध्यान रखें।
5. रसीद फॉर्म पर दो नवीनतम कलर फोटोग्राफ भी दी हुई जगह पर चिपकाने होंगे तथा फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।
6. अगर आप निवासी हैं, तो पैन आवेदन के लिए फीस 105 रुपये है। आप यह भुगतान चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप विदेश में पैन कार्ड हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी फीस 971 रुपये है। यह फीस सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के जरिए अदा की जा सकती है। इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट फॉर्म भरते वक्त ही करना होगा। इसके बाद भुगतान की रसीद मिलती है। इसका प्रिंट लेकर और इसे रसीद फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
7. ऑनलाइन एप्लिकेशन भरने के 15 दिनों के अंदर रसीद फॉर्म को पुणे स्थित एनएसडीएल के कार्यालय को भेजना होगा जो आपके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए पैन कार्ड तैयार कर भिजवाएगा। आवेदन के स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकता है।

○○○

लेखकों से / पाठकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।
 - ख. लेख में किसी सम-सामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।
 - ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।
 - घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।
 - ड. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।
2. लेख में दिए गए तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।
3. क. लेख अधिकतम 8 पृष्ठों के हों तथा यूनिकोड में टंकित हों।
 - ख. वह कागज़ के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।
 - ग. यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों।
 - घ. लेख यदि संभव हो तो यूनिकोड फॉन्ट में rajbhashaco@rbi.org.in और/अथवा ramakantgupta@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
4. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. लेखक अपने पत्राचार का पता, ई-मेल आईडी एवं टेलीफोन/मोबाईल नम्बर अवश्य दें।
6. प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन सदस्यता फॉर्म

प्रबंध संपादक

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन

भारतीय रिज़र्व बैंक

राजभाषा विभाग

केंद्रीय कार्यालय, गारमेट हाउस

वरली, मुंबई 400 018

महोदय,

मैं दो वर्ष के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) _____

केंद्र _____ पिनकोड _____

मो.नं. _____ टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ निवास _____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई-मेल पता _____

दिनांक : ____ / ____ / ____

भवदीय/या


(हस्ताक्षर)

बैंकिंग शब्दावली

वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्दों का चयन किया गया है। 288 पृष्ठ वाले इस कोश का मूल्य 80.00 रुपये (डाक व्यय अतिरिक्त) है। इसे प्राप्त करने हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:

निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिन्दी पुस्तक

पूंजी पर्याप्तता

एवं

बासेल मानक


मूल्य : 300/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता

मै. आधार प्रकाशन प्रा. लि.

एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16

पंचकूला (हरियाणा)



इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री राजेश कुमार का सहयोग प्राप्त हुआ।

